ISSN-0971-8397

योजना

नवंबर 2017 | विकास को समर्पित मासिक | ₹ 22

लघु एवं कुटीर उद्योग

लघु एवं कुटीर उद्योगों का सशक्तीकरण
अरुण कुमार पांडा

लघु एवं कुटीर उद्योग: प्रोत्साहन के उपाय
चंद्रशेखर रेड्डी
दिब्येंदु चौधरी

गुणवत्ता प्रमाणन: प्रतिस्पर्धा का प्रेरक
जतिन्दर सिंह

लघु एवं कुटीर उद्योग: वित्तपोषण में चुनौतियां
अनिल भारद्वाज

विशेष आलेख
लघु एवं कुटीर उद्योग: प्रौद्योगिक समुन्नयन
बाला सुब्रह्मण्या मुंगिला हिलेमने

फोकस
खादी: कुछ नये आयाम
वी के सक्सेना

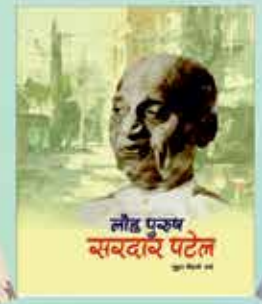

सरदार पटेल को जानें
पुस्तकों के माध्यम से

अपनी प्रतियां सुरक्षित कराने एवं व्यापार संबंधी
पूछताछ के लिए कृपया संपर्क करें:
टेलीफोन : 011-24367260,24365609
ई मेल : businesswng@gmail.com

चुनिंदा ई-पुस्तकें **Amazon**,**Google** एवं **Kobo** पर भी उपलब्ध

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
वेब साइट : publicationsdivision.nic.in

@publicationsdivision

@DPD_India

योजना

- वर्ष:61
- अंक 11
- कुल पृष्ठ:60
- नवंबर 2017
- कार्तिक-मार्गशीर्ष, शक संवत् 1939

दरें: वार्षिक: ₹ 230 द्विवार्षिक: ₹ 430, त्रिवार्षिक: ₹ 610

yojanahindi@gmail.com www.yojana.gov.in, www.publicationsdivision.nic.in http://www.facebook.com/yojanahindi

प्रधान संपादक: दीपिका कच्छल

संपादक: ऋतेश पाठक

संपादकीय कार्यालय

648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003
दूरभाष (प्रधान संपादक): 24362971

संयुक्त निदेशक (उत्पादन): वी के मीणा

उप निदेशक (प्रसार एवं विज्ञापन): पद्म सिंह

आवरण: गजानन पी. धोपे

पत्रिका मंगवाने, सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें:

उप निदेशक (प्रसार एवं विज्ञापन)
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 48-53
भूतल, सूचना भवन, सीजीओ परिसर
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003
दूरभाष: 011-24367453
ईमेल: pdjucir@gmail.com

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिए हमारे निम्नलिखित विक्रय केंद्रों पर भी संपर्क किया जा सकता है। साथ ही हमारी वेबसाइट तथा योजना हिन्दी के फेसबुक पेज पर भी संपर्क किया जा सकता है।

- योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।
- योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।
- प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।
- योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

इस अंक में

- संपादकीय 7
- लघु एवं कुटीर उद्योगों का सशक्तीकरण
  अरुण कु. पांडा 9
- लघु एवं कुटीर उद्योग: प्रोत्साहन योजनाएं
  एम चंद्रशेखर रेड्डी
  दिब्येंदु चौधुरी..... 13
- विशेष आलेख
  लघु एवं कुटीर उद्योग: प्रौद्योगिक समुन्नयन
  बाला सुब्रह्मण्या मुंगिला हिलेमने..... 17
- लघु एवं कुटीर उद्योग: वित्तपोषण में चुनौतियां
  अनिल भारद्वाज..... 23
  गुणवत्ता प्रमाणन: प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन
  जतिन्दर सिंह..... 27
- फोकस
  खादी: कुछ नये आयाम
  वी के सक्सेना..... 31
- लघु एवं कुटीर उद्योग: उत्पादों व सेवाओं की उपलब्धता
  शिशिर सिन्हा..... 35
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की संजीवनी
  भुवन भास्कर..... 39
- लघु उद्योग के लिए अनुकूल परिवेश को प्रोत्साहन
  अश्विनी महाजन..... 41
- लघु उद्योगों में अग्रणी था भारत
  पवन कुमार शर्मा..... 45
- पर्यावरण के अनुकूल लघु और कुटीर उद्योग
  चंदन कुमार 51
  प्रभांसु ओझा.....
- क्या आप जानते है? 55

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

शहर	पता	पिनकोड	दूरभाष
नयी दिल्ली	सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011-23890205
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ मीनार, कवादिगुड़ा सिकंदराबाद	50080	040-27535383
बंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	061-22683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2225455
अहमदाबाद	अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर	380007	079-26588669
गुवाहाटी	मकान सं. 4, पेंशन पारा रोड, गुवाहाटी	781003	030-2665090

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित

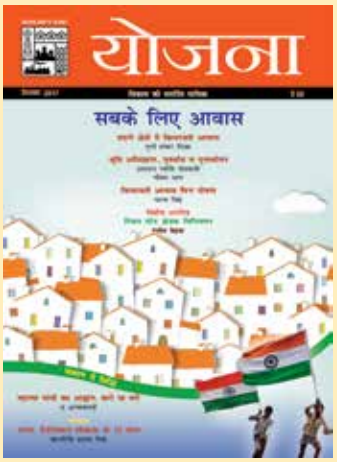

आपकी राय

आरक्षण की समीक्षा जरूरी

योजना अक्टूबर 2017 के संपादकीय में देश की विभिन्न समस्याओं का विश्लेषण किया गया है। जातिवाद की समस्या प्राचीन काल से रही है किन्तु आज एक स्तर पर जातिवाद विखंडित होने लगा है। आरक्षण की बदौलत विभिन्न पिछड़ी जातियों के लोग विभिन्न सेवाओं में उच्चतम स्तरों पर पहुंच गये हैं। उनकी शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक स्थिति तथाकथित उच्च कही जाने वाली जातियों के लोगों से भी अच्छी हो गई है फिर भी वे लोग पिछड़ी जाति से जुड़े रहना चाहते हैं क्योंकि पिछड़ी जाति का तमगा एक सामंतवादी अधिकार हो गया है। दूसरी ओर उसी जाति का एक बड़ा वर्ग आज भी पिछड़ा हुआ है। आज आवश्यकता इस बात की है कि आरक्षण व्यवस्था की व्यापक स्तर पर समीक्षा की जाय। पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था को समाप्त किया जाय। सभी प्रकार की आरक्षण व्यवस्था में क्रिमीलेयर का सिद्धांत लागू किया जाय ताकि जाति विशेष के जिन लोगों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है उन्हें भी मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर मिल सके।

राजनैतिक दल प्रायः चुनावों में निहित स्तंभों के कारण जातिवाद का जमकर प्रचार करते हैं। वहीं मीडिया जातिवाद का विश्लेषण कर जातिवाद की चिंगारी को बुझने नहीं देता। मतदाता केवल मतदाता है चाहे वह किसी भी जाति का हो फिर यह जातिवादी विश्लेषण क्यों? इस प्रकार के विश्लेषणों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया को भी जाति आधारित विश्लेषण नहीं करने दिया जाय। अब उच्च जाति में पिछड़े लोगों का समूह भी आरक्षण की मांग करने लगा है। समय-समय पर देश में हुए बहुत से आंदोलन इस के गवाह हैं।

तीन तलाक (तलाक-ए-विदअत यानी एक साथ तीन तलाक) के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला महिलाओं के जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा। अब उनकी स्थिति देश की अन्य महिलाओं के समान हो जायेगी।

जब बहुत से इस्लामिक देशों में तीन तलाक प्रतिबंधित है तो भारत जैसे प्रगतिशील देश में इस इस्लाम विरोधी, महिला विरोधी कानून का औचित्य क्या है?

– विश्वनाथ सिंहानिया
10/829, मालवीय नगर,
जयपुर-302017

आवास योजना का बेहतर क्रियान्वयन हो

सबके लिए आवास पर आधारित योजना का सितंबर अंक पढ़ा। मुझे योजना पढ़ना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यह ज्ञानवर्धक होने के साथ-साथ कल्पनाशीलता की क्षमता का विकास करती है। यह पत्रिका विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर एक सटीक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती है। मैं स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्रा हूं तथा सिविल सेवा की तैयारी कर रही हूं। मैं इस पत्रिका का अध्ययन विगत आठ महीनों से नियमित रूप से कर रही हूं। किसी भी राष्ट्र की पहचान वहां के लोगों के जीवनस्तर से होती है और जीवनस्तर का एक महत्वपूर्ण भाग *आवास* है। आजादी के सत्तर साल बाद भी देश के सभी लोगों को अपना घर तक नसीब नहीं हो सका है। हालांकि आजादी के बाद से ही सरकार ने विभिन्न आवासीय योजनाओं को प्रारंभ किया, परंतु बेहतर क्रियान्वयन के अभाव में उन योजनाओं का लाभ सही लाभार्थी तक नहीं पहुंच सका। आज भी देश में कई ऐसे परिवार हैं, जो अपना सम्पूर्ण जीवन किराए के मकान में अथवा झुग्गी-झुपड़ी में रहकर व्यतीत करते हैं। भारत सरकार ने सभी बेघरों को घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जून, 2015 से *प्रधानमंत्री आवास योजना* को प्रारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 तक बीपीएल परिवारों, निम्न आय वर्ग, किराए के मकान में रहने वाले परिवारों को आवास मुहैया कराया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना में विदेशी एजेंसिया भी सहयोग कर रही हैं। सरकारी नीतियों व योजनाओं की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए और योजना का क्रियान्वयन बेहतर रूप से किया जाना चाहिए तभी हम एक विकसित भारत का निर्माण कर पाएंगे।

– ज्योति नायक
नांगलोई, नई दिल्ली

गांधी के रास्ते पर चलने से होगी शांति

सबके लिए आवास पर आधारित योजना का सितंबर अंक पढ़ा। अंक से सारगर्भित व

ज्ञानोपयोगी जानकारी मिली। संपादकीय हमेशा की तरह जागरूक करने वाला व समस्याओं की ओर ध्यान दिलाने वाला रहा। महात्मा गांधी ने अपने विचारों के क्रियान्वयन के बल पर भारत को आजादी दिलाई। *गांधी* शब्द में ही सम्पूर्ण गांधीवाद समाहित हैं। गांधी के विचारों का अनुसरण करने वाले व्यक्ति को 'गांधीवादी' कहते हैं। गांधीवादी वही है, जो उदारवादी दृष्टिकोण रखता हो, जिसमें उत्तरदायित्व की भावना हो, जो अहिंसा का समर्थन करता हो, जिसमें साहस की भावना हो, जो मानवतावादी व्यवहार का समर्थक हो, जिसमें बौद्धिकता का समावेश हो। वर्तमान में सम्पूर्ण विश्व विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक समस्याओं का सामना कर रहा है। यदि हम गांधी के विचारों का क्रियान्वयन करें तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का स्वत: समाधान हो जाएगा। गांधी कहते हैं कि व्यक्ति की सम्पूर्ण दुखों का कारण उसकी असीमित आवश्यकताएं हैं। यदि हम दुखों पर विजय पाना चाहते हैं तो हमें गांधीवाद को अपनाना पड़ेगा। विश्व में शांति गांधीवाद के माध्यम से ही स्थापित की जा सकती है।

– अमित कुमार 'विश्वास'
रामपुर नौसहन, हाजीपुर
वैशाली, बिहार

बेघरों को घर मिले

योजना का *सबके लिए आवास* पर केंद्रित सितंबर अंक पढ़ा। अंक से कई नवीन जानकारियां मिलीं। मैं इस पत्रिका का अध्ययन विगत 17 महीनों से कर रही हूं। इस पत्रिका से मुझे भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में काफी सहायता मिलती है। पक्के मकान का सपना तो हर किसी का होता है, लेकिन अधिकांश लोग अपने इस सपने को आर्थिक कमजोरी के कारण पूरा नहीं कर पाते हैं। पक्का मकान न होने के कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए भारत सरकार ने आम लोगों की आवासीय परेशानी को दूर करने के उद्देश्य से *प्रधानमंत्री आवास योजना* की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2022 तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को खुद का घर उपलब्ध कराना है। नियमित स्तम्भ *क्या आप जानते हैं* के अंतर्गत प्रकाशित आलेख 'भारत में सहकारी आवास आंदोलन' से ज्ञान में वृद्धि हुई।

– खुशबू कुमारी
हाजीपुर, वैशाली, बिहार

शासन में जनभागीदारी जरूरी

मैंने सबके लिए आवास विषय पर केंद्रित योजना का सितंबर अंक पढ़ा। अंक विभिन्न जानकारियों से भरा रहा। मैं स्नातक प्रथम वर्ष की छात्रा हूं। बाल्मीकि प्रसाद सिंह जी ने अपने आलेख *भारत: दमदार लोकतंत्र के 70 साल* में भारतीय लोकतंत्र का विश्लेषण व्यापक व गहनता के साथ किया है। लोकतंत्र को वास्तविक रूप में तभी स्थापित किया जा सकता है, जब शासन-व्यवस्था में लोगों की भागदारी सुनिश्चित हो और समाज के अंतिम आदमी तक विकास की रोशनी पहुंचे। यहां विकास से अभिप्राय *समाज के प्रत्येक व्यक्ति के सशक्तीकरण* से है। जब प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त होगा, तभी विकास की परिकल्पना को सच्चे अर्थों में स्थापित किया जा सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी नीतियों व योजनाओं का लाभ वंचित, शोषित, उपेक्षित वर्ग को ही मिले। भारत सरकार ने हाल के समय से सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार संख्या को अनिवार्य कर दिया है। इससे सरकारी राशि का दुरुपयोग रुकेगा और योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा। निसंदेह यह एक क्रांतिकारी कदम है।

– नेहा कुमारी
हाजीपुर, वैशाली, बिहार

डाक विभाग का आभार

अक्टूबर योजना का अंक पढ़ने को मिला और संपादकीय नया क्षितिज ही सब कुछ है। विभिन्न पत्रावलियों को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम डाक विभाग है। मैं प्रधान डाकघर गोरखपुर का विशेष रूप से आभारी हूं।

स्वच्छता के लिए सिर्फ तस्वीरों, शब्दों एवं प्रशंसाओं से नए तरह के व्यक्तियों के कार्यों की सराहना होनी चाहिए। 'कैप्चरिंग' में नहीं रहना चाहिए। ग्रामीण भारत का गरीबी उन्मूलन की दिशा में किया जा रहा प्रयास कर्तव्यनिष्ठा को दर्शाता है। 'गहन सहभागिता योजना कार्यक्रम' की जानकारी मिली, धन्यवाद।

हमारे घर पर लगभग 1988-90 से अनवरत 'योजना' का पठन-पाठन जारी है। विभिन्न संस्तुतियों, विश्लेषणों, चिंतनों के आधार पर कुछ न कुछ करना ही श्रेयस्कर है।

– देवेश त्रिपाठी
एल.टी. प्रशिक्षण महाविद्यालय,
उत्तर प्रदेश

योजना
आगामी अंक

दिसंबर 2017

उपभोक्ता जागरूकता

आपकी राय व सुझावों की प्रतीक्षा है...

Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को समर्पित मासिक पत्रिका

- ☑ समसामयिक मुद्दों पर आधारित महत्त्वपूर्ण लेख।
- ☑ आगामी मुख्य परीक्षा के लिये सामान्य अध्ययन पर महत्त्वपूर्ण सामग्री।
- ☑ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिये प्रत्येक महीने सामान्य अध्ययन के विभिन्न खण्डों के रिवीज़न के लिये 'टू द पॉइंट' सामग्री।
- ☑ प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं (साइंस रिपोर्टर, डाउन टू अर्थ, इकॉनमिक एंड पोलिटिकल वीकली, द हिन्दू आदि) के महत्त्वपूर्ण लेखों का सारांश।
- ☑ मुख्य परीक्षा के लिये समसामयिक मुद्दों पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर।
- ☑ तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिये प्रेरणादायक कॉलम।
- ☑ इंटरव्यू की तैयारी के लिये महत्त्वपूर्ण सामग्री।

पत्रिका का सैम्पल निःशुल्क पढ़ने के लिये हमारी वेबसाइट:
www.drishtiias.com पर विज़िट करें।

To Subscribe, Call - 8130392351, 8130392359
For business/advertising enquiry, Call - 8130392355
Web : www.drishtiias.com, Email : info@drishtipublications.com

YH-643/7/2017

संपादकीय

विराट संभावनाओं का लघु क्षेत्र

मजबूत औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण नीति निर्माताओं तथा देश पर शासन करने वालों की कार्य सूची में सदैव ही शीर्ष पर रहा है। उद्योग आंतरिक उपभोग तथा निर्यात के लिए वस्तुएं ही उपलब्ध नहीं कराते बल्कि उन्होंने देश के युवाओं को रोजगार देने में भी सर्वोच्च भूमिका निभाई है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और आर्थिक वृद्धि पर चर्चा करते समय लौह एवं इस्पात, कार, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे बड़े उद्योग केंद्र में रहते हैं, लेकिन छोटे उद्योगों का क्षेत्र भी है, जो उत्पादों के विनिर्माण तथा रोजगार सृजन दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन अर्थशास्त्रियों तथा नीति निर्माताओं की दृष्टि से छिपा रहता है। यह सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों (एमएसएमई) अर्थात् लघु एवं कुटीर उद्योगों का क्षेत्र है।

भारत में एमएसएमई क्षेत्र लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है तथा जीडीपी में लगभग 17 प्रतिशत योगदान करता है। विशेष अवसरों पर पहने जाने वाले खादी के कुर्ते, शहद और जूट जैसे कुटीर उत्पादों से लेकर औद्योगिक उत्पादन में प्रयोग होने वाली विभिन्न सहायक वस्तुओं तक का विनिर्माण यही क्षेत्र करता है। किंतु इस क्षेत्र के सामने कई चुनौतियां हैं जैसे समय पर ऋण नहीं मिलना, बुनियादी ढांचे की कमी, उन्नयन के लिए प्रौद्योगिकी और कुशल कर्मचारी प्राप्त करने के संसाधन नहीं होना, समुचित बाजार उपलब्ध नहीं होना आदि। इस क्षेत्र को पड़ोसी देशों विशेषकर चीन से भी टक्कर मिल रही है, जिसके उत्पादों से भारतीय बाजार पाट दिए जाने के कारण कई देसी इकाइयों को घाटा हुआ है।

छोटे तथा मझोले क्षेत्र की इकाइयों को पर्याप्त धन प्राप्त करने में समस्या इसीलिए आती है क्योंकि वित्तीय सहायता देने वाली संस्थाओं को विश्वास नहीं होता कि इकाइयां चल पाएंगी। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने ऋण गारंटी वित्त योजना के तहत आने वाले क्षेत्र बढ़ाए हैं और ऋण सीमा भी 1 करोड़ रुपये से दोगुना अर्थात् 2 करोड़ रुपये कर दी है। वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्द्धी बने रहने के लिए एमएसएमई को उन्नत प्रौद्योगिकी मिलना आवश्यक है। अपनी कमजोर वित्तीय स्थिति तथा सीमित मानव संसाधन के कारण इस क्षेत्र की इकाइयों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी प्राप्त कर पाना कठिन हो रहा है। प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण इसका एक समाधान है और सरकार भी देश भर में टूल रूम एवं प्रौद्योगिकी विकास केंद्रों के माध्यम से अत्याधुनिक कौशल प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रही है।

किसी भी उद्यम के सफल संचालन के लिए बुनियादी ढांचे की अच्छी सुविधाएं आवश्यक हैं। किंतु अधिकतर एमएसएमई बहुत कम बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के साथ काम कर रहे हैं। सरकार के क्लस्टर विकास कार्यक्रम का उद्देश्य साझा सुविधा केंद्र जैसी संस्थाएं तैयार करना है, जहां से अत्याधुनिक उपकरण, प्रौद्योगिकी, डिजाइन आदि उपलब्ध हो सकें। एमएसएमई क्षेत्र की सफलता के लिए कुशल मानव संसाधन सबसे बुनियादी घटक है। उपलब्ध कार्यबल को लाना और अपने साथ बनाए रखना तथा नई प्रतिभा विकसित करना और भी महत्वपूर्ण है। इसे समझते हुए सरकार ने कई क्षमता निर्माण कार्यक्रम आरंभ किए हैं। सरकार के उद्यमिता विकास कार्यक्रम एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम इस समस्या के समाधान का प्रयास करते हैं।

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे अकुशल, अर्द्ध-कुशल तथा कुशल व्यक्तियों के लिए रोजगार उत्पन्न करते हैं और पूंजी लागत भी बहुत कम होती है क्योंकि ये इकाइयां मूल रूप से श्रम-केंद्रित होती हैं। वे ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को भी सहारा देते हैं क्योंकि उनमें से कई उत्पाद ग्रामीण क्षेत्रों में ही तैयार किए जाते हैं। प्रायः ये उत्पाद इतने अनूठे होते हैं कि उनमें निर्यात की बहुत संभावनाएं होती हैं और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में राजस्व प्राप्त होता है। उत्पादन की लागत कम होने तथा कुटीर उद्योगों जैसा कामकाजी वातावरण होने के कारण वे आर्थिक अस्थिरता के दिनों में भी अपना अस्तित्व बचा सकते हैं।

एमएसएमई क्षेत्र में इतनी क्षमता तथा संभावनाएं हैं कि वह भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत आगे ले जा सकता है। सरकार तथा वित्तीय संस्थाओं का थोड़ा सा सहयोग मिले तो ये इकाइयां वृद्धि स्तंभ बनने की राह पर बढ़ सकती हैं। ❑

CHANAKYA IAS ACADEMY®

Also known as Chanakya Civil Services Academy

24 Years of Excellence, Extraordinary Results every year, 3000+ selections in IAS, IFS, IPS and other Civil Services so far...

CHANAKYA IAS ACADEMY
Nurturing Leaders of Tomorrow
SINCE-1993

A Unit of CHANAKYA ACADEMY FOR EDUCATION AND TRAINING PVT. LTD.

***under the direction of* Success Guru AK Mishra**

IAS 2018

Upgraded Foundation Course™

A Complete solution for Prelims, Mains & Interview

- Special modules on administrative traits by Success Guru AK Mishra & retired civil servants
- Intensive Classes with online support
- Offline/ Online test series for Prelims & Mains
- Pattern proof teaching
- Experienced faculty
- Hostel assistance

Separate classes in Hindi & English medium

Batches Starting From

10th September, 10th October, 10th November - 2017

Weekend Batches & Postal Guidance Also Available

To Reserve your seat - Call: 1800-274-5005 (Toll Free)

www.chanakyaiasacademy.com | enquiry@chanakyaiasacademy.com

HO/ South Delhi Branch: 124, 2nd Floor, Satya Niketan, Opp. Venkateswara College, Near Dhaula Kuan, Delhi-21, Ph: 011-64504615, 9971989980/ 81
North Delhi Branch: 1596, Outram Line, Kingsway Camp, Delhi-09, Ph: 011-27607721, 9811671844/ 45

Our Branches
Ahmedabad: 301, Sachet III, 3rd Floor, Mirambika School Road, Naranpura, Ph: 7574824916
Allahabad: 10B/1, Data Tower, 1st Floor, Patrika Chauraha,Tashkand Marg, Civil Lines, Ph: 9721352333
Chandigarh: S.C.O. 45 - 48, 2nd Floor, Sector 8C, Madhya Marg, Ph: 8288005466
Guwahati: Building No. 101, Maniram Dewan Road, Silpukhuri, Near SBI Evening Branch, Kamrup, Ph: 8811092481
Hazaribagh: 3rd Floor, Kaushaliya Plaza, Near Old Bus Stand, Ph: 9771869233
Indore: 120, 1st Floor, Veda Business Park, Bhawarkuan Square, AB road, Ph: 8818896686
Jammu: 47 C/C, Opposite Mini Market, Green Belt, Gandhi Nagar, Ph: 8715823063
Jaipur: Felicity Tower, 1st Floor, Plot no- 1, Above Harley Davidson Showroom, Sahakar Marg, Ph: 9680423137
Ranchi : 1st Floor, Sunrise Forum, Near Debuka Nursing Home, Burdhwan Compound, Lalpur, Ph: 9204950999, 9771463546
Rohtak: DS Plaza, Opp. Inderprastha Colony, Sonipat Road, Ph: 8930018880
Patna: 304, 3rd Floor, Above Reliance Trends, Navyug Kamla Business park, East Boring Canal Road, Ph: 8252248158
Pune: Millennium Tower, 4th Floor, Bhandarkar Road, Deccan Gymkhana, Ph: 9067975862, 9622380843
Dhanbad (Information Centre): Univista Tower, Near Big Bazaar, Saraidhela, Ph: 9771463546

चेतावनी
छात्रों/अभ्यर्थियों को एतद्द्वारा आगाह किया जाता है कि कुछ असम्बद्ध संस्थाएं ऐसे टेडमार्क/टेडनेम का इस्तेमाल कर रही हैं जो चाणक्य आईएएस एकेडमी/चाणक्य एकेडमी (1993 से सक्सेस गुरु एके मिश्रा के मार्गदर्कान में प्रोन्नत) के टेडमार्क/टेडनेम के समरूप/भ्रामक समान हैं। हम इसके द्वारा यह घोषणा करते हैं कि ये संस्थाएं हमसे सम्बद्ध नहीं हैं तथा ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई पहले से ही शुरू कर दी गयी है। सभी छात्रों को नामांकन कराने के पूर्व ऐसी एकेडमी/अध्ययन केन्द्र/संस्थान की प्रामाणिकता की पुष्टि कर लेनी चाहिए और अनुरोध किया जाता है कि समरूप/भ्रामक रूप से समान टेडमार्क/टेडनेम के तहत हो रही ऐसी किसी भी गतिविधि के बारे में 09650299662/3/4 पर फोन कर तथाinfo@chanakyaacademygroup.comपर ईमेल भेजकर हमें सूचित करें।

YH-717/2/2017

लघु एवं कुटीर उद्योगों का सशक्तीकरण

अरुण कु. पांडा

किसी भी उद्यम के बाजार में अच्छी तरह से काम करने के लिए कुछ बुनियादी सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए जैसे यूटिलिटीज की सुविधा, बाजार, कुशल श्रम शक्ति और नवीनतम प्रौद्योगिकी आदि। इस संदर्भ में सरकार ने एमएसएमई के विकास के लिए क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण अपनाया है। संपूर्ण रूप से, यह दृष्टिकोण सहकारी व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। साथ ही व्यापार करने के लिए क्लस्टर स्तर पर मौजूद कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को भी समझाता है

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यमों, जिसे एमएसएमई सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, के योगदान को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। साथ ही इस क्षेत्र को आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह क्षेत्र आम जन को रोजगार प्रदान करने, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और नवाचार की अगुआई में देश के विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त एमएसएमई सेक्टर बड़े व्यवसायों की व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोगी इकाई का काम करता है जिससे देश के सामाजिक-आर्थिक एवं समावेशी विकास में सहयोग प्रदान किया जा सके।

भारतीय परिप्रेक्ष्य

भारत के आर्थिक परिप्रेक्ष्य में इस क्षेत्र का रणनीतिक महत्व है। लगभग 90 प्रतिशत औद्योगिक इकाइयां इस क्षेत्र से संबंधित हैं, जो भारत की 40 प्रतिशत श्रमशक्ति को रोजगार देती हैं। 8000 से अधिक पारंपरिक और हाई-टेक वस्तुओं का उत्पाद इस क्षेत्र में होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की दिशा में बढ़ रही है और 2025 तक इसके 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। ऐसे में इस क्षेत्र का विकास और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए सरकार की यह प्राथमिकता है कि नई नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के जरिए एमएसएमई क्षेत्र के इकोसिस्टम को मजबूती दे। इस वर्ष के 6482 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन से यह स्पष्ट होता है जो पिछले वर्ष के 3465 करोड़ रुपए के आवंटन के मुकाबले अत्यधिक है।

विभिन्न नीतिगत उपायों से एमएसएमई को मजबूत करना

एमएसएमई सेक्टर की अंतर्निहित क्षमता के बावजूद, अनेक चुनौतियां मौजूद हैं। समय पर ऋण न मिलना, बुनियादी ढांचे की कमी, पुरानी तकनीक, बाजार तक पर्याप्त पहुंच न होना और कुशल श्रमशक्ति का न होना आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त चीन, इंडोनेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड जैसे पड़ोसी देशों से बढ़ती होड़ के कारण विश्व स्तर पर इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बरकरार रखने के लिए मजबूत रणनीति अपनाए जाने की जरूरत है। सरकार इन समस्याओं से अवगत है और इस क्षेत्र को फिर से जीवंत करने की तात्कालिकता

लेखक भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के सचिव हैं। इनका रोजगार सृजन और एमएसएमई क्षेत्र के विकास की संभावनाओं की तलाश में व्यापक योगदान है। केंद्र और राज्यों में प्रशासक, नीति निर्धारक और जनस्वास्थ्य की महत्वपूर्ण योजनाओं के रणनीतिकार रहे हैं। ईमेल: sec.msme@gmail.com

को भी समझती है। इसलिए, 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया', 'स्टार्ट-अप इंडिया' और 'स्किल इंडिया' जैसी कई पहल की गई है। वर्तमान में भारत की जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 16-17 प्रतिशत है। सरकार का लक्ष्य है कि इसे 25 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए और 2022 तक 1000 लाख अधिक नौकरियां का सृजन किया जाए।

एसएमई को वित्तपोषण

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि एमएसएमई क्षेत्र एक समान नहीं है और इसलिए विभिन्न उद्यमों की प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं। अनेक प्रकार की चुनौतियां भी हैं। पर्याप्त ऋण तक समय पर पहुंच, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए जरूरी है और यह भी एक समस्या है। पर मध्यम और बड़े उद्यमों के लिए ऋण तक पहुंच इतनी बड़ी समस्या नहीं है। इसके लिए, सरकार द्वारा क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के अंतर्गत कवरेज को बढ़ा दिया गया है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अंतर्गत आने वाली इकाइयां अब चुनिंदा वित्तीय संस्थानों से एक करोड़ रुपए के बजाय दो करोड़ रुपए तक का कोलेट्रल फ्री लोन ले सकती हैं। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र की वित्तीय जटिलताओं और ऋण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए बाजार में नए मॉडल भी आ रहे हैं। कार्यशील पूंजीगत क्षेत्र में विभिन्न स्टार्ट-अप्स ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि एसएमईज़ के लिए आसानी से ऋण प्राप्त करना सुविधाजनक हो। इन वित्तीय संस्थानों और ऋण दाताओं के चलते एसएमईज़ को आर्थिक सुरक्षा मिलने की अधिक संभावना है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है, जिसमें हर साल सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना पूरे देश में रोजगार के अवसर पैदा करती है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार के अवसरों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के जरिए देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। कार्यक्रम में रोजगार सृजन की लिए काफी संभावनाएं हैं।

खादी और ग्रामोद्योग

खादी और ग्रामोद्योग भारत की दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विरासत हैं। यह क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम प्रति व्यक्ति निवेश के जरिए समाज के कमजोर वर्गों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के लिए मंत्रालय की ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों, विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराती हैं।

प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करना

आज विश्व बाजार पर अनेक बड़ी कंपनियों (ग्लोबल वैल्यू चेन्स) के बीच प्रतिस्पर्धा है। एक पसंदीदा सप्लायर बनने के लिए किसी उद्यम को बेहतर कार्य पद्धति अपनाते हुए और अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करते हुए न केवल नए समाधान पेश करने होते हैं, बल्कि अपने भागीदारों को अधिक से अधिक आकर्षक योजनाएं भी उपलब्ध करानी होती हैं। ऐसे में तकनीकी परिष्कार बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्तमान में मंत्रालय देश भर में 18 टूल रूम्स और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर्स के जरिए उच्च दक्षता और प्रौद्योगिकी सहायता देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके अतिरिक्त एमएसएमई की समूची उत्पादकता में सुधार करने के लिए मंत्रालय ने विश्व बैंक के वित्त पोषण से कतिपय केंद्रों का उन्नयन करने और प्रौद्योगिकी केंद्र सिस्टम प्रोजेक्ट (टीसीएसपी) के अंतर्गत 15 नए प्रौद्योगिकी केंद्र (टीसी) को स्थापित करने के लिए 2200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। केंद्र उद्यमियों के लिए अत्याधुनिक विनिर्माण प्रौद्योगिकियों, कुशल श्रम शक्ति और व्यावसायिक सलाहकार देने के लिए एमएसएमई का सहयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म और लघु उद्यमों की प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए एक क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) भी काम कर रही है। इस योजना में संयंत्र और मशीनरी के आधुनिकीकरण के लिए 15 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करती है, जो अधिकतम 15 लाख रुपये है। जून 2017 तक कुल 78.68 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिसका लाभ 1293 एमएसई को प्राप्त हुआ।

प्रधानमंत्री ने हाल ही में जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जेड) सर्टिफिकेशन में एमएसएमई के लिए वित्तीय सहायता की योजना शुरू की है। एमएसएमई के बीच जेड विनिर्माण के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन्हें जेड के लिए अपने उद्यम के मूल्यांकन के लिए प्रेरित करने एवं उन्हें समर्थन देने का यह एक व्यापक अभियान है।

बुनियादी ढांचे को मजबूती देना

किसी भी उद्यम के बाजार में अच्छी तरह से काम करने के लिए कुछ बुनियादी सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए जैसे यूटिलिटीज की सुविधा, बाजार, कुशल श्रम शक्ति और नवीनतम प्रौद्योगिकी आदि। इस संदर्भ में सरकार ने एमएसएमई के विकास के लिए क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण अपनाया है। संपूर्ण रूप से, यह दृष्टिकोण सहकारी व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। साथ ही व्यापार करने के लिए क्लस्टर स्तर पर मौजूद कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को भी समझाता है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है, जिसमें हर साल सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना पूरे देश में रोजगार के अवसर पैदा करती है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार के अवसरों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के जरिए देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। कार्यक्रम में रोजगार सृजन की लिए काफी संभावनाएं हैं।

पूंजी की कमी के कारण, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को आमतौर पर नवीनतम उपकरण और प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं होती इसलिए उनके उत्पाद कई बार गुणवत्ता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। क्लस्टर विकास कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे सामान्य उद्यमों के लिए ठोस परिसंपत्तियों का सृजन करना है, जैसे कॉमन फेसिटिलिटी सेंटर्स (सीएफसी), नवीनतम उपकरण, प्रौद्योगिकी, डिजाइन, परीक्षण सुविधाएं। सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से देश के क्लस्टर्स को लाभ पहुंचा है। मंत्रालय ने इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अधिक से अधिक क्लस्टर्स को लाने के लिए सूक्ष्म उद्यम- क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई - सीडीपी) और ग्रामीण एवं पारंपरिक क्लस्टर का उन्नयन (एसएफयूआरटीआई) जैसी योजनाओं के लिए व्यापक दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

नए बाजार तक पहुंच

सरकार ने एमएसएमई के मौजूदा बाजार को व्यापक बनाने और इसकी इकाइयों के बीच परस्पर संबंध कायम करने का लक्ष्य रखा है। यह कहा गया था कि केंद्र सरकार के मंत्रालय एवं विभाग और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सार्वजनिक खरीद नीति, एसएसई 2012 के आदेश के तहत अपनी 20 प्रतिशत वस्तुओं और सेवाओं की खरीद सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से करेंगे। यह नीति न केवल एमएसई पर केंद्रित है, लेकिन अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उद्यमियों को सार्वजनिक खरीद बाजार में हिस्सा लेने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। इसलिए, एससी-एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाली एमएसएमई से खरीद का 4 प्रतिशत का एक उप-लक्ष्य भी रखा गया है। इसके अतिरिक्त सामाजिक समूह के संदर्भ में एमएसएमई क्षेत्र के विश्लेषण से यह पता चलता है कि एससी-एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाली उद्यमों की अपनी स्वयं की समस्याएं हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने और एससी-एसटी वर्ग में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 18 अक्टूबर, 2016 को प्रधानमंत्री ने 490 करोड़ रुपए (2016 - 2020) के परिव्यय वाले राष्ट्रीय एससी-एसटी हब (एनएसएसएच) की शुरुआत की। एनएसएसएच का उद्देश्य एससी-एसटी उद्यमों को पेशेवर समर्थन प्रदान करना है। हब वर्तमान में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई)- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा संचालित है, जो एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन है। मौजूदा और नए एससी-एसटी उद्यमों द्वारा संयंत्र और मशीनरी की खरीद की सुविधा के लिए हब के तहत विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (एससीएलसीएसएस) को प्रारंभ किया गया है। इस योजना में 25% की अग्रिम पूंजीगत सब्सिडी राशि दी जाएगी।

मानव पूंजी

एमएसएमई के विकास के लिए नई प्रतिभाओं को आकर्षित करना और उन्हें बरकरार रखना महत्वपूर्ण है। 1.25 अरब से अधिक आबादी के बावजूद हमारे देश में दक्ष श्रमशक्ति दुर्लभ है। एमएसएमई क्षेत्र में देश की श्रमशक्ति की दक्षता बढ़ाने की कुंजी है, विशेष रूप से जब देश की 65 प्रतिशत आबादी 35 साल से कम आयु की है। प्रत्येक वर्ष रोजगार बाजार में दाखिल होने वालों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए कौशल आधारित प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास कार्यक्रमों (ईडीपी) पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी हो जाता है ताकि श्रमशक्ति के लिए नौकरियां तैयार की जा सकें। मंत्रालय द्वारा विकास आयुक्त (एमएसएमई) के

एससी-एसटी वर्ग में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने 490 करोड़ रुपए (2016 - 2020) के परिव्यय वाले राष्ट्रीय एससी-एसटी हब (एनएसएसएच) की शुरुआत की। एनएसएसएच का उद्देश्य एससी-एसटी उद्यमों को पेशेवर समर्थन प्रदान करना है। हब वर्तमान में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई)- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा संचालित है, जो एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन है।

कार्यालय के जरिए विभिन्न क्षेत्रों और व्यवसायों के लिए अनेक ईडीपी और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

निष्कर्ष

आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने और क्षेत्र के महत्व को समझने के बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए सरकार मौजूदा नीतियों/कार्यक्रमों को मजबूती दे रही है और कई अन्य पहल भी कर रही है। उदाहरण के लिए व्यापार सरलीकरण के अंग के रूप में और इस क्षेत्र को औपचारिक क्षेत्र बनाने के लिए, उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) को सितंबर 2015 में अधिसूचित किया गया है। यह व्यवस्था वन पेज सिंगल प्वाइंट रजिस्ट्रेशन प्रदान करती है, जिससे विलंब से बचा जा सके और मौजूदा उद्यम उद्यमिता ज्ञापन (ईएम) भाग-1 और भाग-2 में विविधता लाई जा सके। इससे अपने व्यवसायों को पंजीकृत करना एमएसएमई के लिए आसान होगा। इसके प्रारंभ होने के बाद उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) के तहत 35 लाख से अधिक इकाइयां पंजीकृत की गई हैं। इसके अलावा, जीएसटी के तहत *एक राष्ट्र एक कर* दृष्टिकोण के साथ, एमएसएमई द्वारा अपनी क्षमताओं का दोहन करने की संभावना बनती है।

कुल मिलाकर भारतीय एमएसएमई क्षेत्र में प्रगतिशील परिवर्तन के साथ, नवीनता और उद्यमशीलता के जरिए अनेक नीतिगत हस्तक्षेप व्यापार-अनुकूल परिवेश कायम करने में गतिशील भूमिका निभाएंगे। एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार सृजन और संपन्नता हासिल करने की अत्यधिक क्षमता है। राज्य सरकारों, उद्योग संघों, इन्क्यूबेटरों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, वित्तीय संस्थानों और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों सहित सभी हितधारकों को समान लक्ष्य प्राप्त करने और उच्च विकास एवं रोजगार के साझा दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए परस्पर सहयोग करना होगा। स्मरण रहे, विस्तृत श्रेणियों के उद्यमों के साथ एमएसएमई क्षेत्र में जनसंख्या संबंधी लाभांश प्राप्त करने की कुंजी है। ❑

संदर्भ

1. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2016-2017
2. उद्यमिता विकास पर संगीता शर्मा की किताब
3. मार्गन स्टेनले का रिसर्च पेपर द नेक्स्ट इंडिया
4. प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार और अन्य प्रेस विज्ञप्ति लेख
5. राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एनएमपी) और सार्वजनिक खरीद नीति, एमएसई आदेश 2012
6. डीसी-एमएसएमई और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट
7. भारत में एमएसएमईज़ की समस्याएं, रिसर्च गेट पब्लिकेशंस, 10 मई, 2016

www.afeias.com

IAS की Free तैयारी

IAS की परीक्षा के नि:शुल्क मार्गदर्शन के लिए डॉ. विजय अग्रवाल की वेबसाइट

इस पर आपको मिलेगा -

- प्रतिदिन ऑडियो लेक्चर
- अखबारों पर समीक्षात्मक चर्चा
- परीक्षा सम्बन्धी लेख
- आकाशवाणी के समाचार
- वीडिओ
- नॉलेज सेंटर
- अखबारों की महत्वपूर्ण कतरनें
- फ्री मॉक-टेस्ट।

सुनिए डॉ. विजय अग्रवाल का लेक्चर रोज़ाना

लॉग ऑन करें- www.afeias.com

डॉ. विजय अग्रवाल की पुस्तक

'आप IAS कैसे बनेंगे'

यह किताब IAS की तैयारी करने वालों के लिए एक 'चलता-फिरता कोचिंग संस्थान' है।

सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओं के यहाँ उपलब्ध

YH-655/6/2017

लघु एवं कुटीर उद्योग: प्रोत्साहन योजनाएं

एम चंद्रशेखर रेड्डी
दिब्येंदु चौधरी

एमएसएमई और एसआईडीबीआई मंत्रालय ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना को लागू करने के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास योजना (सीजीटीएमएसई) का शुभारंभ किया, जिसका लक्ष्य सहायक तृतीय पक्ष की गारंटी की बाधाओं के बिना बैंक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिससे युवा उद्यमी सूक्ष्म और लघु उद्योग (एमएसई) की अपनी एक इकाई स्थापित करने के सपने को साकार कर सकें

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र के विकास और प्रोत्साहन का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का होता है। भारत सरकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास और रोजगार सृजन के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के महत्व और उसकी क्षमता को पहचानती है। केंद्र सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कदम उठाने और नीति निर्माण की आवश्यकता को महसूस करती है और साथ ही राज्य सरकारों के प्रयासों में भी विभिन्न तरीकों से अपना योगदान देने में रुचि ले रही है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 भी इसी का एक परिणाम है। इस अधिनियम के बाद, लघु दर्जे के उद्योग (एसएसआई) और कृषि ग्रामीण उद्योग (एआरआई) का विलय करके 9 मई, 2007 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अलग से मंत्रालय बनाया गया। 6वीं आर्थिक जनगणना, 2013 के अनुसार इस क्षेत्र में 4 करोड़ 53 लाख इकाइयां शामिल हैं और यह क्षेत्र 11 करोड़ 70 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। यह कुल विनिर्माण उत्पादन का 45 प्रतिशत उत्पादित करता है और 40 प्रतिशत देश के निर्यात के लिए उपलब्ध करता है।

भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाये हैं। इनमें क्रेडिट की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए योजनाएं, गुणवत्ता सुधार और विपणन में सहयोग शामिल है। मुद्रा, स्टैंड-अप इंडिया, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड के कवरेज में वृद्धि और एमएसएमई को बैंकों द्वारा प्रदान किये जाने वाले ऋण की सीमा को बढ़ाने से उनके लिए ऋण सहयोग में काफी सुधार हुआ है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय खादी, कॉयर और ग्रामोद्योग के प्रोत्साहन के काम में जुटा हुआ है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) न केवल देश के विशाल ग्रामीण क्षेत्र के लिए तैयार सामानों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1 करोड़ 50 लाख लोगों को स्थायी रोजगार प्रदान करता है। खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र एक उत्कृष्ट उत्पाद की विरासत को दर्शाते हैं, जो हमारी संस्कृति और नैतिकता से जुड़े हुए हैं। समाज के मध्य और उच्च वर्ग इस क्षेत्र का मजबूत ग्राहक है।

मंत्रालय कॉयर (नारियल की जटा) इंडस्ट्री के प्रोत्साहन के काम में जुटा हुआ है, जिसने अपने आधार को केरल से बढ़ाकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य राज्यों तक बढ़ा लिया है। यह उद्योग 7 लाख से अधिक लागों को रोजगार प्रदान करता है और इसने वर्षों से निर्यात को बढ़ाने में योगदान दिया है। पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण कॉयर का उपयोग बढ़ रहा है। प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और कॉयर जियो-टेक्सटाइल जैसे उत्पादों के विविधीकरण के माध्यम से कॉयर उत्पादों में मूल्य संवर्धन की काफी संभावनाएं हैं।

एम चंद्रशेखर रेड्डी राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबाद, तेलंगाना के महानिदेशक हैं। वे भारत सरकारके विभिन्न मंत्रालयों की कलस्टर विकास परियोजनाओं के निर्माण में प्रभावी भूमिका निभा चुके हैं। कई किताबें भी लिख चुके हैं। ईमेल: dg@nimsme.org
दिब्येंदु चौधरी राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान में संकाय सदस्य हैं। ईमेल: dibchoudhury@gmail.com

सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय को सर्वप्रथम आईएसओ 9001-2008 प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाना गर्व का विषय है। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास एवं प्रोत्साहन के मिशन में मंत्रालय का समर्पण और उसकी वचनबद्धता स्पष्ट हो जाती है।

आईएसओ मानकों का कार्यान्वयन से मंत्रालय सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम होगा और इसकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता व जवाबदेही भी आएगी। केवीआईसी, कॉयर बोर्ड, एनएसआईसी और एनआईएमएसएमई और मंत्रालय की अन्य शाखाओं ने भी आईएसओ मानकों को अपनाकर प्रमाणपत्र प्राप्त किया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए वास्तव में यह गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री ने 18 अक्तूबर, 2016 को मंत्रालय की दो योजनाओं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति हब और *जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट* (जेड) का शुभारंभ किया। वर्ष 2007 में मंत्रालय के गठन के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री ने मंत्रालय की योजनाओं का अनावरण किया।

उन्होंने सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के लिए बढ़ायी गयी राशि और एमएसएमई के लिए बढ़ायी गयी ऋण सुविधा की घोषणा की थी। यह भी पहली बार हुआ कि 1 फरवरी, 2017 को पेश किये गये केंद्रीय बजट में एमएसएमई पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए उसे अलग किया गया, 50 करोड़ रुपये से कम का टर्न ओवर रखने वाले एमएसएमई के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को कम करके नीचे 25 से 30 प्रतिशत पर लाया गया।

एमएसएमई मंत्रालय की भूमिका

एमएसएमई मंत्रालय और इन संगठनों की भूमिका, उद्यमशीलता, रोजगार और आजीविका के अवसरों को प्रोत्साहित करने और बदले हुए आर्थिक परिदृश्य में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के राज्यों के प्रयासों में सहायता प्रदान करने की है। सुविधाएं प्रदान करने और उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय और उसके संगठनों द्वारा शुरू की गयी योजनाएं/कार्यक्रम:

1. वित्तीय संस्थानों/बैंकों से ऋण का समुचित प्रवाह,
2. प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए सहयोग,
3. समेकित अवसंरचनात्मक सुविधाएं,
4. आधुनिक परीक्षण सुविधाएं और गुणवत्ता प्रमाणन,
5. आधुनिक प्रबंधन प्रणालियों तक पहुंच,
6. समुचित प्रशिक्षण सुविधाओं के माध्यम से उद्यमिता विकास और कौशल उन्नयन,
7. उत्पाद के विकास, डिजाइन और पैकेजिंग के लिए सहयोग,
8. कारीगरों और श्रमिकों का कल्याण,
9. घरेलू और निर्यात बाजारों में बेहतर पहुंच के लिए सहायता
10. इकाइयों व उनके समूहों के क्षमता-निर्माण और सशक्तीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए क्लस्टर-वार कदम उठाना।

मंत्रालय ने एमएसएमई क्षेत्र के प्रोत्साहन के लिए विभिन्न विभागों के अंतर्गत कई योजनाएं शुरू की हैं, इसका विवरण नीचे दिया गया है।

सार्वजनिक खरीद में भाग लेने में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सहयोग बढ़ाने की दिशा में सरकार ने एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति की घोषणा की है। इसके तहत सरकारी उपक्रमों को 3 वर्षों की अवधि के बाद अनिवार्य रूप से कुल खरीद का 20 प्रतिशत सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदना होगा।

एसएमई डिवीजन योजनाएं

1. अंतरराष्ट्रीय सहयोग
2. प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई)
3. विपणन सहायता

विकास आयोग योजनाएं

1. ऋण गारंटी
2. प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए ऋण संबंधी पूंजी अनुदान
3. आईएसओ 9000 / आईएसओ 14001 प्रमाणन अदायगी
4. सूक्ष्म और लघु उद्यम समूह विकास कार्यक्रम
5. सूक्ष्म वित्तीय कार्यक्रम
6. एमएसएमई बाजार विकास सहायता
7. राष्ट्रीय पुरस्कार (व्यक्तिगत एमएसई)
8. राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम

- एमएसएमई (बार कोड) के लिए विपणन सहयोग/सहायता
- इनक्यूबेटर्स के माध्यम से एसएमई के उद्यमशीलता और प्रबंधकीय विकास
- क्यूएमएस और क्यूटीटी के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र को प्रतियोगी बनाना
- बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के संबंध में जागरूकता पैदा करना
- एमएसएमई के लिए कम विनिर्माण प्रतिस्पर्धा
- एमएसएमई विनिर्माण क्षेत्र के लिए डिजाइन विशेषज्ञता के लिए डिजाइन क्लिनिक (डिजाइन)
- विपणन सहायता और प्रौद्योगिकी उन्नयन
- एमएसएमई के लिए प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता उन्नयन सहयोग

एनएसआईसी योजनाएं

1. प्रदर्शन और क्रेडिट रेटिंग
2. बैंक ऋण सुविधा
3. कच्चा माल सहायता
4. एक स्थान पर पंजीकरण
5. सूचना और मीडिया सेवाएं
6. किराये पर विपणन सूचना सेवाएं
7. बिल में छूट
8. एनएसआईसी अवसंरचना

- हैदराबाद, प्रदर्शनी हॉल
- आईक इनक्यूबेटर
- विपणन-सह-प्रदर्शनी विकास व्यवसाय पार्क
- सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी और व्यवसाय पार्क
- नई दिल्ली, प्रदर्शनी मैदान

एआरआई डिवीजन योजनाएं

1. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
2. खादी कारीगरों के लिए जनश्री बीमा योजना
3. बाजार विकास सहायता (एमडीए)
4. विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना
5. कॉयर उद्यमी योजना
6. कॉयर विकास योजना

- निर्यात बाजार प्रोत्साहन
- कौशल उन्नयन और महिला कॉयर योजना
- उत्पादन अवसंरचना का विकास
- कॉयर श्रमिकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना
- व्यापार और उद्योग संबंधित कार्यात्मक सहायता सेवाएं (टीआईआरएफएसएस)
- घरेलू बाजार प्रोत्साहन योजना

7. कृषि उद्योग और उद्यमिता नवाचार के लिए प्रोत्साहन योजना (अस्पाइर)
8. पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए कोष पुनर्निर्माण योजना (स्फूर्ति)

मंत्रालय, युवा उद्यमियों को विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता हेतु ऋण से

जुड़ी अनुदान योजना यानि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को लागू कर रहा है। वर्ष 2014-16 (8 मार्च, 2016 तक) के दौरान 1,12,883 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिससे कुल 8,71,000 रोजगारों का सृजन हुआ। मंत्रालय ने 2015 में नवाचार और ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहन योजना (अस्पाइर) शुरू की थी। इस योजना को प्रौद्योगिकी केंद्रों और इनक्यूबेशन केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए तैयार किया गया था, जिससे कृषि-उद्योगों में उद्यमशीलता और नवाचार के लिए स्टार्ट-अप और उद्यमशीलता में तेजी लायी जा सके। अस्पाइर के नियोजित परिणामों से एसआईडीबीआई के साथ प्रौद्योगिकी बिज़नेस इन्क्यूबेटर्स (टीबीआई), आजीविका व्यवसाय इन्क्यूबेटर्स (एलबीआई) जैसी पहलों के लिए निधि कोष की स्थापना कर रहे हैं।

एमएसएमई और एसआईडीबीआई मंत्रालय ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना को लागू करने हेतु ऋण गारंटी निधि न्यास योजना (सीजीटीएमएसई) का शुभारंभ किया, जिसका लक्ष्य सहायक/तृतीय पक्ष की गारंटी की बाधाओं के बिना बैंक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिससे युवा उद्यमी सूक्ष्म और लघु उद्योग (एमएसई) की अपनी एक इकाई स्थापित करने के अपने स्वप्न को साकार कर सकें।

उद्योग आधार ज्ञापन

मूल रूप से उद्यमियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए है। उद्योग आधार ज्ञापन एमएसएमई मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे उद्योग आधार पोर्टल http://udyogaadhaar.gov.in पर ऑनलाइन दायर किया जा सकता है। उद्योग आधार ज्ञापन को भरने के लिए कोई शुल्क नहीं है और एक से अधिक उद्योग आधार ज्ञापन दाखिल करने पर रोक भी नहीं है। ज्ञापन आत्म-घोषणा आधार आदि पर दर्ज किया जा सकता है। अब तक 4.17 लाख से अधिक एमएसएमई पंजीकरण करवा चुके हैं।

विपणन के क्षेत्र में एमएसएमई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सार्वजनिक खरीद दुनियाभर में एमएसएमई के लिए एक प्रमुख बाजार है। सार्वजनिक खरीद में भाग लेने में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सहयोग बढ़ाने की दिशा में सरकार ने एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति की घोषणा की है। यह नीति 1 अप्रैल 2012 से प्रभावी हो गयी हैं। नीति के तहत किसी भी सरकारी मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र को 3 वर्षों की अवधि के बाद अनिवार्य रूप से कुल खरीद का 20 प्रतिशत सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदना होगा। समावेश को ध्यान में रखते हुए नीति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लोगों के स्वामित्व वाले उद्यमों से कुल खरीद का 4 प्रतिशत खरीद के लक्ष्य की घोषणा की गयी है।

भारतीय विनिर्माण उद्योग की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को बढ़ाकर इस क्षेत्र को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। क्यूएमएस/क्यूटीटी घटक के अंतर्गत वर्ष 2015-16 (31 जनवरी, 2016 तक) के दौरान कुल 43.15 करोड़ रुपये की लागत से कुल 52 कार्यक्रमों का संचालन किया गया।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने देश में उद्योग के विकास को सही प्रोत्साहन देने, विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की मदद करने के उद्देश्य से 18 प्रौद्योगिकी केंद्रों (टीसी) की स्थापना की है। ये प्रौद्योगिकी केंद्र भारतीय उद्योग को समुचित उपकरण और मशीनें, टूल एंड डाई क्षेत्र को प्रशिक्षित कारीगर उपलब्ध कराकर अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान करते हैं। इन प्रौद्योगिकी केंद्रों का मुख्य उद्देश्य संबंधित उत्पादों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव संसाधन विकसित करना है। ये केंद्र इस उद्यम क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चला रहे हैं।

अधिकांश विकसित देशों की जनसंख्या प्रौढ़ता की ओर बढ़ रही है, भारत 2020 तक दुनिया के सबसे कमउम्र देशों में एक होगा। इसलिए यह युवाओं पर निवेश करने का समय है।

सरकार लगातार एमएसएमई क्षेत्र में विकास को पुनर्जीवित कर रही है और मई 2015 के राजपत्र अधिसूचना जारी करके बीमार एमएसएमई को पुनरुद्धार और कार्यक्षम बनाने के लिए *सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनरुद्धार और कार्यक्षम बनाने के लिए फ्रेमवर्क* की पहल की है।

प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2015 को स्टैंड-अप इंडिया पहल की घोषणा की। इस योजना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की योजना है। इस योजना का लक्ष्य संस्थागत ऋण संरचना का लाभ उठाना है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला उधारकर्ताओं द्वारा ग्रीनफील्ड उद्यमों की स्थापना के लिए 7 वर्षों तक चुकाये जाने वाले 10 लाख रुपये से 100 लाख रुपये तक की ऋण की सुविधा प्रदान करके जनसंख्या के सबसे वंचित क्षेत्रों तक पहुंचना है।

स्टार्ट-अप इंडिया योजना की पहल का लक्ष्य स्टार्ट-अप के विकास के लिए सहायक पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देना है। सरकार देश में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए उनको विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्रों के स्टार्ट-अप को गुणवत्ता मानकों व तकनीकी मापदंडों में किसी तरह छूट दिये बिना उनको अनुभवहीनता के बावजूद कारोबार और बिक्री संबंधी शुरुआती छूट देगी। स्टार्ट-अप को शर्तों/आवश्यकताओं के अनुसार ही परियोजना को निष्पादित करना होगा और उनकी विनिर्माण इकाई भारत में होनी चाहिए।

अधिकांश विकसित देशों की जनसंख्या की आयु प्रौढ़ता की ओर बढ़ रही है, भारत 2020 तक दुनिया के सबसे कम उम्र के देशों में से एक होगा। इसलिए यह युवाओं पर निवेश करने का समय है। यह युवा जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 63 प्रतिशत होगी और उन्हें अपनी आजीविका के लिए समुचित रोजगार की आवश्यकता होगी। यह रोज़गार चाहे वेतन संबंधी रोजगार के माध्यम से हो या स्वरोज़गार के माध्यम से। युवा देश का सबसे जीवंत और ऊर्जावान हिस्सा हैं। इनको भविष्य में उद्योगों के लिए तैयार रहने हेतु रोजगार एवं समुचित विकास की आवश्यकता है।

एनआई-एमएसएमई की भूमिका

एनआई-एमएसएम की स्थापना वर्ष 1960 में नयी दिल्ली में भारत सरकार के उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग केंद्रीय औद्योगिक विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (सीईईटीआई) के रूप में की गयी थी। इसे सुस्त और अवरोधक प्रशासनिक नियंत्रणों और प्रक्रियाओं से मुक्त रखने का निर्णय लिया गया कि ताकि

आरेख 1: एमएसएमई प्रोत्साहन का प्रवाह

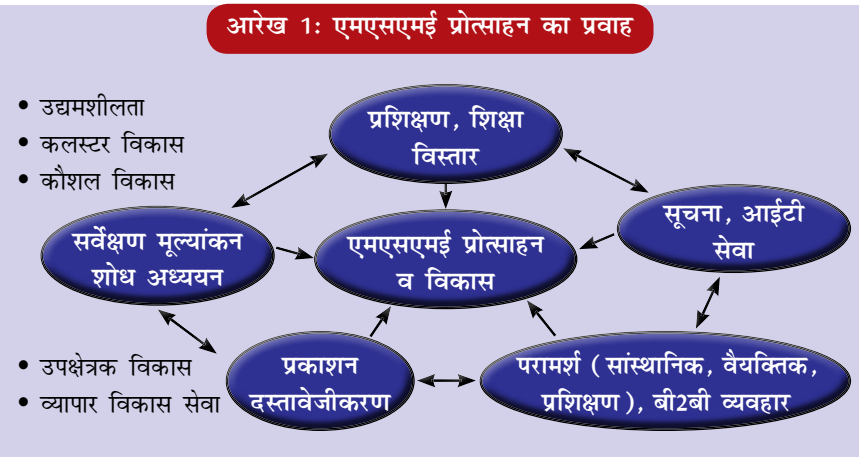

संस्थान छोटे उद्यमों के प्रोत्साहन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। इसलिए संस्थान को वर्ष 1962 में हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया और इसका नाम बदलकर लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण (एसआईईटी) संस्थान कर दिया गया था। एसआईईटी का प्रबंधन भारत सरकार द्वारा नियुक्त गवर्निंग काउंसिल द्वारा किया जाता है।

राष्ट्रीय स्तर हासिल करने के बाद संस्थान का नाम बदलकर एनआई-एसआईईटी और वर्ष 2007 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तत्वावधान में नोडल प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श विभाग के नाम को बदलकर एनआई-एमएसएमई कर दिया गया। हालांकि, नोडल संस्थान होने के नाते एनआई-एमएसएम को अब भी स्वायत्तता और स्व-वित्तपोषण हासिल है।

एनआई-एमएसएमए ने कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों जैसे सीएफटीसी (तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रमंडल फंड), यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन), यूएनडीपी (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम), फोर्ड फाउंडेशन, जर्मनी का जीटीजेड, यूएसएआईडी (अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की एजेंसी) और आईएलओ (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन) के साथ लाभकारी इंटरफेस हैं। एमएसएमई क्षेत्र, क्रॉस कौशल और कौशल उन्नयन इत्यादि के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के मंत्रालयों के साथ विभिन्न परामर्श सेवाएं प्रदान करने में जुटा हुआ है।

क्रियात्मक ढांचा

- **क्षमता निर्माण:** एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन विकसित करना (प्रौद्योगिकी हस्तांतरण/कुशल प्रशिक्षकों से उद्यमशीलता विकास/माइक्रोलैब, उद्यम विकास एवं प्रबंधन), राज्य के उद्यमशीलता विकास संस्थानों (ईआईडी) को क्षमता निर्माण के लिए सहयोग प्रदान करना। सीएफसी (एमएससीडीपी, स्फूर्ति) की स्थापना और प्रबंधन पर क्लस्टर एसपीवी के लिए अनुकूलित कार्यक्रम आयोजित करना।
- **सूचना प्रसार और ज्ञान प्रबंधन:** आईएसबीएन जर्नल एसईडीएमई का प्रबंधन, ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करना, एमएसएमई योजनाओं को नियमित प्रकाशनों (अंग्रेजी, हिंदी और भारत की अन्य आधिकारिक भाषाओं) के माध्यम से प्रसारित करना। एमएसएमई इन्फ़ो पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई न्यूज़ अपडेट्स प्रदान करना, सभी हितधारकों को समूह के समाचार प्रदान करना। उद्यमियों के लाभों के लिए एमएसएमई योजना और परियोजना प्रोफाइल हेतु गुगल स्टोर में ऑनलाइन आवेदन (एप्लिकेशन) उपलब्ध कराना।
- **अनुसंधान एवं नीति समर्थन:** एमएसएमई क्षेत्र के प्रमुख कार्यक्रमों पर विभिन्न राष्ट्र स्तरीय अध्ययन किया। पीएचडी शोध छात्रों के लिए एमएसएमई शोध छात्रवृति का प्रबंध करना। देश में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए कई राज्य सरकारों को अपने एमएसएमई विभागों (डीआई और डीआईसी) को पुनः संरचना और दूबारा डिजाइन करने का सुझाव दिया।
- **एमएसएमई में अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** एमएसएमई क्षेत्र, गैर-कृषि आजीविका, उद्यमिता विकास आदि पर अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम आयोजित किये गये। अब तक लगभग 10,000 विदेशी नागरिकों को एमएसएमई के कई आयामों में प्रशिक्षित किया गया।
- **नेटवर्किंग:** केन्द्रीय और राज्य सरकार में एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित विभिन्न समितियों में प्रतिनिधित्व करना, सीओडब्ल्यूई, एएलईएपी, डीआईसीसीआई सहित एमएसएमई संगठनों को सुदृढ़ करना और प्रोत्साहित करना। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थानीय एसएलबीसी सदस्य को भी नामित किया गया। डब्ल्यूटीसी, बीएमओ, राज्य सरकारों, उद्योग संघों और अन्य हितधारकों के साथ नेटवर्किंग।
- **समूहों के मानचित्रण:** समूहों की पहल, विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन और सार्वजनिक-निजी साझेदारी के माध्यम से सीएफसी के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को निर्देश प्रदान करना। विभिन्न समूहों में एसपीवी निर्माण, प्रौद्योगिकी, अन्य भागीदारों और वांछित परिणाम देने के लिए उनके प्रदर्शन की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।
- आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेशन आठ व्यापारों के साथ स्थापित किया गया था जो उद्यमियों को टिकाऊ आजीविका की ओर अग्रसर करता है और उन्हें बैंकों और वित्तीय समावेशन से जोड़ता है।

संस्थान ने वर्ष 2015-16 तक 14,034 कार्यक्रमों के आयोजन से 4,62,393 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों के भावी और मौजूदा उद्यमी व अधिकारी शामिल हैं। संस्थान भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की आईटीईसी योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। भारत सरकार ने 1976 से अब तक 142 विकासशील देशों के 9,450 अंतरराष्ट्रीय अधिकारियों को प्रशिक्षित किया और इसकी शुरुआत से अब तक 909 अनुसंधान और परामर्श परियोजनाओं को पूरा किया है। इस विरासत को जारी रखने के लिए कड़ी मेहनत की दरकार है। ❑

लघु एवं कुटीर उद्योग: प्रौद्योगिक समुन्नयन

बाला सुब्रह्मण्या मुंगिला हिलेमने

ज्यादातर विकासशील देशों में एमएसएमई वाहक से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के विकल्प को ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आंतरिक तौर पर प्रौद्योगिकी शोध एवं विकास में कमी के चलते वे बाहरी बाजार में हो रहे प्रौद्योगिकी बदलावों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते। इसकी वजह प्रौद्योगिकी जानकारी और विशेषज्ञता का अभाव है। हालांकि नीति निर्माण के स्तर पर इन उद्यमों को प्रौद्योगिकी सहायता उपलब्ध कराए जाने का फैसला हो चुका है

तमाम छोटी-बड़ी फर्मों के बीच एमएसएमई के पास अपने लिए जरूरी प्रौद्योगिकी को विकसित करने के संसाधन सीमित होते हैं। कम मानव संसाधन और सीमित धन होने के कारण एमएसएमई के उद्यमियों के पास प्रौद्योगिकी का विकास ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है और वे आंतरिक रूप से ही किसी भी प्रौद्योगिकी को विकसित करने की बजाय बाहरी प्रौद्योगिकीयों पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। (बुराटी एवं पेंको, 2001) जो विकसित और विकासशील दोनों की तरह के देशों के लिए अच्छा है।

स्वतंत्रता के बाद से ही भारत का दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में अपने एमएसएमई के जरिए एक विशिष्ट स्थान है। दुनिया भर में एमएसएमई के विकास एवं सीमाओं को नापने के पैमाने भारत में भी लागू होते हैं। एमएसएमई भारत की अर्थ व्यवस्था में काफी सार्थक योगदान करते हैं।

साल 2015-16 में इस सेक्टर से जुड़े 51 मिलियन उद्यमों ने 117 मिलियन लोगों को रोजगार दिया और इनसे जुड़े निर्यात की कीमत 8492 बिलियन रुपए तक पहुंची। साल 2012-13 में 18100 बिलियन रुपए का आउटपुट दिया (आरबीआई 2017)। 2014-15 में एमएसएमई की सकल घरेलू उत्पाद में 30.74 फीसदी की भागीदारी थी जिसमें से एमएसएमई के उत्पाद क्षेत्र की जीडीपी में भागीदारी 6.11 फीसदी थी। एमएसएमई के सेवा क्षेत्र की जीडीपी में भागीदारी 24. 63 फीसदी थी (एमएसएमई मंत्रालय 2017)।

इतने अच्छे प्रदर्शन के बावजूद असंगठित क्षेत्र में एमएसएमई, प्रौद्योगिकी विकास में काफी कमजोर रहे हैं (नेशनल कमीशन फॉर इंटरप्राइजेज इन द अन ऑर्गनाइज्ड सेक्टर)। इन नतीजों से पता चलता है कि एमएसएमई में प्रौद्योगिकी विकास के लिए निजी क्षेत्र के शामिल होने की भी संभावनाएं हैं और खासतौर से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के क्षेत्र में।

भारत में एमएसएमई को अमूमन प्रौद्योगिकी रूप से काफी अक्षम माना जाता है जो इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत बड़ा अवरोधक है (बाला सुब्रमण्यम 2014)। किसी फर्म के लिए लंबे वक्त तक विकास करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का साथ होना बेहद आवश्यक है। लेकिन इन उद्यमों की सीमाओं के चलते इनके लिए नई प्रौद्योगिकी के विकास में शोध करना या फिर बाजार में मौजूद नई एवं खर्चीली प्रौद्योगिकी को हासिल करना बेहद मुश्किल है (भारत सरकार 2010)।

ऐसे में अब सवाल उठता है कि एमएसएमई के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन के विकल्प क्या है? क्या प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सर्वोत्तम उपाय है? एमएसएमई को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए प्रोत्साहित करने के क्या तरीके हो सकते हैं? इन उद्यमों को प्रौद्योगिकी की कमी से बाहर निकालने के लिए क्या नीति होनी चाहिए? इस लेख में हम इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करेंगे।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का महत्व

सबसे छोटी परिभाषा के मुताबिक किसी भी प्रौद्योगिकी का मतलब उसके बौद्धिक अधिकार वाले ब्लू प्रिंट, योजना और फॉर्मूले

लेखक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई अपनी संख्या, उत्पादन, निर्यात, और रोजगार प्रदान करने की क्षमता के चलते नीति नियंताओं की नजर में अहम स्थान रखते हैं। अर्थव्यवस्था की समग्र विकास दर, रोजगार उत्पादन और सतत औद्योगीकरण के अलावा यह उद्यम नए प्रयोगों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ आय की असमानता को खत्म करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं (ओईसीडी 2017)। ईमेल: bala@iisc.ac.in

होते है (ईनोस 1989)। और इसके हस्तांतरण का उसी फर्म के किसी सहयोगी फर्म से साथ या फिर किसी दूसरे देश की फर्म के साथ बाकायदा करार करके किया जा सकता है (स्मिथ 1980)। दरअसल प्रौद्योगिकी एक ऐसी जानकारी है जिसके जरिए आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। इसमें बौद्धिक अधिकार जैसा सख्त पहलू शामिल है लेकिन इसके साथ-साथ मार्केटिंग और प्रबंधन की जानकारी जैसे नरम पहलू भी शामिल है। (स्टीवर्ट 1977)।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, आंतरिक तौर पर प्रौद्योगिकी के विकास का एक विकल्प है। आंतरिक तौर पर प्रौद्योगिकी को विकसित करना या फिर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करना किसी भी रणनीति का अहम हिस्सा होता है। (जाहरा 1994)। यह बात बड़े उद्योगों और एमएसएमई में समान रूप से लागू होती है। कोक एवं केलन के मुताबिक (2007) ज्यादातर विकासशील देशों ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को ही चुना है क्योंकि उनके लिए जरूरी प्रौद्योगिकी को विकसित करना उनकी सीमाओं से बाहर था। सीमित संसाधनों को समय के अभाव के चलते ज्यादातर फर्मों ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के विकल्प को ही अपनाया है। (स्टोक एवं टाटिकोंडा 2004)।

बाहरी प्रौद्योगिकी को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। किसी भी विश्वविद्यालय या रिसर्च सेंटर अथवा फर्म से प्रौद्योगिकी को हासिल करना या फिर उसके विकास में सहभागिता करना ही प्रौद्योगिकी हस्तांतरण होता है (किम 1990)।

प्रौद्योगिकी को किसी भी जानकारी या विचार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और उसके हस्तांतरण का मतलब उसे व्यक्ति या संस्थान के दिए दूसरे व्यक्ति/संस्थान तक पहुंचाना है। किसी भी एमएसएमई के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का मतलब उस उद्यम की मशीनों में वह प्रौद्योगिकी सुधार लाना या उस तरह की मशीनें लाना है जिनके जरिए उसके उत्पाद की गुणवत्ता और क्षमता को बढ़ाया जा सके।

भारत में एमएसएमई को अमूमन प्रौद्योगिकी रूप से काफी अक्षम माना जाता है जो इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत बड़ा अवरोधक है। किसी फर्म के लिए लंबे वक्त तक विकास करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का साथ होना बेहद आवश्यक है। लेकिन इन उद्यमों की सीमाओं के चलते इनके लिए नई प्रौद्योगिकी के विकास में शोध करना या फिर बाजार में मौजूद नई एवं खर्चीली प्रौद्योगिकी को हासिल करना बेहद मुश्किल है।

प्रौद्योगिकी का नवीनीकरण और हस्तांतरण की भूमिका: लक्ष्य, स्रोत, साधन और उपलब्धियां

भविष्य के लिहाज से देखें तो किसी भी उद्यम की तकदीर इस बात पर निर्भर करती है कि वह नई प्रौद्योगिकी का किस तरीके से प्रबंधन करता है (लेंक्टोंट एवं स्वान 2002)। किसी भी फर्म की प्रौद्योगिकी रणनीति का उद्देश्य नई प्रौद्योगिकी को हासिल करना और उसे अपनी फर्म के फायदे में उचित तौर पर इस्तेमाल करने का होता है। किसी भी फर्म द्वारा स्वयं उच्च प्रौद्योगिकी को विकसित करने का निर्णय अधिक जोखिम भरा होता है जबकि दूसरी फर्म से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के फैसले में जोखिम कम होते हैं।

आंतरिक रूप से नई प्रौद्योगिकी के शोध एवं विकास में आने वाले खर्चों के मद्देनजर अब प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का चलन विकसित हो रहा है (नूरी 1990)। इस बात के तर्क भी दिए जाते हैं कि किसी दूसरी फर्म से उन्नत प्रौद्योगिकी को खरीदने से फर्म के उत्पाद की गुणवत्ता काफी सुधर जाती है (लैंक्टोट एवं स्वान 2000)।

ज्यादातर विकासशील देशों में एमएसएमई वाहक से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के विकल्प को ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आंतरिक तौर पर प्रौद्योगिकी शोध एवं विकास में कमी के चलते वे बाहरी बाजार में हो रहे प्रौद्योगिकी बदलावों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते। इसकी वजह प्रौद्योगिकी जानकारी और विशेषज्ञता का अभाव है। हालांकि नीति निर्माण के स्तर पर इन उद्यमों को प्रौद्योगिकी सहायता उपलब्ध कराए जाने का फैसला हो चुका है।

ऐसे कई स्रोत हैं जिनके जरिए नई प्रौद्योगिकी को हासिल किया जा सकता है। नीचे दिए दिए गए कुछ स्रोत उनमें से एक हैं। (जेम एवं कोकाहो 2008)।

- किसी विश्वविद्यालय में शोध को प्रायोजित करके।
- कर्मचारियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करके एवं उनकी प्रौद्योगिकी क्षमताओं का आकलन करके
- एक बाहरी शोध एवं विकास केंद्र खोलकर
- बाजार में मौजूद नई प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी देने के लिए कंसल्टेंट्स को शामिल करके
- किसी भी अच्छी और प्रमाणिक प्रौद्योगिकी का लाइसेंस हासिल करके
- किसी भी वेंडर के जरिए किसी भी व्यवसायिक उपक्रम से प्रौद्योगिकी को खरीद कर किसी भी तरह के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को दों भागों में विभक्त किया जा सकता है। लंबवत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षैतिज प्रौद्योगिकी हस्तांतरण।

लंबवत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण वह होता है जब किसी भी प्रौद्योगिकी की मूल रिसर्च से लेकर वास्तविक रिचर्स, उसके विकास और

उत्पादन में उसका इस्तेमाल का हस्तांतरण होता है। ऐसा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किसी भी दिशा में हो सकता है। लेकिन बात जब क्षैतिज प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की आती है तो उसमें कोई भी प्रौद्योगिकी जो एक स्थान पर इस्तेमाल हो रही है उसे वैसे ही रूप में दूसरे स्थान पर इस्तेमाल करके किया जाता है। एमएसएमई में आमतौर पर इसी तरह का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किया जाता है।

क्षैतिज प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में मशीनों को एक फर्म से दूसरी फर्म में पहुंचाना पहला कदम होता है वहीं इस प्रौद्योगिकी को हासिल करने वाली फर्म को कर्मचारियों को इस प्रौद्योगिकी की ट्रेनिंग देना इसका दूसरा और सबसे अहम कदम होता है क्योंकि जो फर्म प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के जरिए इन मशीनों को हासिल कर रही है अगर उसके कर्मचारियों के पास इस प्रौद्योगिकी को ठीक तरीके से इस्तेमाल करने की जानकारी का अभाव बरकरार रहा तो फिर इस प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का पूरा फायदा नहीं मिल सकता है।

इस तरह के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में किसी भी फर्म के छोटे स्तर के कर्मचारी से लेकर उसके वैज्ञानिकों और उच्च स्तर के प्रौद्योगिकी कर्मचारियों तक को नई प्रौद्योगिकी को लेकर सजग रहना होता है। साथ ही इस तरह से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में इस प्रौद्योगिकी को हासिल करने वाली फर्म के कर्मचारियों की सीखने की क्षमता भी एक महत्वपूर्ण पहलू होती है।

किसी भी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की कामयाबी उस स्रोत पर निर्भर करती है जिसके जरिए कोई फर्म प्रौद्योगिकी को हासिल करती है। किसी भी गैर व्यवसायिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण का प्रौद्योगिकी स्टार्टअप, मौजूदा उद्यमों के विकास और रोजगार सृजन में अहम भूमिका होती है (पार्कर एवं जिलबर्मन 1993)।

अनुभवजन्य साहित्य में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को इस तरह से दर्शाया गया है

1. विश्वविद्यालयों से प्रौद्योगिकी का निजी इंटरप्राइजेज में हस्तांतरण (पार्कर एवं जिलबर्मन 1993; प्रॉक्टर 1993)।
2. सरकार समर्थित प्रयोगशालाओं से निजी एंटरप्राइजेज में प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण (कोल 1992) एवं

3. निजी एंटरप्राइजेज के बीच आपस में प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण (चक्रवर्ती 1993, पलनीस्वामी और बिशप 1993)।

वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण का करार एमएसएमई के लिए भी बना हुआ है। हालांकि व्यवहारिक तौर पर प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण कई पहलुओं पर निर्भर करता है जिसमे सबसे ज्यादा जरूरी बात है साझेदारों का शामिल होना। अगर दो साझेदारों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को लेकर उत्साह नहीं रहेगा तो फिर इसके करार की ताकत और प्रदर्शन की क्षमता कम हो जाती है। इसके अलावा दूसरे सबसे जरूरी पहलू किसी भी प्रौद्योगिकी की गुणवत्ता, जानकारी और अनुभव का पूरी तरह से हस्तांतरित होना होता है।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को हासिल करने वाली फर्म के भीतर भी इस तरह की पूरी तरह से इस्तेमाल करने की योग्यता और अनुभव भी इसका जरूरी पहलू होता है। आमतौर पर एमएसएमई में इस तरह की प्रौद्योगिकियों को लेकर जागरूकता की कमी होती है। इनके कर्मचारी इन प्रौद्योगिकियों की खूबियों और इनके स्रोतों से नावाकिफ होते हैं। वे कर्मचारी इनके इस्तेमाल के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं।

जहां तक प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की कामयाबी का सवाल है तो यह नए उत्पादों की संख्या बढ़ाने में कारगर रहने के अलावा उत्पाद के विकास में वक्त की कटौती करने, उत्पाद के निर्माण की लागत को कम करने के आलावा उत्पाद की बिक्री को बढ़ाने में भी मददगार साबित होता है।

एमएसएमई में इस तरह के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की दो पद्धतियां चलन में हैं। पहली के मुताबिक एक एमएसएमई से दूसरी एमएसएमई में प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण होता है और दूसरी के मुताबिक किसी बाहरी स्रोत से एमएसएमई में प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण होता है।

किसी भी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में शामिल एमएसएमई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पहलू प्रौद्योगिकी के शोध का डेटा, सूचना का हस्तांतरण, प्रौद्योगिकी सहयोग एवं विशेषज्ञता उपलब्ध कराना होता है।

किसी भी फर्म के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की कामयाबी जिन पहलुओं पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है उनमें फर्म के भीतर का राजनीतिक, कानूनी और प्रशासनिक माहौल सबसे अहम है। उसके अलावा नई प्रौद्योगिकी के स्रोत पर लोगों की पहुंच का भी इसकी कामयाबी पर असर पड़ता है। हालांकि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के नियम हर जगह एक जैसे नहीं हैं और यह विभिन्न देशों या फिर व्यवसायों में अगल-अलग हो सकते हैं।

जहां तक प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की कामयाबी का सवाल है तो यह नए उत्पादों की संख्या बढ़ाने में कारगर रहने के अलावा उत्पाद के विकास में वक्त की कटौती करने, उत्पाद के निर्माण की लागत को कम करने

प्रतिदर्श 1: प्रौद्योगिकी हस्तांतरण चक्र

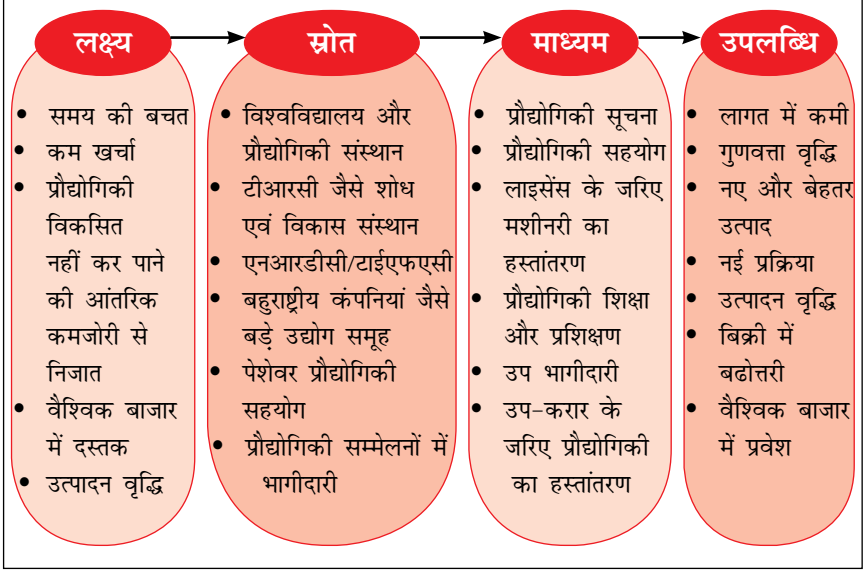

के आलावा उत्पाद की बिक्री को बढ़ाने में भी मददगार साबित होता है।

तमाम अध्ययनों से साबित हुआ है कि नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाने के साथ फर्म के बेहतरीन प्रदर्शन का अच्छा संबंध है बशर्ते यह आंतरिक शोध और विकास के साथ जुड़ा हुआ हो।

हाल ही में भारत के संदर्भ में यह बेंगलोर में आधारित इंजीनियरिंग एमएसएमई में साबित भी हुआ है। नवीनतम प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आंतरिक शोध एवं विकास के साथ-साथ फर्मों के आंतरिक कोशिशों के जरिए बेहद कामयाब रहा है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ बेहतरीन सामंजस्य बिठाने के लिए फर्मों को यांत्रिकी-अर्थव्यवस्था को विकसित करना होगा (बाला सुब्रमण्या 2015)।

इस विमर्श से निकले निष्कर्षों के आलोक में एमएसएमई के भीतर प्रौद्योगिकी नवीनीकरण के प्रयासों को उनके लक्ष्य, स्रोत, साधन और संभावित उपलब्धियों के आधार पर एक साथ करके देखा जा सकता है (प्रतिदर्श 1)।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और एमएसएमई: एक आधारभूत ढांचा

भारतीय एमएसएमई को अगर घरेलू बाजार में टिके रहने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में दस्तक देनी है तो उनके विकास के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सबसे ज्यादा आवश्यक पहलू है।

यह कई बार साबित हुआ है कि भारतीय एमएसएमई में प्रौद्योगिकी तौर पर उतने सक्षम नहीं है लिहाजा अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बनाने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है (एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार 2011; टीआईएफएसी 2017)।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लक्ष्य

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से एमएसएमई को कई लाभ होते हैं। समान्यत: भारतीय एमएसएमई की नई प्रौद्योगिकी को विकसित करने की क्षमता बेहद कम होती है। धनाभाव के चलते आंतरिक शोध एवं विकास पर खर्च नहीं किया जा सकता। उसके बाद भी अगर शोध में कोई कमी रह जाए तो फिर उसके जोखिम को उठाना भी मुश्किल है। कई बार इसमें बहुत लंबा वक्त भी लग जाता है। ऐसे में धन और इस क्षेत्र में विशेषज्ञता की कमी से निपटने के लिए भारतीय एमएसएमई प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का सहारा लेते हैं। जिसके जरिए किसी भी नई प्रौद्योगिकी को विकसित करने की आंतरिक कमजोरी से निजात पाई जा सके। कई मामलों में तो एमएसएमई अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतरने के लिए भी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का उपयोग करते हैं।

प्रौद्योगिक हस्तांतरण: स्रोत और माध्यम

एमएसएमई के पास प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के स्रोत और माध्यम होते हैं।

भारत सरकार से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से प्रौद्योगिकी सूचना एवं प्रौद्योगिकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है:

1. कोई विश्वविद्यालय या फिर प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी/ एनआईटी/ एनआईएससी) करार के तहत एमएसएमई को प्रयोगशाला की सहायता उपलब्ध करा सकते हैं। या फिर किसी भी शोध में मदद कर सकते हैं।
2. टेक्नोलॉजी रिचर्स सेंटर जैसे सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कोई भी शोध एवं विकास संस्थान एमएसएमई को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में मदद कर सकते हैं।
3. क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ नेशनल मेन्युफैक्चरिंग कंपटीटिव प्रोग्राम
4. एक बड़ा औद्योगिक समूह (घरेलू निजी औद्योगिक समूह, सार्वजनिक समूह या फिर बहुराष्ट्रीय समूह) किसी एमएसएमई के साथ उप-करार भी कर सकता है जिसके तहत अच्छी उन्नत प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जा सकती है।
5. भारत सरकार के विज्ञान एवं औद्योगिक शोध विभाग में पंजीकृत पेशेवर प्रौद्योगिकी कंसल्टेंट भी देश-विदेश से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सहायता दे सकता है।
6. घरेलू स्तर पर शैक्षिक संस्थान में कई तरह के शोधों को प्रायोजित करके आंतरिक रूप से परिष्कृत प्रौद्योगिकी को हासिल किया जा सकता है।
7. प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए तमाम सम्मेलनों में भागीदारी करके, उससे जुड़े जर्नल का अध्ययन करके या फिर इंटरनेट के जरिए नई प्रौद्योगिकी के बारे में खुद को जागरूक बनाया जा सकता है।
8. प्रौद्योगिकी की लाइसेंसिंग के जरिए जिसके तहत प्रौद्योगिकी की बौद्धिक संपदा पर हक रखने वाली कंपनी या व्यक्ति से उस प्रौद्योगिकी का लाइसेंस, पेटेंट, ट्रेडमार्क और सर्विस मार्क आदि को हासिल किया जा सकता है। और सके एवज में संबंधित कंपनी या व्यक्ति को भुगतान किया जाता है।
9. किसी भी वेंडर या माध्यम के जरिए किसी भी प्रौद्योगिकी को सीधे भी खरीदा जा सकता है। दिल्ली में आधारित संयुक्त राष्ट्र की संस्था एपीसीटीटी के

माध्यम से इस तरह की प्रौद्योगिकी को हासिल किया जा सकता है।

10. भारतीय एसएमई प्रौद्योगिकी सेवा लिमिटेड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को ऐसे प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है जहां से वे वैश्विक स्तर पर नई प्रौद्योगिकियों के साथ जुड़ कर अपने व्यापार में भागीदारी कर सकते हैं (आईएसटीएसएल 2017)।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की उपलब्धियां

एमएसएमई सामान्यत: प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के जरिए कई उपलब्धियां हासिल करने में कामयाब रहते हैं जिसमें से कुछ उपलब्धियां निम्नलिखित हैं।

- उत्पादन क्षमता में वृद्धि
- लागत में कमी
- बड़े पैमाने पर उत्पादन
- विभिन्न प्रकार के उत्पाद
- नए उत्पादों का विकास
- नई तरह के उत्पाद
- अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद
- वैश्विक बाजार में दस्तक
- बिक्री में बढ़ोत्तरी

आखिर में, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के जरिए एमएसएमई अपने कई लक्ष्यों को पाने में कामयाब रहते हैं। इन लक्ष्यों में प्रौद्योगिकी ज्ञान के अभाव से पार पाना और वैश्विक बाजार में प्रवेश पाना प्रमुख हैं। नई प्रौद्योगिकी हासिल करने के लिए एक अच्छे स्रोत के जरिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करना बेहतरीन उपाय है। एक बार जब प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एक अच्छे स्रोत की पहचान करके हस्तातंरण की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाता है तो उसके बाद एमएसएमई के लिए अपने लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल काम नहीं रहता।

मौजूदा वक्त में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एमएसएमई को विकसित करना बेहद आवश्यक है और उसके लिए उन्हें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए नई प्रौद्योगिकियों से लैस करने की भी दरकार है। ❑

संदर्भ

- http://www.apctt.org/technology&transfer
- **बाला सुब्रमणयम एमएच (2015):** एक्टर्नल टेक्नॉलॉजी एक्विजिशन एंड इकॉनमिक परफॉर्मेंस ऑफ एसएमई इन बेंगलोर: एन इंपिरिकल एनालिसिस। टेक्नॉलॉजी ट्रांसफर एंट एंटरप्रेनुअरशिप 2 (2), pp.101-111
- **बाला सुब्रमण्यम एमएस (2014):** एक्टर्नल टेक्नॉलॉजी एक्विजिशन ऑफ एमएसएमई इन इंजीनियरिंग इडस्ट्री इन बेंगलोर: वॉट प्रॉम्प्ट्स दैम टू मूव फास्टर फॉर एक्वीजिशन? जर्नल ऑफ मैन्यूफैक्चरिंग टैक्नोलॉजी मैनेजमेंट, 25(8), pp. 1174-1194
- **विशफ जे (2001):** टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री: करें
- स्टेटस एंड इमर्जिंग नीड्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, लखनऊ pp. 109-133
- **ब्रायचन टी (2001):** एसएमई एं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नेटवर्क्स इन इंडस्ट्रियल साउथ वेल्स
- इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लाइड मैनेजमेंट, 2 जून, pp. 87-101
- **बुरैटी एन एवं एल पेंसो (2001):** असिस्टेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू एसएमई: लेसन फ्म एन एक्जमेप्लरी केस, टेक्नोवेशन, 21, pp. 87-101
- **चक्रवर्ती ए द्रोर, आई एंड इकाबुस, एन (1993):** इंटर-ऑर्गनाइजनेशनल ट्रांसफर ऑफ नॉलेज: एन एनालिसिस ऑफ पेटेंट साइटेशन ऑफ डिफेंस फर्म, आई ट्रिपल ई ट्रांजेक्शन ऑन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, 40, pp. 91-94
- **कोले बी (1992):** कंवर्जन: डीओई लैब्स: मोडल्स फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, आई ट्रिपलई स्पेक्ट्रम, 29, pp. 53-57
- **डेम, टीयू एंट केकाग्लू, डीएफ (2008):** एक्सप्लोरिंग टेक्नोलॉजी एक्वीजिशन इन ओरिगॉन, टर्की एंड इन द यूएस इलैक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जर्नल ऑफ हाइ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट रिसर्च 29, pp. 53-57
- http://dcmsme.gov.in/publications/traderep/tbank.html
- **डीसीएमएसएमई (2014):** कंपेंडियम ऑफ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपटीटिवनेस प्रोग्राम एंड अदर मेजर स्कीम ऑफ गवर्मेंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
- **एनोस जे (1989):** टेकेनोलॉजी ट्रांसफर इंडिया पैसिफिक इकॉनोमिक लिटरेचर, 3, pp. 3-36
- **भारत सरकार (2010):** रिपोर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटर प्राइजेज, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, भारत सरकार, नई दिल्ली
- http://techsmall.com
- **किम ई वाई (1990):** मल्टीनेशनल : प्रिपरेशन फॉर इंटरनल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इन गिब्सन, डीवी एंड विलियम्स: टेक्नोलॉजी ट्रांसफर: अ कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव, सेज, लंदन
- **कोक टी एंड सी सेलन (2007):** फेक्टर्स इम्पैक्टिंग द इनोवेटिव कैपेसिटी इन लार्ज स्केल कंपनीज, टेक्नोवेशन, 27, pp. 105-114
- **टेंक्टोट के एंड स्वान के सी (2000):** टेक्नोलॉजी एक्वीजीशन स्ट्रेटजी इन एन इंटरनेशनली कंपटीटिव एनवॉयरमेंट, जर्नल ऑफ इंटरनशनल मैनेजमेंट, 6, pp. 187-215
- **मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई (2017):** वार्षिक रिपोर्ट 2016-17, भारत सरकार, नई दिल्ली
- **मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई (2011):** इनिशिएटिव्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इन रीसेंट ईयर्स, भारत सरकार, नई दिल्ली
- **नेशनल कमीशन फॉर इंटरप्राइजेज फॉप अन ऑर्डनाइज्ड सेक्टर (2009):** एक रपट
- ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फॉर इंटर प्राइजेज इनद अन ऑर्गनाइज्ड सेक्टर: स्टेटस कंस्ट्रेंट एंड रिकमंडेशंस, भारत सरकार, नई दिल्ली
- **नूरी एच (1999):** मैनेजिंग द डायनामिक्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, प्रेंटिस हॉल न्यूजर्सी
- **ओईसीडी (2017):** इनहांसिंग द कॉंट्रिब्यूशन ऑफ एमएसएमई इन ग्लोबल एंड डिजटलाइज्ड इकॉनमी, मीटिंग ऑफ ओईसीड काउंसिल एट मिनिस्टेरियल लेवल, 7-8 जून 2017, पेरिस
- www.nrdcindia.com
- **पलनीस्वामी एसएच एंड बिशप आर (1993):** ऑपरेशनल टेक्नॉलॉजी ट्रांसफर, कैन वी कैलकुलेट द बिहेवियर कॉस्ट? इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्रॉडक्शन इकॉनोमिक्स 30, pp. 323-330
- **पार्कर डीडी एंड जिल्बर्मन, डी (1993):** यूनिवर्सिटीज टेक्नोलॉजी टरांसफर्स: इम्पैक्ट ऑन यूएस एंड लोकल इकॉनमीज, कंटेम्परेरी पॉलिसी इश्यूस, 11, pp. 87-99
- **प्रॉक्टर पी (1993):** यूनिवर्सिटीज सीक रोल्स एस टेकनोलॉजी ट्रांसफर केटेलिस्ट्स, एविएशन वीक एंड स्पोस टेक्नोलॉजी, 139, pp. 55-56
- **आरबीआई (2017):** हेंडबुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकॉनमी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई
- **स्केनेल, वी, कैलेंटोन, आर जे एंड मैलिंक एस ए (2012):** शोप प्लोर मैन्युफैक्टरिंग टेक्नोलॉजी एडोप्शन डिसीजन, जर्नल ऑफ मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, 139, pp. 55-56
- **स्मिथ सी एच (1980):** जैपनीज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू ब्राजील, एन एबरर, यूएमआई रिसर्च प्रैस, मिच
- **स्टीवर्ट एफ (1977):** टेक्नोलॉजी एंड अंडर डेवलपमेंट, मैकमिलान, लंदन
- **आईएफएसी (2017):** http://tifac.org.in/index.php\option¾com_content&view¾article&id¾69
- **साइ केएच एंड वेंग, जे सी (2008):** एकेटर्नल टेक्नोलॉजी एक्वीजीशन एंड फर्म परफॉर्मेंस: अ लॉगिट्यूडिनल स्टडी, जर्नल ऑफ बिजनेस वेंचरिंग, 23(1), pp. 91-112
- **वेनेंजी डी (1996):** अ न्यू एप्रोच टी द आइडेंटिफिकेशन एंड सेलेक्शन ऑफ इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मोड्स: लॉजिकल फ्रेमवर्क एंड इंपिरिकल एविडेंस, टेक्नोवेशन, 16, pp 287-300
- **जाहरा, एसए, सिसोदिया, आर एंड दास, एस (1994):** डोमेस्टिक एंड टरनेशनल कंपटीटिवनेस फोकस, टेक्नॉलॉजी स्ट्रेटेजी एंड कंपनी परफॉर्मेंस: एंड इंपिरिकल एनालिसिस, इंटरनल जर्नल ऑफ टेक्नॉलॉजी मैनेजमेंट, 9, pp. 172-195

You Deserve the Best...

IAS GS World PCS

Committed to Excellence
ISO 9001 Certified

IAS-2016 में चयनित GS World के छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं...

Ganga Singh (Roll No. 0078265) Rank 33rd

Hemant Sati (Roll No. 0441143) Rank 88th

Dhawal Jaiswal (Roll No. 0807519) Rank 445th

Ashutosh Kr. Rai (Roll No. 0576755) Rank 500th

And Many More...

M.D.: Niraj SIngh | IAS : 2017-18 | Divyasen Singh (Co-ordinator)

दिल्ली केन्द्र

सामान्य अध्ययन
Foundation Batch
OPEN SEMINAR 09 NOVEMBER 11:45 am

NCERT Test Series
Every Saturday @ 3 pm
Objective Type || Total 40 Test

Prelims Test Series
Start from Nov. 12 - May 13
Total 16 Test
(8 Topic wise + 4 GS + 4 C-SAT)

Answer Writing Challenge
A New Initiative of GS World Team...
Bilingual
Every Sunday @ 12:30 pm
Knowing is not sufficient, we must apply...

इलाहाबाद केन्द्र

सामान्य अध्ययन
हिन्दी & English Separate Batch
Foundation Batch
10 Nov. 8:30 am

लखनऊ केन्द्र

Complete Prepration For IAS/PCS
GS Foundation Batch
15 Nov. 11:30 am / 5 pm
Bilingual

जयपुर केन्द्र

Complete Preparation for RAS
New Foundation Batch
12 Nov. 9:15 am

DELHI CENTRE	ALLAHABAD CENTRE	LUCKNOW CENTRE	JAIPUR CENTRE
705, 2nd Floor, Main Road, Mukherjee Nagar, Delhi-110009 Ph.: 011-27658013, 7042772062/63	GS World House, Stainly Road, Near Traffic Choraha, Allahabad Ph.: 0532-2266079, 8726027579	A-7, Sector-J , Puraniya Chauraha Aliganj, Lucknow Ph. : 0522-4003197, 8756450894	Hindaun Heights 57, Shri Gopal Ngr, Near Mahesh Ngr Police Station, Jaipur Ph. :9610577789, 9680023570

http://www.gsworldias.com || http://facebook.com/gsworld1 || 9654349902

YH-697/2/2017

लघु एवं कुटीर उद्योग: वित्तपोषण में चुनौतियां

अनिल भारद्वाज

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की अपनी खास जरूरतें और विभिन्न चुनौतियां हैं। सूक्ष्म उद्यम कुल मिलाकर *अनौपचारिक* और *असंगठित* हैं। इनमें से लगभग सभी प्रोपराइटरी भागीदारी फर्में हैं न कि कंपनियां। इस कारण इनके दायित्व असीमित हो जाते हैं। अपनी अनौपचारिक प्रकृति के कारण ये वित्तीय समावेशन की चुनौतियों का सामना करते हैं। इनके पास बैंकों के लिए आवश्यक जानकारी और दस्तावेज का अभाव होता है। लघु उद्यम बेहतर तरीके से संगठित हैं। इनकी मुख्य समस्याओं में जोखिम पूंजी प्राप्त करने में कठिनाई होती है

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ज्यादातर वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का आधार माना जाता है। सभी इनके व्यापक योगदान को स्वीकार करते हैं जो समाज के सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक और प्रौद्योगिकीय आयामों तक फैला हुआ है। इसके अलावा सभी इस बात को मानते हैं कि एमएसएमई को वित्त प्राप्त करने के लिए सभी जगह बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यद्यपि, ये परेशानियों के आकार विकसित और गरीब विकासशील देशों में अलग-अलग हो सकते हैं, फिर भी एमएसएमई को पैसे की कमी का सामना करना ही पड़ता है। आईएफसी/मैकिंसी ने दुनिया भर में औपचारिक और अनौपचारिक एमएसएमई के क्रेडिट अंतराल का अनुमान लगाया है, जो वैश्विक रूप से 3.9 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर है जिसमें से 2.1 से 2.6 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर उभरते हुए बाजारों में है।

एमएसएमई पर एक नजर

भारत पर नजर डालें तो यहां एमएसएमई की व्याख्या संयंत्र एवं मशीनरी (भूमि और भवन को छोड़कर) में निवेश के आधार पर की जाती है जो अन्य ज्यादातर देशों में उत्पादन/रोजगार आधारित मानदंड से बिल्कुल अलग है। (तालिका 1)

चौथे एमएसएमई सर्वेक्षण (2006-07) और छठें आर्थिक सर्वेक्षण (2013) के आधार पर, केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट (2016-17) में अनुमान लगाया गया है कि भारत में 5.13 करोड़ एमएसएमई हैं जिनमें 11.1 करोड़ लोग रोजगाररत हैं। भारत के विनिर्माण उत्पादन और एमएसएमई सकल मूल्यवर्धन में एमएसएमई का योगदान तालिका 2 में वर्णित है।

इसके अलावा, चौथे एमएसएमई सर्वेक्षण यह बताता है कि लगभग 90 प्रतिशत एमएसएमई निधीयन के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं।

इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से आंकड़े चुने गए हैं, यह स्पष्ट है कि एमएसएमई के लिए ऋण की मात्रा मांग की तुलना में बहुत कम है। एमएसएमई क्षेत्र में कुल 32.5 लाख करोड़ रुपए (650 बिलियन अमरीकी डॉलर) के वित्त की आवश्यकता है। इसमें से डेबिट मांग 26 लाख करोड़ रुपए (520 बिलियन अमरीकी डॉलर) और इक्विटी मांग 6.5 लाख करोड़ रुपए (130 बिलियन अमरीकी डॉलर) है।

तालिका 1: एमएसएमई की परिभाषा

श्रेणी	विनिर्माण (रुपए में) (संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश)	सेवाएं (रुपए में) (उपकरण में निवेश)
सूक्ष्म	25 लाख से अधिक नहीं	10 लाख से अधिक नहीं
लघु	25 लाख से अधिक किन्तु 5 करोड़ से कम	10 लाख से अधिक किन्तु 2 करोड़ से कम
मध्यम	5 करोड़ से अधिक किन्तु 10 करोड़ से कम	2 करोड़ से अधिक किन्तु 5 करोड़ से कम

लेखक भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम महासंघ (एफआईएसएमई) दिल्ली के महासचिव हैं। वे एसएमईएस की तरक्की के लिए केंद्र द्वारा गठित विभिन्न उच्चस्तरीय समितियों में शामिल रहे। विश्व बैंक की विभिन्न एसएमई विकास परियोजनाओं के सलाहकार भी रहे। ईमेल: sg@fisme.org.in

तालिका 2: भारत के विनिर्माण उत्पाद में लघु, कुटीर उद्योगों की भूमिका

मौजूदा मूल्यों पर विनिर्माण उत्पादन			आधार वर्ष 2011-12 के लिए स्थिर मूल्यों पर एमएसएमई जीवीए से जीवीए/जीडीपी का हिस्सा (%)					
वर्ष	एमएसएमई विनिर्माण उत्पादन*	कुल विनिर्माण उत्पादन में हिस्सा (%)	एमएसएमई विनिर्माण		एमएसएमई सेवा		कुल	
			जीवीए में	जीडीपी में	जीवीए में	जीडीपी में	जीवीए में	जीडीपी में
2011-12	2167110	33.12	6.64	6.16	25.66	23.81	32.29	29.97
2012-13	2385248	33.22	6.77	6.27	26.05	24.13	32.89	30.40
2013-14	2653329	33.27	6.79	6.27	26.40	24.37	33.19	30.64
2014-15	2783433	33.40	6.63	6.11	26.72	24.63	33.34	30.74

*करोड़ रुपये में

स्रोत: विभिन्न सर्वेक्षणों से परिकलित

एमएसएमई के लिए औसत बकाया बैंक ऋण के लगभग 2 करोड़ ऋण खातों में 11 लाख करोड़ रुपए (मार्च 2016) तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, जिसके 10.34 लाख करोड़ रुपए (तालिका 3) रहने का अनुमान था। इसकी तुलना में अनुमानित आवश्यकता 26 लाख करोड़ रुपए है तथा एमएसएमई की संख्या 5 करोड़ है।

यह जाहिर है कि मौजूदा वित्तीय ढांचे के साथ एमएसएमई के एक बड़े वर्ग तक नहीं पहुंचा जा सका है। ऐसी कौन-सी बाधाएं हैं जिनके कारण इतने सारे एमएसएमई संस्थागत वित्तीय व्यवस्था के बाहर छूट गए हैं? यह स्थिति मांग और आपूर्ति, दोनों पक्ष की है।

आपूर्ति संबंधी अवरोध

भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में सहकारी ऋण संस्थाओं के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंक, निजी क्षेत्र के 26 बैंक, 46 विदेशी बैंक, 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1,574 शहरी सहकारी बैंक और 93,913 ग्रामीण सहकारी बैंक शामिल हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण के तहत बैंकिंग प्रणाली संपत्ति के 70 प्रतिशत से अधिक पर नियंत्रण रखते हैं। भारत में सरकारों पर लंबे समय से यह आरोप लगता रहा है कि वे बजट घाटे को पूरा करने, राजनीतिक योजनाओं को वित्तपोषित करने और अपनी पसंद की परियोजनाओं/प्रवर्तकों के लिए निधि के प्रवाह को प्रभावित करने के लिए बैंक जमा को एक ओर (सरकारी प्रतिभूतियों और बंधपत्रों के जरिए) रख देते हैं।

सबसे पहले, पीएसयू बैंकों, जो बैंकिंग प्रणाली के सबसे शक्तिशाली घटक हैं, पर सरकार का कड़ा नियंत्रण है जिसके कारण बैंक के मालिकों और ग्राहकों दोनों के लिए कमतर प्रतिस्पर्धा होती है और कमतर परिणाम सामने आते हैं।

दूसरा, बैंकों (20 से अधिक शाखाओं वाले स्वदेशी वाणिज्यिक बैंक और विदेशी बैंक दोनों) के लिए अपने कुल अग्रिम का 40 प्रतिशत *प्राथमिकता वाले क्षेत्र* को ऋण देना अपेक्षित है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र शामिल है, जिसका लक्ष्य 18 प्रतिशत है तथा अन्य क्षेत्रों में एमएसएमई, शिक्षा, आवास और निर्यात ऋण आते हैं।

एक बात तो साफ है कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के ऋण देने संबंधी लक्ष्यों में एमएसएमई के लिए अलग से कोई उप-बजट नहीं है। एमएसएमई को आवास और शिक्षा जैसे उन क्षेत्रों के साथ रखा गया है, जिन्हें बैंक अधिक फायदेमंद और आसान मानते हैं।

तीसरा, औद्योगिक वित्तीयन वित्तीय संस्थाओं से दो विशेष अपेक्षाएं पूरी करने की परिकल्पना करता है- लंबी अवधि के लिए ऋण देने की क्षमता चूंकि परियोजनाओं को परिपक्व होने में समय लगता है, और व्यवसाय चक्र तथा प्रौद्योगिकी को समझने के लिए क्षेत्र की तकनीकी जानकारी। औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1950 और 1960 के दशक में आईडीबीआई, आईसीआईसीआई आदि जैसे अनेक विशेषज्ञ संस्थाओं का गठन किया गया था। 1991 से पहले औद्योगिक विकास वित्तीयन संस्थाओं (दीर्घावधि के लिए) द्वारा परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जाता था तथा बैंक कार्यशील पूंजी (अल्पावधि) उपलब्ध कराते थे। ऐसी ही संस्थाएं राज्यों में भी मौजूद थीं जहां राज्य वित्तीय निगमों (एसएफसी) एमएसएमई को परियोजना वित्त उपलब्ध कराते थे। उदारीकरण के बाद, वित्तीय संस्थाओं ने वाणिज्यिक बैंकों में विलय अथवा रूपांतर के जरिए वाणिज्यिक बैंकों के लिए मार्ग प्रशस्त किया और अधिकांश एसएफसी बंद हो गए।

किन्तु, बैंकों की समस्या है कि वे अपेक्षाकृत कम अवधि की जमा लेते हैं और इसलिए लंबी अवधि के लिए ऋण देने से कतराते हैं क्योंकि इससे उनकी परिसम्पत्ति-दायित्व स्थिति अनिश्चित हो जाती है। इसके अलावा, उनमें तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव है जो क्षेत्रगत जटिलताओं को समझने के लिए आवश्यक

तालिका 3: एमएसएमई को औसत बैंक ऋण प्रवाह (बकाया ऋण करोड़ रुपए में)

वर्ष (सूचित किया गया अंतिम शुक्रवार)	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक	सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
मार्च 2012	5,33,279.29	1,24,725.66	23,300.71	6,81,305.66
मार्च 2013	6,43,525.02 (20.7%)	1,82,247.82 (46.1%)	43,251.30 (85.6%)	8,69,024.14 (27.6%)
मार्च 2014 (अनंतिम)	7,54,391.07 (17.2%)	2,46,025.76 (35.0%)	34,359.17 (-20.6%)	10,34,775.99 (19.1%)

नोट: ब्रेकेट में दिए गए आंकड़े साल-दर-साल वृद्धि/कमी का प्रतिशत दर्शाते हैं। स्रोत: आरबीआई

तालिका 4: एमएसएमई के लिए गैर-कार्यनिष्पादित सकल परिसम्पत्ति (एनपीए)
(बकाया सकल एनपीए राशि करोड़ रुपए में और एनपीए % में)

वर्ष (सूचित किया गया अंतिम शुक्रवार)	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक	सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
मार्च 2012	24,272.44 (6.1%)	1,880.73 (1.7%)	159.83 (0.7%)	26,312.99 (5.0%)
मार्च 2013	28,575.29 (5.7%)	2,506.44 (1.6%)	396.23 (1.3%)	31,477.96 (4.6%)
मार्च 2014 (अनंतिम)	38,949.80 (6.3%)	3,021.63 (1.5%)	457.36 (1.5%)	42,428.79 (5.0%)

नोट: *ब्रेकेट में दिए गए आंकड़े एनपीए प्रतिशत को दर्शाते हैं* **स्रोत:** *आरबीआई*

है। इसलिए, सहज रूप से बैंकर औद्योगिक परियोजनाओं को तब तक जोखिमपूर्ण मानते हैं जब तक कि प्रमोटर प्रतिष्ठित न हों और परियोजनाओं के अनुमोदन के निर्णय समिति के जरिए अथवा कंसोर्टियम द्वारा ऋण प्रदान किए जाने जैसे तरीके से लिए जाएं जिससे व्यक्तिगत बैंक अधिकारी असफलता की स्थिति से न डरें। स्वाभाविक रूप से, बड़े व्यावसायिक घराने और बड़े कॉरपोरेट इस परीक्षा में पास हो जाते हैं। एमएसएमई के मामले में, जहां प्रोमोटर इतने विख्यात नहीं होते तथा नए उद्यमी होते हैं, वहां बैंकर अपने जोखिम को कम करने के लिए ऋण हेतु ऋणाधार आधारित परिसम्पत्ति पर जोर देते हैं। परिसम्पत्ति आधारित ऋणाधार न रखने वाले संभावित एमएसएमई प्रोमोटरों को छोड़ दिया जाता है। और जब कुछ प्रोमोटर ऋणाधार लाते भी हैं तो वह ऋण के आकार के अनुरूप नहीं होता जिससे परियोजना का आकार छोटा हो जाता है।

इसके अलावा, भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग मानक बेसिल-II मानक अपनाने से एमएसएमई को ऋण प्रदान किया जाना और कठिन हो गया है। बेसिल-II का पालन करते हुए आरबीआई वित्तीय संस्थाओं से यह अपेक्षा रखता है कि वे कार्य संचालन में आने वाले जोखिम का सामना करने के लिए 'पर्याप्त' नगद आरक्षित रखें। चूंकि बड़े कॉर्पोरेट क्षेत्र को परिसम्पत्ति आधारित ऋण नहीं दिया जाता है, इसलिए एमएसएमई को परिसम्पत्ति आधारित ऋण पर अतिरिक्त प्रीमियम देना पड़ता है। आरबीआई बैंकों से यह भी कहता है कि वे क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटिंग दिए जाने वाले अपने निवेश को 5 करोड़ से अधिक रखें। केवल इतना ही नहीं, आरबीआई बैंकों को पूर्व चेतावनी प्रणाली, विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) अपनाने का भी अधिदेश देता है जहां मूलधन अथवा ब्याज के भुगतान में 30 दिन की देरी होने पर भी उनके 90 से अधिक दिन के भुगतान चक्र के जरिए इसकी सूचना दी जाती है। एमएसएमई को इन सभी उपायों के खतरों का सामना करना पड़ता है।

अंतत: कुछ समय पहले तक यह स्थिति थी कि कागजों पर तमाम तरह के कानूनी उपायों के बावजूद वित्तपोषित व्यवसाय के असफल रहने पर बैंकरों के लिए परिसंपत्ति (कार अथवा मकान से अलग) का अधिकार प्राप्त करने में काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी, कठिन और खर्चीली होती है कि बैंकर जोखिम लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होते।

अंतत: सबसे महत्वपूर्ण संस्थागत सुधारों में से एक भारतीय दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 का लागू होना है। इस संहिता के तहत बोर्ड ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया है। कार्पोरेट कंपनियों (कंपनी अधिनियम द्वारा शासित) के लिए नियमों और विनियमों को अधिसूचित किया गया है तथा व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों (मुख्य रूप से एमएसएमई) के लिए नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आईबीआईसी बीमारी का समाधान करने के लिए तैयार है।

मांग संबंधी अवरोध

एमएसएमई एक मिला-जुला क्षेत्र है जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की श्रेणियां शामिल हैं जिनकी अपनी विशेष जरूरतें और विभिन्न चुनौतियां हैं। सूक्ष्म उद्यम कुल मिलाकर 'अनौपचारिक' और 'असंगठित' हैं। इनमें से लगभग सभी प्रोपराइटरी भागीदारी फर्में हैं न कि कंपनियां जिस कारण उनके दायित्व असीमित हो जाते हैं। इनमें से कई अनधिकृत/गैर-अनुमोदित जगह से कार्य करते हैं चूंकि अनुमोदित वाणिज्यिक स्थल या तो उपलब्ध नहीं होते अथवा अधिकांश की पहुंच से बाहर होते हैं। अपनी अनौपचारिक प्रकृति के कारण ये वित्तीय समावेशन की चुनौती का सामना करते हैं, इनके पास बैंकों के लिए आवश्यक जानकारी और दस्तावेज का अभाव होता है।

लघु उद्यम श्रेणी अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से संगठित है तथा मुख्यत: बी2बी श्रेणी में कार्य करती है। इनकी मुख्य समस्याएं हैं नया व्यवसाय शुरू करने के लिए जोखिम पूंजी प्राप्त करने में कठिनाई, पर्याप्त और अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता चूंकि उनके बड़े खरीदार आमतौर पर भुगतान में देरी करते हैं।

एमएसएमई क्षेत्र के भीतर मध्यम उद्यम श्रेणी को वैश्विक रूप से मजबूत और संभावनाओं से भरपूर श्रेणी माना जाता है चूंकि यह सही स्तर पर काम करती है तथा यह अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकती है। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से भारत में यह श्रेणी सबसे छोटी है क्योंकि अधिकांश लघु उद्यम इस स्तर तक पहुंच ही नहीं पाते। कुल 5 करोड़ एमएसएमई में से 25000 कंपनियां भी ऐसी नहीं हैं जो इस वर्ग में शामिल हो सकें। अक्सर, भारत में इस परिदृश्य को 'मध्यम का अभाव' कहा जाता है। बैंकों की सहायता की गुणवत्ता में कमी के अलावा इस श्रेणी द्वारा अनुभव की जाने वाली बाधाएं इस प्रकार हैं: बैंकों द्वारा अतिरिक्त ऋणाधार की अपेक्षा, इक्विटी/आधारभूत पूंजी तक पहुंच, बाहरी वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी) सहित विदेशी मुद्रा ऋण और गैर-निधि आधारित बैंक सुविधाओं (जैसे बैंक गारंटी, कार्यनिष्पादन गारंटी) का प्रतिस्पर्धी मूल्य।

नीतिगत प्रतिक्रिया

नीति निर्माताओं ने इनमें से ज्यादातर चुनौतियों को समझा और इनके समाधान के लिए कदम भी उठाए हैं। पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) जैसी योजनाओं के साथ बड़े वित्तीय समावेशी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। बैंकिंग क्षेत्र पर जोर दिया गया है तथा बैंक अनौपचारिक क्षेत्र तथा उन क्षेत्रों तक पहुंचे हैं, जहां वे पहले कभी नहीं पहुंचे।

बैंकरों को और सुविधा मुहैया करने के लिए, एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी न्यास (सीजीटीएमएसई) का गठन किया गया है ताकि एमएसई ऋणाधार के बिना ऋण प्राप्त करने में सक्षम हो सके। यह निधि ऋण में चूक की स्थिति में बैंकों को ऋण की राशि के 75 प्रतिशत तक का बीमा उपलब्ध कराती है। वित्त वर्ष-2015-16 के अंत तक सीजीटीएमएसई ने समग्र रूप से 23,23,673 ऋण गारंटी दी जिसका कुल मूल्य 1,08,991 करोड़ रुपए है। भारत में एमएसएमई में सूचना के असामंजस्य की समस्या, जिसके परिणामस्वरूप 'अति तत्परता' का सामना करना पड़ता है, के समाधान के लिए चार ऋण सूचना ब्यूरो नामत: सीआईबीआईएल, इक्विफैक्स, एक्सपेरियन और हाइमार्क बनाए गए हैं।

एमएसएमई को चल संपत्ति के मौद्रीकरण में सहायता करने के लिए, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन असेट रीकन्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट (सीईआरएसएआई) ने चल संपत्ति रजिस्ट्री का गठन किया है जो बैंक वित्त प्राप्त करने के लिए चल सम्पत्ति को गिरवी करने की अनुमति देती है।

एमएसएमई को ग्रीनफील्ड अथवा मौजूदा व्यवसाय के विकास के लिए इक्विटी प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए बीएसई और एनएसई दोनों को डेडिकेटिड एसएमई एक्सचेंज बनाने की अनुमति दी गई है।

इसके अलावा, एमएसएमई को भुगतान में विलंब की समस्या का समाधान करने के लिए आरबीआई ने ट्रेड रिसीवेबल्स डिसकाउंटिंग सिस्टम (टीआरडीएस) चलाने के लिए तीन कंपनियों को लाइसेंस दिए हैं। ये मंच इलैक्ट्रॉनिक बिल फैक्टीरिंग एक्सचेंज की तरह काम करते हैं जहां एमएसएमई के इनवाइस/बिल का इलैक्ट्रॉनिक रूप से लेन-देन किया जा सकता है।

एमएसएमई को भुगतान में विलंब की समस्या का समाधान करने के लिए आरबीआई ने ट्रेड रिसीवेबल्स डिसकाउंटिंग सिस्टम (टीआरडीएस) चलाने के लिए तीन कंपनियों को लाइसेंस दिए हैं। ये मंच इलैक्ट्रॉनिक बिल फैक्टीरिंग एक्सचेंज की तरह काम करते हैं जहां एमएसएमई के इनवाइस/बिल का इलैक्ट्रॉनिक रूप से लेन-देन किया जा सकता है।

अंतत: सबसे महत्वपूर्ण संस्थागत सुधारों में से एक भारतीय दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 का लागू होना है। इस संहिता के तहत बोर्ड ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया है। कार्पोरेट कंपनियों (कंपनी अधिनियम द्वारा शासित) के लिए नियमों और विनियमों को अधिसूचित किया गया है तथा व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों (मुख्य रूप से एमएसएमई) के लिए नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आईबीआईसी बीमारी का समाधान करने के लिए तैयार है। तनावपूर्ण परिसम्पत्तियों को वित्तदाता द्वारा जल्द ही पुन: प्राप्त तथा पुन: फैलाया जा सकता है जिससे वित्तीय व्यवस्था में अनुशासन और विश्वास कायम होगा। इससे एनपीए के समाधान में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है।

आगे का रास्ता

इन संस्थाओं के गठन से आधुनिक वित्तीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण आवश्यकता पूरी हुई है। तथापि, ये आवश्यक उपाय हैं किन्तु पर्याप्त नहीं हैं। जैसे कैंसर के मरीज के लिए विटामिन, पौष्टिक खाना और व्यायाम जरूरी हो सकता है किन्तु उसे तब तक नहीं बचाया जा सकता जब तक कैंसर सेल को पूरी तरह से खत्म न कर दिया जाए।

एक करोड़ लोगों के लिए प्रति वर्ष नौकरियों का सृजन करने की चुनौती का सामना करने के लिए भारतीय बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली में व्यापक सुधार की अभूतपूर्व आवश्यकता है। दूरसंचार की तरह ही बैंकिंग में भी क्रांति की जरूरत है ताकि ऐसी स्थिति का निर्माण किया जा सके, जहां सेवा प्रदाता ग्राहकों के पीछे भागें। सरकार को बैंकिंग से बाहर निकलना होगा तथा प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र हेतु जगह खाली करनी होगी। दूसरा, बैंकों द्वारा मध्यस्थता की परंपरागत भूमिका को दूरसंचार कंपनियों तथा डिजिटल वित्तीय मंचों और वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों जैसी नई कंपनियों से चुनौती मिल रही है। हमें इन उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के प्रति अपनी नीतिगत प्रतिक्रिया में तेजी लानी होगी। (हम पिछले 5 वर्षों से पी2पी मंच के बारे में वाद-विवाद कर रहे हैं लेकिन आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं)। आखिरकार डिजिटलीकरण पर जोर देने, विमुद्रीकरण और जीएसटी लागू होने से कारोबार करने के तरीके में मूलभूत परिवर्तन होगा क्योंकि वाणिज्यिक लेन-देन पर अब नजर रखी जा सकेगी। जीएसटीएन के जरिए उत्पन्न होने वाली व्यापक जानकारी से सूचना आधारित सहायता सम्पत्ति आधारित सहायता से अधिक लाभदायक रहने की उम्मीद है जिससे परंपरागत बैंकिंग पूरी तरह बदल जाएगी। ❑

गुणवत्ता प्रमाणन: प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन

जतिन्दर सिंह

यह योजना क्वालिटी टूल्ज और निर्माण में ऊर्जा की बचत के प्रयोग को प्रोत्साहित करके एमएसएमई में जीरो डिफेक्ट निर्माण के लिए ईको-सिस्टम का विकास करने के लिए बनाई गई है। यह योजना मेक इन इंडिया अभियान का भी समर्थन करती है। इस योजना के अन्तर्गत ठेके लेने के लिए एमएसएमई को स्वर्ण, रजत और कांस्य गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने होंगे। इस योजना का लक्ष्य एमएसएमई के सहयोग से स्वच्छ प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का वितरण करना है

किसी भी उद्यम के लिए वैश्विक प्रतियोगिता प्रेरक बल के रूप में कार्य करती है। लघु एवं कुटीर उद्योगों (एमएसएमई) में यह सामर्थ्य है कि वह परिवर्तनशील बाजार की स्थितियों और प्रतियोगिता की वैश्विक चुनौतियों के अनुरूप स्वयं को ढाल सकता है। एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के इंजन हैं क्योंकि यह क्षेत्र देश के सभी भागों में उद्यम संस्कृति का प्रसार कर रहा है। एमएसएमई का योगदान जीडीपी में 8 प्रतिशत, विनिर्माण उत्पादन में 45 प्रतिशत और निर्यात में 40 प्रतिशत है। इस सेक्टर में भारत की सहभागिता सराहनीय प्रयास है क्योंकि इसमें उद्यमियों के लिए बहुत सी योजनाएं जनजातियों, हाशियाकृत समुदायों और दिव्यांग लोगों को साथ जोड़ कर उन्हें उद्यम के सृजन के योग्य बनाया जाता है।

विश्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है तथा माइक्रो एवं मैक्रो अर्थशास्त्र की कई समस्याओं के समाधान हेतु वैश्विक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भारत में एमएसएमई क्षेत्र का बड़ा भाग है जहां सक्रिय योजनाओं की सहायता से योग्यता और प्रौद्योगिकी द्वारा हमारे राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक बनावट को बेहतर बनाया जा सकता है। योजना निर्माताओं के दृष्टिकोण से एमएसएमई का विकास नई नौकरियों का सृजन करने के साथ-साथ नई सेवाओं, प्रक्रियाओं, उत्पादों तथा व्यावसायिक मॉडल अविष्कारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के द्वारा बड़े उद्यमों के साथ संबंधों और नेटवर्किंग को सुधारा जा सकता है और व्यावसायिक नवोन्मेष बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। प्रतियोगी बाजारों में निर्यात के क्षेत्र में सुदृढ़ आधार बनाने हेतु गुणवत्ता प्रमाणन अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। गुणवत्ता प्रमाणन अब बड़े उद्योगों तक ही सीमित नहीं है। एमएसएमई उन्हें आवश्यकतानुसार सम्मिलित करने के लिए तेजी से आगे आ रहे हैं। एमएसएमई के प्रतियोगी फायदे उच्च उत्पादकता और लाभ में वृद्धि के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। कोई उद्यम सतत् लाभ और उच्च प्रदर्शन को तभी विकसित कर सकता है यदि उसके गुणवत्ता मानक वैश्विक मानकों के अनुरूप हों। एमएसएमई की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हेतु गुणवत्ता और तकनीकी उन्नयन महत्वपूर्ण घटक हैं। उच्च औद्योगिक घरों के पास निरन्तर तकनीकी और गुणवत्ता उन्नयन के साधन और संसाधन होते हैं। जबकि एमएसएमई के पास सीमित फंड और साधन होते हैं और उन्हें स्वयं को अपग्रेड करने में परेशानी होती है। अत: उनमें से कई अपनी गैर-प्रतिस्पर्धा के कारण वैश्विक मूल्य श्रृंखला के एक निश्चित बिंदु से परे विकास करने में अक्षम होते हैं। आर्थिक विकास में एमएसएमई की महत्ता को देखते हुए एमएसएमई मंत्रालय ने छोटे व्यवसायों में प्रतियोगिता को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के द्वारा एमएसएमई के निर्माण से जुड़े गुणवत्ता और तकनीकी पहलुओं पर विचार किया है।

प्रमाणन के निम्नलिखित लाभ हैं–

- पहचान और ब्रांड की प्रतिष्ठा
- निरन्तर सुधार
- एकाग्रता
- आत्मविश्वास
- स्टाफ की संतुष्टि और वचनबद्धता

भारत सरकार की गुणवत्ता प्रमाणन हेतु विभिन्न योजनाएं इस प्रकार हैं:

नेशनल मेन्यूफैक्चरिंग कम्पीटिटिवनेस प्रोग्राम (एनएमसीपी)

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दस योजनाएं तैयार की गई हैं जिसमें आईसीटी का विकास, मिनी टूल रूम, डिजाईन क्लिनिक और एसएमई हेतु मार्केटिंग समर्थन शामिल हैं। यह कार्यक्रम

लेखक पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली के वरिष्ठ सचिव हैं। वे मूल्य निर्माण, शिक्षा का अधिकार कौशल विकास के क्षेत्र में अनुभवी हैं। और वे भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रौद्योगिकी सलाहकार समिति (टीएसी) के सदस्य हैं। इनकी दो पुस्तकें प्रकाशित हैं। ईमेल: jatinder@phdcci.in

क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड एवं क्वालिटी टेक टूल्ज के माध्यम से निर्माता सेक्टर को प्रतियोगिता हेतु सक्षम बनाता है।

एमएसएमई को तकनीकी एवं गुणवत्ता उन्नयन समर्थन

यह योजना निर्माण इकाइयों में कम ऊर्जा के प्रयोग पर आधारित तकनीकों की वकालत करता है ताकि उत्पादन के खर्चे को घटाया जा सके और स्वच्छ विकास क्रियाविधि को अपनाया जा सके।

जेडईडी में एमएसएमई को आर्थिक सहायता प्रमाणन योजना (जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट)

यह योजना क्वालिटी टूल्ज और निर्माण में ऊर्जा की बचत के प्रयोग को प्रोत्साहित करके एमएसएमई में जीरो डिफेक्ट निर्माण के लिए ईको-सिस्टम का विकास करने के लिए बनाई गई है। यह योजना मेक इन इंडिया अभियान का भी समर्थन करती है। इस योजना के अन्तर्गत ठेके लेने के लिए एमएसएमई को स्वर्ण, रजत और कांस्य गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने होंगे। इस योजना का लक्ष्य एमएसएमई के सहयोग से स्वच्छ तकनीक के प्रयोग द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का वितरण करना है। जेडईडी प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु चलाई जाने वाली गतिविधियों के लिए एमएसएमई को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जिसमें सलाहकार द्वारा एमएसएमई की रेटिंग में सुधार हेतु मुल्यांकन/रेटिंग, मैप एनालिसिस और हैंड होल्डिंग तथा परामर्श शामिल है। जेडईडी मेच्योरिटी एसेसमेंट मॉडल के अन्तर्गत जेडईडी रेटिंग के 50 पैरामीटर हैं और जेडईडी डिफेंस रेटिंग के 25 और पैरामीटर है। जेडईडी के क्रियान्वयन के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को नेशनल मॉनीटरिंग एंड इम्पलीमेंटिंग यूनिट नियुक्त किया गया है। जेडईडी स्कीम के अन्तर्गत क्यूसीआई का लक्ष्य कम से कम 22,000 एमएसएमई को कांस्य स्तर पर प्रमाणित करना है। क्यूसीआई को संयुक्त रूप से सरकार और उद्योग ने स्थापित किया है ताकि स्टैंडर्ड में सुधार किया जा सके और एक राष्ट्रीय मान्यता ढांचे को तैयार किया जा सके। यह योजना इस प्रकार है।

गुणवत्ता प्रमाणन आईएसओ प्रमाणन सहायता

आईएसओ9001 विश्व का सर्वाधिक मान्यताप्राप्त क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। अन्य फायदों के अतिरिक्त यह संगठनों को अपने ग्राहकों की ओर स्टेक होल्डर्स आवश्यकताओं और उम्मीदों को पूरा करने में सहायक होता है। आईएसओ9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम निरंतर बढ़िया प्रदर्शन और सेवाओं की क्रियाओं के दौरान गुणवत्ता का निरंतर निरीक्षण करने और उसके प्रबंधन में सहायक होता है। किसी उद्यम के सभी कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने वाला यह प्रबंधन टूल (यंत्र) है। यह मानक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है और इस प्रकार तैयार किए गए हैं कि संगठनों को अपने स्टेक होल्डर्स की आवश्यकताओं के अनुरूप गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में सहायक हो सकें। आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एमएसएमई को और बेहतर ढंग से कार्य करने में सहायता देते हैं क्योंकि यह अधिकार निर्माता कंपनियों के मानक समझे जाते हैं। आईएसओ9001 स्टैंडर्ड्स को लागू करने में आंतरिक और बाहरी स्टेक होल्डर्स का सहयोग और फीडबैक भी सम्मिलित है। गुणवत्ता प्रबंधन सिद्धांतों को लागू करने से पहले संगठन की पूरी तरह से जांच की जाती है।

गतिविधि	कुल लागत	भारत सरकार का सहयोग	प्रभावी लागत
रजिस्ट्रेशन	मुफ्त	लागू नहीं	मुफ्त
ऑनलाइन सेल्फ एसेसमेंट	मुफ्त	लागू नहीं	मुफ्त
डेस्कटॉप एसेसमेंट	10,000	सूक्ष्म: 80 %	2,000
		लघु: 60 %	4,000
		मझौले: 50 %	5,000
साइट एसेसमेंट	80,000	सूक्ष्म: 80 %	16,000
		लघु: 60 %	32,000
		मझौले: 50 %	40,000
री-एसेसमेंट	40,000	सूक्ष्म: 80 %	8,000
		लघु: 60 %	16,000
		मझौले: 50 %	2,000
डिफेंस एसेसमेंट	40,000	सूक्ष्म: 80 %	8,000
		लघु: 60 %	16,000
		मझौले: 50 %	20,000
गैप एनलिसिस एंड हैंड होल्डिंग	1,90,000	सूक्ष्म: 80 %	38,000
		लघु: 60 %	76,000
		मझौले: 50 %	95,000

स्रोत : क्यूसीआई

गुणवत्ता प्रमाणन के लिए विभिन्न राज्य सरकारें कई प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। गुजरात सरकार ने एमएसएमई के लिए निम्न योजना तैयार की है।

पात्र खर्चा

एक पात्र उपक्रम को गुणवत्ता प्रमाण पत्र जैसे कि आईएसओ/डब्ल्यूएचओ/जीएमपी हालमार्क प्रमाणन एवं दूसरे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त हों, लेने के लिए कई खर्चे करने पड़ते हैं, ईआरपी एंड आईएसओ प्रमाणन प्रत्येक के लिए मान्य हैं (प्रमाणन नवीकरण के खर्चे को छोड़कर)।

पात्र खर्चों में शामिल हैं :

- प्रमाणन एजेंसी द्वारा ली जाने वाली फीस।
- एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी सिस्टम सेवाएं। प्रोवाइडर जो उद्योग कम्शिनरेट द्वारा मान्यता प्राप्त हो।
- प्रमाणन के लिए आवश्यक टेस्ट करने वाले संयंत्रों की कीमत।
- संयंत्रों का अंशशोधन (केलिब्रेशन) शुल्क।
- आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने के लिए सलाहकार फीस शुल्क (यात्रा, होटल और निगरानी के शुल्क के अतिरिक्त)।
- ईआरपी मॉड्यूल इंस्टॉल किया जाता है और उत्पादन की योजना की सुविधा, सामग्री की खरीद, इंवेंटरी नियंत्रण, वितरण, लेखा, मार्केटिंग, वित्त सेवाएं और एचआर हेतु प्रमाणपत्र दे दिया जाएगा। (सर्वर लिंकेज के साथ नेटवर्किंग को जोड़ कर सभी सुविधाएं प्रदान की जाएगी)।

उपलब्ध सहायता

उद्यम प्रत्येक योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से नीचे बताए अनुसार सहायता हेतु योग्य होगा।

ईआरपी प्रणाली (सिस्टम)

मान्यता प्राप्त ईआरपी सेवाओं के ईआरपी सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए उद्योग कमिश्नरेट द्वारा लागत का 50 प्रतिशत प्रदान किया जाएगा, जिसमें अधिकतम राशि 50 हजार तक देय है।

आईएसओ प्रमाणन

आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने के लिए परामर्श शुल्क के लिए 50 प्रतिशत सहायता, जिसमें अधिकतम राशि 50 हजार तक देय है।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन

डब्ल्यूएचओ जीएमपी हॉलमार्क प्रमाणन तथा अन्य राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन हेतु अधिकतम 5 लाख रुपये तक सभी खर्चों का 50 प्रतिशत देय।

क्वालिटी प्रमाणन से पहले खरीदे गए आवश्यक टेस्ट करनेवाली मशीनों और संयंत्रों की लागत का 50 प्रतिशत जिसमें अधिकतम कुल राशि 10 लाख रुपये से अधिक न हो, यह राशि प्रमाणन की तिथि अथवा कार्य करने की समयावधि जो भी पहले हो के अनुसार देय होगी।

50 प्रतिशत शुल्क मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन प्राधिकरण को देय होगा।

यह योजना जीओआई की ऐसी योजना की पूरक है। यद्यपि किसी भी स्थिति में जीओजी अथवा जीओआई की कुल सहायता राशि एमएसएमई द्वारा उक्त उद्देश्य द्वारा किए गए कुल वास्तविक खर्च से अधिक नहीं हो सकती।

(स्रोत: इंडस्ट्रीज कमिश्नरेट, गुजरात सरकार।)

भावी दशा-दिशा

यदि भारत को अगले दशक में 8-10 प्रतिशत विकास दर को बनाए रखना है तो उसे मजबूत और विविधीकरण से संपन्न एमएसएमई सेक्टर की आवश्यकता होगी जो वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सके। एमएसएमई सेक्टर ने पिछले पांच वर्षों में औसतन 18 प्रतिशत विकास दर दर्शाई है। मालिकों/उद्यमियों को संगठनात्मक संस्कृति में बेहतर गुणवत्ता को अपनी मानसिकता का हिस्सा बनाना होगा। जनसांख्यिकी की दृष्टि से हमारा देश विविधता संपन्न है। एमएसएमई समूह दूर-दूर तक फैले हुए हैं और उनका एक समानवितरण नहीं हुआ है। प्रमाणन के विभिन्न और समुन्नत स्तरों पर एमएसएमई का संवेदीकरण और परस्पर सहयोग समय की आवश्यकता है। भारतीय एमएसएमई में वैश्विक उपक्रम बनने का सामर्थ्य है। इसे पूरा करने के लिए एमएसएमई को आर एण्ड डी तथा गुणवत्ता प्रमाणन में निवेश करना होगा। वैश्विक दृष्टिकोण से प्रतियोगी एमएसएमई द्वारा उचित समाधान खोज कर उद्योगों की आवश्यकताओं और चुनौतियों को पूरा किया जा सकता है। ❑

दत्तक प्रक्रिया सुगमता हेतु मासिक जनसंपर्क कार्यक्रम

महिला व बाल विकास मंत्रालय के केन्द्रीय दत्तक अनुसंधान प्राधिकरण ने जनता के लिए मासिक जन-संपर्क कार्यक्रम शुरू किया है ताकि इनके अधिकारियों व स्टाफ के साथ आम जन गोद लेने संबंधी अपनी चिंताओं पर संवाद कर सकें। अपनी तरह का अनूठा यह कार्यक्रम हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुआ। लगभग 150 संभाव्य दत्तक माता-पिता (पीएपी), दत्तक माता-पिता और एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने चार घंटे से अधिक लंबे चले सत्र में भाग लिया।

हाल ही में शुरू किए गए शिकायत/पूछताछ पोर्टल के साथ-साथ बाल दत्तक अनुसन्धान सूचना व परामर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) के तत्काल प्लेसमेंट और विशेष आवश्यकता वाले दत्तक मोड्यूल संबंधित ब्योरों से सभी हितधारकों को अवगत कराया गया। साथ ही, कई संभाव्य पीएपी की काउंसलिंग की गई और उन्हें बड़े बच्चे गोद लेने के लिए प्रेरित किया गया। सीईओ, कारा द्वारा आयोजित होने वाले तिमाही फेसबुक लाइव चैट के अलावा यह कार्यक्रम प्रतिमाह आयोजित किया जाएगा। ❑

पूरे भारत में सबसे सफल शिक्षक
अमित कुमार सिंह के मार्गदर्शन में

सिविल सेवा परीक्षा 2016 में संस्थान से कुल 70 चयन

प्रथम 100 में 9 रैंक हमारे संस्थान इग्नाइटेड मांइड्स से

खुली चुनौती

पूरे भारत में हिन्दी माध्यम में किसी भी वैकल्पिक विषय और एथिक्स (GS Paper-IV) पढ़ाने वाले संस्थानों में सर्वाधिक परिणाम

"हमसे ज्यादा सफल परिणाम दिखाइये, फीस में 100% छूट पाइये"

2016 में दर्शनशास्त्र विषय से कुल 9 चयन

PHILOSOPHY

Best optional subject

निःशुल्क कार्यशाला

10 October

12:30 PM

परीक्षा परिणाम के आधार पर भी दर्शनशास्त्र सर्वाधिक चयन देने वाला विषय

ETHICS

G.S. IV Paper

New Batch Starts from

20 December

दर्शनशास्त्र **(Philosophy),** एथिक्स **(GS Paper-IV)** और निबंध का सर्वश्रेष्ठ संस्थान

IGNITED MINDS

A Premier Institute for IAS/PCS

DELHI CENTER

A-2, 1st Floor, Comm. Comp. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

011-27654704, 9643760414, 8744082373

ALLAHABAD CENTER

H-1, 1st Floor, Ram Mohan Plaza, Madho Kunj, Katra

9389376518, 9793022444, 0532-2642251

YH-650/6/2017

खादी: कुछ नये आयाम

वी के सक्सेना

खादी सुधारों की वास्तविक छाप खादी सुधार और विकास परियोजना (केआरडीपी के कार्यान्वयन में स्पष्ट रूप में दृश्यमान है। आरंभ में, यह परियोजना 2010 में शुरू हुई थी और बाद में इसे 2013-14 के दौरान एडीपी से 96 करोड़ रूपये का परिव्यय प्राप्त हुआ था। यद्यपि, मई 2014 तक एक भी चरखा या करघा वितरित नहीं किया गया था। पिछले दो वर्षों में, 5323 से भी अधिक करघों की मंजूरी दी जा चुकी है जिसमें से लगभग 1350 चरखों की पहले ही आपूर्ति की जा चुकी है। इसी प्रकार, 27,000 से भी अधिक चरखों की मंजूरी दी जा चुकी है और 18000 से भी अधिक चरखों की आपूर्ति की जा चुकी है

खादी देश का राष्ट्रीय प्रतीक है और ग्रामोद्योग हमारी ऐतिहासिक विरासत हैं। हमें गर्व होता है कि खादी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रतिस्थापित राष्ट्रवाद का वास्तविक राष्ट्रीय प्रतीक है। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने स्वाधीनता के तुरंत बाद भी देश की विरासत तथा राष्ट्रीय महत्व को स्वीकार करना जारी रखा और खादी एवं अन्य उत्पादों के उत्पादन के माध्यम से ग्रामीण समुदाय की आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रव्यापी संस्थानों की स्थापना की। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) भी इस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अस्तित्व में आया और इसने आत्मनिर्भरता के सिद्धांत के आधार पर अनेक प्रयासों में मदद की है। यद्यपि बदलती हुई भू-राजनैतिक वास्तविकताओं के कारण, किसी समय लोगों को जीवन सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं को बंद कर दिया गया था।

केवीआईसी ने ऐसी बंद संस्थाओं की पुनर्स्थापना करने का जिम्मा दो आधारों पर लिया: पहला, ऐसे राष्ट्रीय प्रतीक जिन्होंने किसी समय समाज की सेवा की है, वह हमारे बीच से विलुप्त नहीं होने चाहिए और दूसरा, वे सभी संस्थान अभी भी प्रभावी रूप से उसी उद्देश्य को पूर्ण कर सकते हैं जिनके लिए उनकी स्थापना की गई थी। इससे आसपास के क्षेत्र के लोग जीवन के लिए सहायता प्राप्त कर पाएंगे तथा समृद्ध हो पाएंगे।

सेवापुरी (वाराणसी) खादी आश्रम का कायाकल्प

खादी को बढ़ावा देने तथा रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से गांधी जी के मार्गदर्शन में वर्ष 1946 में सेवापुरी, वाराणसी में गांधी आश्रम की स्थापना की गयी थी। तब इसका औपचारिक उद्घाटन भारत के प्रथम राष्ट्रपति, डॉ राजेंद्र प्रसाद ने किया था। गांधीजी ने इस आश्रम में कुछ समय तक निवास भी किया था। 12 एकड़ भूमि पर फैले हुए इस आश्रम में 500 से भी अधिक लोगों ने काम किया और इसे देश के उत्कृष्ट खादी केंद्रों में से एक बना दिया। लेकिन, वित्तीय संकट के कारण और उचित प्रबंधन के अभाव में इस केंद्र को 1990 में बंद कर दिया गया था और इसे गौरवान्वित इतिहास का एक जीर्ण स्मारक बने रहने के लिए छोड़ दिया गया था।

केवीआईसी ने 17 सितंबर अर्थात *सेवा दिवस* पर विरासत एवं परंपरा को पुन: स्थापित करते हुए, इस केंद्र को शुरू किया है। केवीआईसी ने इस केंद्र में खादी कार्यकलापों को शुरू करने के उद्देश्य से ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) की सीएसआर निधियों का उपयोग करने के लिए इसे भी शामिल किया है। आरईसी ने इस परियोजना के लिए 5.50 करोड़ रूपये की मंजूरी दी है। खादी कार्यकलापों के लिए सीएसआर निधियों का उपयोग करके पहली बार 500 सौर चरखों तथा 100 सौर करघों का वितरण किया गया है। सौर चरखों तथा सौर करघों संचालन करने के लिए केवीआईसी ने वाराणसी जिले के जयापुर और खरिया गांव में दो प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की है तथा इन विभिन्न गांवों में 25 सौर चरखे तथा 5 सौर करघे प्रदान किए गए हैं जिससे अभी तक 500 से भी अधिक स्थानीय महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। (देखें बॉक्स)

लेखक खादी व ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं। ईमेल: chairmankvic2015@gmail.com

केवीआईसी: कुछ पहल

- देश में पहली बार एक छत के नीचे 250 सौर चरखों और 25 सौर करघों की ईकाई
- देश में पहली बार खादी कार्यकलापों के लिए सीएसआर निधि जारी
- वाराणसी जिले में पहली बार लिज्जत पापड़ विनिर्माण ईकाई जिसमें 170 महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है तथा हर रोज 200 किलो पापड़ बनाए जा रहे हैं।
- वाराणसी में पहली बार शहद उत्पादन तथा प्रशिक्षण के लिए 100 मधुमक्खी बॉक्सों के वाली मधुमक्खीशाला
- आश्रम नमक के नाम से देश में पहली बार किसी खादी संस्था की खाद्य नमक विनिर्माण एवं पैकिंग ईकाई
- अनेक शिक्षित महिलाओं के साथ कैंपस में 500 महिलाएं तथा पुरूष नियोजित

पंपोर में ऐतिहासिक प्रशिक्षण केंद्र

केवीआईसी ने 22 अगस्त 2017 को जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पूर्व में स्थित ऐतिहासिक नगर, पंपोर में अपने बंद प्रशिक्षण केंद्र की पुनर्स्थापना की है। यह शहर केसर के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। इसे "कश्मीर का केसर नगर" के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1990 में आतंकवाद की दौर में इस केन्द्र का विध्वंस कर दिया गया था। 1947 में, गांधी जी ने भी इस केंद्र का दौरा किया था। इस ऐतिहासिक प्रशिक्षण केंद्र में बुनाई, कताई, ईडीपी, मधुमक्खी पालन और सौर चरखों से संबंधित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। एक नवीनीकृत खादी भारत बिक्री केंद्र का भी उद्घाटन किया गया था, जिसका पहले आतंकवाद में विध्वंस हो गया था।

इसी के साथ-साथ, जनजाति बहुल गांव वनज में केवीआईसी ने 25 चरखें तथा 5 करघें प्रदान किए हैं। इससे यहां पर कम से कम 50 जनजातीय महिलाओं के लिए सतत रोजगार के अवसर भी निर्मित हुए थे।

इसके अतिरिक्त, इस वर्ष अप्रैल में केवीआईसी ने अवैध शिकार की गतिविधियों से ग्रसित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सिलिमखोवा गांव में एक नव प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र का अभी शुभारंभ किया है। केवीआईसी ने गांव में बुनकरों को 25 चरखें, 5 करघें तथा अन्य सहायक सामग्री प्रदान की हैं। इस इकाई से इस क्षेत्र के लगभग 50 ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिले हैं।

शहद उत्पादन श्रृंखला की स्थापना

भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न स्थानों पर वनस्पतियों की प्रचुर मात्रा में उपस्थिति के कारण, अपने देश में प्राकृतिक शहद का निर्माण करने की क्षमता है। देश के वन, अर्ध-वन और कृषि क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन अत्यंत लोकप्रिय ग्रामीण उद्योग रहा है। मिष्ठान को स्वादिष्ट बनाने के साथ-साथ, मधुमक्खियां परागण की संभावनाओं को भी बढ़ाती है जिसके परिणामस्वरुप कृषि उत्पादकता बढ़ती है। मधुमौम, पराग, मधुमक्खी जहर मानवता के लिए अन्य महत्वपूर्ण उप उत्पाद हैं। इनकी पहचान के लिए केवीआईसी ने शहद उत्पादन को तर्कसंगत संरक्षण प्रदान करने के लिए देश में *शहद मिशन* शुरू किया है। शहद मिशन के अंतर्गत केवीआईसी इस वर्ष किसानों को एक लाख मधु मक्खी बॉक्स वितरित करेगा।

केवाआईसी ने राष्ट्रपति भवन में शहद मिशन शुरू किया है। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के भीतर केवीआईसी द्वारा स्थापित मधुमक्खीशाला का दौरा किया। केवीआईसी ने राष्ट्रपति भवन में 150 मधुमक्खी बॉक्स की मधुमक्खीशाला स्थापित की है और कुछ महीनों में इसे 500 तक बढ़ाया जाएगा, जिससे राष्ट्रपति भवन में लगभग 15,000 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता का शहद का उत्पादन हो सकेगा।

सेवापुरी, वाराणसी एक कृषि पट्टी क्षेत्र है जिसमें प्रचुर मात्रा में जीव जंतु तथा वनस्पति उपलब्ध हैं। इसलिए शहद मिशन के अंतर्गत यहां के कैंपस में मधुमक्खी छत्तों वाले 100 मधुमक्खी बॉक्सों की एक मधुमक्खीशाला स्थापित की गई है। इससे आसपास के क्षेत्रों के किसानों के लिए मधुमक्खी पालन सह उत्पादन केंद्र के रूप में उपयोग किया गया है।

मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर में पंपौर में प्रशिक्षण केंद्र के कैंपस में भी मधुमक्खी छत्तों वाले 100 मधुमक्खी बॉक्स भी लगाए गए थे। प्रशिक्षण के बाद स्थानीय किसानों का मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी बॉक्स वितरित किए जाएंगे। प्रचुर मात्रा में वनस्पति और जीव जंतु वाले कश्मीर के केसर नगर उच्च गुणवत्ता वाले शहद का उत्पादन करने के लिए सटीक स्थान है। इस स्थान को 'शहद मिशन' से भी जोड़ा जाएगा।

समानुभूति एवं सशक्तीकरण

केवीआईसी के सभी विकासात्मक कार्यकलापों का केंद्र बिंदु महिला मुक्ति एवं सशक्तीकरण होता है। चाहे वह सेवापुरी हो या पंपौर, महिला सशक्तीकरण पर हमारा सदैव जोर रहता है क्योंकि हमारा विश्वास है कि सशक्त महिला दृढ़तापूर्वक स्वस्थ परिवारों का निर्माण कर सकती है।

जिससे राष्ट्र की आधारशिला रखी जाती है क्योंकि परिवार ही राष्ट्र की आधारशिला होती है।

नर्मदा घाटी: सशक्तीकरण की नई इबारत

केवीआईसी ने अपने सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्रों में खादी कार्यकलापों को शुरू करने के लिए ओमकारेश्वर में जनजातीय महिलाओं को 80 चरखें प्रदान किए थे। सभी महिला बुनकर उचित प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात अन्य महिलाओं के लिए आदर्श बन गई हैं। सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत जनभागीदारी के साथ लगभग 1000 चरखें देशभर के ग्रामीण समुदाय में वितरित किए गए हैं।

बाज़ार पर छाप

ग्रामीण समुदायों में जीविकोपार्जन सहायता बढ़ाने की प्रक्रिया में बाजार प्रमुख केंद्र बिंदु होता है क्योंकि यह मांग एवं पूर्ति की शृंखला का निर्माण करता है। केवीआईसी ने निरंतर रूप से बाजार पर ध्यान केंद्रित किया है क्योंकि किसी बाजार में उत्पादन की मात्रा ही रोजगार के लिए ग्रामीणों को प्रदान की जाने वाली सहायता की राशि को निर्धारित करती है। केवीआईसी ने इस दिशा में अनेक प्रयासों पर बल दिया है। खादी उत्पादों का बाजार में स्थान बदलने तथा उनका विपणन करने के लिए कॉर्पोरेट घरानों के साथ सहयोग शुरू किया गया है- जैसे खादी डेनिम के विपणन से न सिर्फ खादी की बिक्री बढ़कर 40 करोड़ प्रतिवर्ष होने की उम्मीद है बल्कि इससे 7.5 लाख अतिरिक्त मानव दिवस सृजित होने की उम्मीद भी की जा रही है। खादी पीटर इंग्लैंड जैसी उत्पाद शृंखला का विकास और पसंद के फैब्रिक के रूप में खादी को स्थान दिलाने के लिए अनवरत प्रयास किये जा रहे हैं।

23 अस्पतालों में केवल खादी उत्पाद

केवीआईसी अनेक सार्वजनिक एवं निजी कंपनियों से बड़ी मात्रा में ऑर्डर प्राप्त करने में सफल हुआ है- जैसे ओएनजीसी (इसके 35,000 कर्मचारियों को रेडीमेड कपड़ों और ग्रामोद्योग उत्पादों की आपूर्ति के लिए 45 करोड़ का आर्डर), रेलवे (बेडशीट, तकिए के कवर और कंबलों आदि की आपूर्ति के लिए 42 करोड़ रूपये का ऑर्डर), एयर इंडिया (इसके प्रथम श्रेणी तथा व्यवसाय श्रेणी के यात्रियों के लिए 35,000 सुख-सुविधा कीटों की आपूर्ति के लिए 11.1 करोड़ रूपये का ऑर्डर), एनटीपीसी (23,000 सिल्क जैकेटों की आपूर्ति के लिए 5 करोड रुपए का ऑर्डर) और जेके वाइट सीमेंट (यूनिफॉर्म की आपूर्ति के लिए 17 लाख रुपये का आर्डर)।

इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अस्पताल और कर्मचारियों के लिए खादी को अपनाया जाना महत्वपूर्ण प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 150 करोड़ रूपये मूल्य की खरीद का खादी द्वारा जीविकोपार्जन सहयोग के लिए सकारात्मक गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय देशभर में अपने 23 केंद्रीय सरकार अस्पतालों तथा चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों में केवल खादी उत्पादों की खरीद करेगा।

एयर इंडिया में खादी

एयर इंडिया ने अपनी उड़ानों में प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल खादी उत्पादों का उपयोग करने का निर्णय लिया है और उसने अपने प्रथम श्रेणी और व्यवसाय श्रेणी के यात्रियों के लिए 35000 सुविधा किटों की खरीद के लिए केवीआईसी को 7.98 करोड रुपए का आर्डर दिया था। यह आर्डर प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया तथा गुणवत्ता जांच के पश्चात प्राप्त किए गए हैं। इस प्रकार खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की किफायती मूल्य प्रकृति को स्वीकार करते हुए, जून 2016 में एयर इंडिया ने 1.85 लाख सुविधा किट खरीदने के लिए 8 करोड़ रुपये का आर्डर दिया था। इस किट में खादी मॉइस्चराइज़र लोशन, खादी लेमनग्रास, खादी हैंडमेड शैंपू, खादी लिपबाम, खादी गुलाब फेस वॉश तथा गंध तेल शामिल हैं।

मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर में पंपौर में प्रशिक्षण केंद्र के कैंपस में भी मधुमक्खी छत्तों वाले 100 मधुमक्खी बॉक्स भी लगाए गए थे। प्रशिक्षण के बाद स्थानीय किसानों का मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी बॉक्स वितरित किए जाएंगे। प्रचुर मात्रा में वनस्पति और जीव जंतु वाले कश्मीर के केसर नगर उच्च गुणवत्ता वाले शहद का उत्पादन करने के लिए सटीक स्थान है। इस स्थान को 'शहद मिशन' से भी जोड़ा जाएगा।

दूर तक पहुंच

केवीआईसी का यह मानना है कि खादी और ग्रामोद्योग संस्था के लिए स्वदेशी भारतीय उत्पादों का संदेश विश्वभर में दूर-दूर तक पहुंचाया जाना महत्वपूर्ण है। अनेक राजदूतों ने खादी बिक्री केंद्रों का दौरा किया और विश्वभर में अन्य गणमान्य लोग खादी तक पहुंच रहे हैं और इसका उपयोग करके प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं।

अमेरिकी राजदूत ने खादी पहनी

भारत में अमेरिका की कार्यवाहक राजदूत सुश्री मैरी के लॉस कार्ल्सन ने क्नॉट प्लेस स्थित *खादी इंडिया* बिक्री केंद्र का दौरा किया और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने पहनने के लिए साड़ियां

लघु एवं कुटीर उद्योग: प्रधानमंत्री के कुछ कथन

- मैं एसएमई क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी शामिल करना चाहता हूं, नए नवप्रयोग करना चाहता हूं तथा एसएमई क्षेत्र के लिए दक्ष श्रमशक्ति सुनिश्चित करना चाहता हूं।
- हम ऐसी अर्थव्यवस्था चाहते हैं जिसमें जनता के लिए जनता द्वारा उत्पादन किया जाए। एसएमई क्षेत्र में युवाओं के लिए बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराने में सहायता कर सकता है: "अलग-अलग व्यवसाय के लिए विश्व में अपनी पहचान बना पाना कठिन है। हमें एक साथ आना होगा और मिलकर *मेड इन जापान* की तरह एक विश्वसनीय ब्रांड बनाना होगा।"
- जहां तक अर्थव्यवस्था का संबंध है, सैकड़ों परिवार राखी के त्योहार से कई महीना पहले ही छोटी घरेलू इकाइयों में राखी बनाना शुरु कर देते हैं। *खादी* से लेकर रेशमी धागे तक, हर तरह के सामान से विभिन्न प्रकार की राखियां बनाई जातीं हैं। आज कल लोग घर में बनी राखी को ज्यादा पसंद करते हैं। त्योहार के मौसम में राखी बनाने और बेचने वाले, मिठाई की दुकान चलाने वाले- जैसे पेशों में संलग्न सैकड़ों, हजारों लोगों को फलने-फूलने का मौका मिलता है। "जिस तरह से ये त्योहार मनाए जाते हैं, उस पर कई गरीब परिवार निर्भर करते हैं।"
- जब हम दीपावली पर दिया जलाते हैं, तो यह सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं होता जिससे पूरे घर में प्रकाश फैल जाता है; बल्कि यह सीधे उन लोगों से जुड़ जाता है जो ये दिये बनाते हैं।
- इससे निश्चित रूप से हमारे गरीब कारीगरों को लाभ

पहुंचेगा तथा मूर्तियां बनाने वाले कलाकारों को रोजगार मिलेगा। गरीब कमाई कर सकेगा तथा अपना पेट भर सकेगा।

- आइए, हम त्योहारों को गरीबों के आर्थिक कल्याण के साथ जोड़ें, चलिए हम त्योहारों को पिछड़े परिवारों के साथ जोड़ें, उनके जीवन में खुशियां लाएं जिनके पास कुछ नहीं है। हम सभी का यह प्रयास होना चाहिए। ❑

खरीदीं। उन्होंने इस अवसर पर सही साड़ी का चयन करने के लिए देशवासियों की सहायता ली और खरीदी हुई साड़ी पहन कर गर्व से लाल किले पर उपस्थित हुईं।

कनॉट प्लेस में चरखा विरासत संग्रहालय

उच्च गुणवत्ता वाले क्रोमियम स्टेनलैस स्टील से बने हुए 2.5 टन वजन वाले चरखे को चरखा विरासत संग्रहालय, कनाट प्लेस के समीप स्थापित किया गया। यह दिल्ली में प्रमुख आकर्षण केन्द्र बन गया है। यह चरखा 12 फुट चौड़ा तथा 25 फुट ऊंचा है। यह कार्य उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के सहयोग से पूर्ण किया गया है।

शतरंज संघ ने खादी को अपनाया

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खादी को बढ़ावा देने तथा भारत की इस विरासत फैब्रिक के बारे में युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए अखिल भारतीय शतरंज संघ (एआईसीएफ) ने यह निर्णय लिया है कि सभी भारतीय शतरंज खिलाडी और उनके सहायक कर्मचारी सभी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में उनकी यूनिफॉर्म और किटों के रूप में खादी का उपयोग करेंगे।

उच्च गुणवत्ता वाले क्रोमियम स्टेनलैस स्टील से बने हुए 2.5 टन वजन वाले चरखे को चरखा विरासत संग्रहालय, कनॉट प्लेस के समीप स्थापित किया गया। यह दिल्ली में प्रमुख आकर्षण केन्द्र बन गया है। यह चरखा 12 फुट चौड़ा तथा 25 फुट ऊंचा है। यह कार्य उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के सहयोग से पूर्ण किया गया है।

उपसंहार

खादी सुधारों की वास्तविक छाप खादी सुधार और विकास परियोजना (केआरडीपी) के कार्यान्वयन में स्पष्ट रूप में दृश्यमान है। आरंभ में, यह परियोजना 2010 में शुरू हुई थी और बाद में इसे 2013-14 के दौरान एडीपी से 96 करोड़ रूपये का परिव्यय प्राप्त हुआ था।

यद्यपि, मई 2014 तक एक भी चरखा या करघा वितरित नहीं किया गया था। पिछले दो वर्षों में 5323 से भी अधिक करघों की मंजूरी दी जा चुकी है जिसमें से लगभग 1350 चरखों की पहले ही आपूर्ति की जा चुकी है। इसी प्रकार, 27,000 से भी अधिक चरखों की मंजूरी दी जा चुकी है और 18000 से भी अधिक चरखों की आपूर्ति की की जा चुकी है। ❑

लघु एवं कुटीर उद्योग: उत्पादों व सेवाओं की उपलब्धता

शिशिर सिन्हा

अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। यदि हम आकार को नज़रन्दाज़ करते हैं तो एमएसएमई किसी भी अन्य उद्यम की तरह है और उन्हें भी अंतरराष्ट्रीय बाज़ार के साथ-साथ घरेलू बाज़ार को टैप करने की ज़रूरत है। चूंकि उनके पास मार्केटिंग के लिए काफी सीमित संसाधन हैं, वे सभी तरह के सहयोग के लिए सरकार पर निर्भर कर सकते हैं

किसी उत्पाद का निर्माण महत्वपूर्ण है पर वास्तव में यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि वह उत्पाद अपने प्रयोक्ता तक पहुंचता है या नहीं... इसके लिए ज़रूरी है कि उत्पाद को बाज़ार तक ले जाया जाए। दूसरे शब्दों में, बाज़ार तक पहुंच होना भी ज़रूरी है। लेकिन क्या यह आसान है?

जवाब इतना आसान नहीं है। किसी भी बड़ी कंपनी वाले से पूछिए, वे बताएंगे कि उन्होंने बाज़ार तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए अरबों रुपए खर्च किए हैं, वे इसके लिए बाज़ार विशेषज्ञों को नियुक्त करते हैं। ये सब कुछ उन्हें आसान लग सकता है, जो संपन्न और समृद्ध हैं पर सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों का क्या, जिनके पास काफी सीमित संसाधन हैं! निश्चित तौर पर उनके लिए अपने उत्पादों को बाज़ार तक ले जाना कठिन है जहां उन्हें न सिर्फ घरेलू बल्कि विदेशी विनिर्माताओं का भी सामना करना होता है। तो क्या इसका कोई समाधान है? इस पर चर्चा करने से पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ढूंढना ज़रूरी है:

क) एसएमई से हमारा क्या अभिप्राय है?

उत्तर: तालिका 1 देखें।

ख) पंजीकृत एसएमई की कुल संख्या क्या है?

उत्तर: देश में लघु उद्योग पंजीकरण के तहत 15,63,974, उद्यम ज्ञापन के तहत 21,96,902 तथा उद्योग आधार ज्ञापन के तहत 28,30,994 पंजीकृत एसएमई की कुल संख्या 65,91,870 है।

ग) अर्थव्यवस्था में एसएमई का क्या योगदान है?

उत्तर: भारत सरकार के सांख्यिकीय वेयरहाउस केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2013-14, 2014-15 व 2015-16 के लिए मौजूदा मूल्य पर देश के योजित सकल मूल्य (जीवीए) में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एसएमई) का योगदान क्रमश: 32.26, 31.86 तथा 31.60 प्रतिशत है और 2013-14, 2014-15 व 2015-16 के लिए मौजूदा मूल्य पर देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम

तालिका 1: सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम की परिभाषा

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006, के प्रावधानों के अनुपालन में एमएसएमई को दो वर्गों में बांटा गया है:

विनिर्माण उद्यम		सेवा उद्यम	
वस्तुओं के विनिर्माण व उत्पादन में जुड़े या उत्पाद के मूल्य संवर्द्धन हेतु संयंत्र व मशीनरी लगाने वाले उद्यम। विनिर्माण उद्यम संयंत्र व मशीनरी में निवेश के संबंध में परिभाषित किए जाते हैं।		सेवाएं प्रदान करने वाले उद्यम और ये उपकरणों में निवेश के संबंध में परिभाषित किए जाते हैं।	
उद्यम	**संयंत्र व मशीनरी में निवेश**	**उद्यम**	**उपकरण में निवेश**
सूक्ष्म	रु. 25 लाख तक	सूक्ष्म	रु. 10 लाख तक
लघु	रु. 25 लाख से रु. 5 करोड़	लघु	रु. 10 लाख से रु. 2 करोड़
मध्यम	रु. 5 करोड़ से रु. 10 करोड़	मध्यम	रु. 2 करोड़ से रु. 5 करोड़

लेखक वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। अग्रणी प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समूहों के साथ काम कर चुके हैं। संप्रति एक राष्ट्रीय समाचार चैनल में आर्थिक मामलों के संपादक हैं। ईमेल: hblshishir@gmail.com

(एसएमई) का योगदान क्रमश: 29.76, 29.39 तथा 28.77 प्रतिशत है।

घ) रोज़गार में एसएमई का क्या योगदान है?

उत्तर: एसएमई के चौथे अखिल भारतीय सेन्सस (आधार सन्दर्भ वर्ष 2006-07 के साथ जहां जहां आंकड़े 2009 तक संगृहीत किए गए हैं और परिणाम 2011-12 में प्रकाशित किए गए हैं) तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा आयोजित आर्थिक सेंसस 2005 से प्राप्त आंकड़े के अनुसार एसएमई क्षेत्र में कुल रोज़गार 8.05 करोड़ है। हालांकि औद्योगिक निकाय, भारतीय औद्योगिक परिसंघ (सीआईआई) उन एसएमई का आकलन करती है, जो लगभग 12 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करती है।

ङ) कुल निर्यात में एसएमई का शेयर क्या है?

उत्तर: लगभग 45 प्रतिशत।

उक्त तथ्यों से यह काफी स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था में एसएमई की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। यदि हम आकार को नज़रन्दाज़ करते हैं तो एसएमई किसी भी अन्य उद्यम की तरह है और उन्हें भी अंतरराष्ट्रीय बाज़ार के साथ-साथ घरेलू बाज़ार को टैप करने की ज़रूरत है। चूंकि उनके पास मार्केटिंग के लिए काफी सीमित संसाधन हैं, वे सभी तरह के सहयोग के लिए सरकार पर निर्भर कर सकते हैं। अब तक घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में पहुंच बनाने के लिए एसएमई और खासकर एमएसई (सूक्ष्म व लघु इकाई) को मदद करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं हैं:-

मार्केटिंग सहयोग योजना (एमएएस)

इसका लक्ष्य घरेलू व अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों, विक्रेताओं-खरीददारों की बैठकों, अभियानों/संगोष्ठियों में प्रतिभागिता हेतु मदद करना है। इसका कार्यान्वयन एसएमई मंत्रालय के एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा किया जाता है। मौजूदा समय की मांग है कि ग्रामीण व सूक्ष्म उद्यम पर विशेष जोर देते हुए उपयुक्त तरीके से समग्र एसएमई क्षेत्र (सेवा समेत) को सहारा व सहयोग प्रदान करना है ताकि चुनौतियों को संभावनाओं में तब्दील करने और नई बुलंदियों को छूने की दिशा में उन्हें सशक्त बनाया जा सके। हालांकि मध्यम उद्यम को भी योजना के तहत लक्षित लाभार्थी के रूप में शामिल किया गया है, शहरी के साथ-साथ ग्रामीण इलाके में भी सूक्ष्म व लघु उद्यमों के उत्पादों व सेवाओं की मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

योजना के लक्ष्य

- एसएमई की मार्केटिंग क्षमताओं व प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाना।
- एसएमई की क्षमताओं का प्रदर्शन
- एसएमई को वर्त्तमान बाज़ार परिदृश्य व इसके प्रभाव से अवगत करना।
- एसएमई के उत्पादों व सेवाओं की मार्केटिंग के लिए कंसोर्टियम का गठन।
- वृहद् संस्थागत क्रेताओं से संवाद के लिए एसएमई को प्लेटफॉर्म प्रदान करना।
- विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार
- एसएमई मार्केटिंग कौशल को बढ़ाना।

योजना के तहत एनएसआईसी द्वारा विदेश में अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन करना और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों व व्यापार मेलों में भाग लेना भी शामिल है। इससे एसएमई को उभरने की दिशा में नई कारोबार संभावनाओं को ढूंढने में सहयोग देने के अलावा एक्सपोज़र भी मिलता है। इस तरह से विविध प्रौद्योगिकी, भारतीय एसएमई द्वारा उद्भूत/प्रस्तुत उत्पाद व सेवाओं का पता चलता है और ये विदेशों में भारतीय एसएमई छवि निर्माण, मार्केटिंग व्यवस्था, प्रौद्योगिकी अंतरणों, संयुक्त उद्यम स्थापित करने, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कारोबार संभावनाएं प्रदान करते हैं।

एसएमई विकास संस्थान (एसएमई-डीआई) योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। एक समिति घरेलू व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों का चयन करती है जहां एसएमई भाग ले सकती है। एक बार जब यह समिति घरेलू व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों की सूची तैयार कर लेती है तो उसे अंतिम अनुमोदन के लिए विकास आयुक्त के कार्यालय या (डीसी-एसएमई) को भेज दिया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों के आयोजन के अलावा, एनएसआईसी चुनिन्दा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों व व्यापार मेलों के लिए भारतीय एसएमई की प्रतिभागिता की व्यवस्था भी करता है। इस आयोजनों में प्रतिभागिता से एसएमई को एक्सपोज़र मिलता है और उनके कारोबार कौशल में वृद्धि होती है।

संशोधित मार्केटिंग सहयोग व प्रौद्योगिकी उन्नयन (एमएटीयूं) योजना

घरेलू बाज़ार

यहां राज्य/जिला स्तरीय स्थानीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है। योजना में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं:

- घरेलू/ओवरसीज़ बाजार को टैप/विकसित करने के एमएसई के प्रयासों में एमएसई विनिर्माण को बढ़ावा देना।
- राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में बिक्री को बढ़ाने के लिए उत्पादों पर बार कोडिंग अपनाए जाने हेतु एमएसई को बढ़ावा देना।
- एमएसई हेतु सार्वजनिक खरीद नीति के मद्देनज़र मार्केटिंग लिंकेज प्रदान करना।
- एसएमई से संबंधित मार्केटिंग/पैकेजिंग विषयों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय कार्यशाला/संगोष्ठी के आयोजन द्वारा मार्केटिंग में पैकेजिंग, नवीनतम पैकेजिंग प्रौद्योगिकी, निर्यात-आयात नीति व प्रक्रिया, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में नवीनतम विकास आदि के महत्त्व के बारे में एसएमई को शिक्षित व जागरूक बनाना।

इस योजना के तहत वित्तीय सहयोग प्राप्त करने के लिए एमएसई को सरकार के साथ पंजीकरण करना है। एसएमई विकास संस्थान (एसएमई-डीआई) योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। एक समिति घरेलू व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों का चयन करती है जहां एमएसई भाग ले सकती है। समिति की अध्यक्षता एसएमई-डीआई निदेशक द्वारा की जाती है जबकि संस्थान के वरिष्ठ अधिकारी व औद्योगिक एसोसिएशंस के पदाधिकारी इसके सदस्य होते हैं। एक बार जब यह समिति घरेलू व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों की सूची तैयार कर लेती है तो उसे अंतिम अनुमोदन के लिए विकास आयुक्त के कार्यालय या (डीसी-एसएमई) को भेज दिया जाता है।

एसएमई-डीआई अनुमोदित मेले/प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए अधिकतम 10 सूक्ष्म/लघु उद्यमियों को संस्तुत कर सकती है। प्रतिभागिता हेतु प्रस्ताव 'पहले आओ पहले पाओ' आधार पर उपलब्ध है। चूंकि व्यापार मेले/प्रदर्शनी में एकाधिक एसएमई-डीआई के ज़रिए एसएमई की प्रतिभागिता हो सकती है, एमएसई की प्रतिभागिता को अंतिम अनुमोदन डीसी-एसएमई द्वारा दिया जाएगा और एमएसई की प्रतिभागिता की अधिकतम संख्या का निर्धारण एमएसई क्षेत्र के लिए उपयोगिता व आकार के आधार पर किया जाएगा।

एमएसई को वित्तीय सहयोग

स्थान किराया: सामान्य प्रवर्ग की इकाई के लिए स्थान किराया के 80 प्रतिशत और अ.जा./अ.जा.जा/महिला/एनईआर/शा.वि. इकाइयों

के लिए 100 प्रतिशत का (अधिकतम 20,000 या वास्तविक किराया जो भी कम हो) भुगतान किया जाता है।

योजना के तहत उद्यमियों को वर्ष में अधिकतम 2 बार प्रतिपूर्ति की अनुमति होगी। वित्तीय सहयोग की सीमा प्रत्येक अवसर पर अधिकतम रु. 10 लाख होगी।

अंतरराष्ट्रीय बाज़ार

योजना का लक्ष्य घरेलू/ओवरसीज़ बाजार को टैप/विकसित करने के एमएसई के प्रयासों में एमएसई विनिर्माण को बढ़ावा देना है। यहां भी एसएमई विकास संस्थान (एसएमई-डीआई) योजना का कार्यान्वयन करेगी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों/ प्रदर्शनियों का निर्धारण डीसी (एसएमई) कार्यालय द्वारा किया जाएगा। एमएसई प्रतिभागिता के लिए कम से कम दो महीने पहले निर्धारित आवेदन प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रतिभागिता हेतु प्रस्ताव पहले आओ पहले पाओ आधार पर उपलब्ध है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता हेतु उत्पाद की गुणवत्ता काफी महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान में रखते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि भाग लेने वाली इकाइयों के पास आइएसओ 9000/14000 अभिप्रमाणन होना चाहिए। एक पैनल पहले नामों को चयन करेगा और फिर उसे डीसी (एसएमई) कार्यालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

वायुयान किराया: इकाइयों के सभी प्रवर्गों को इकोनोमी क्लास के वायु खर्चे के 100 प्रतिशत (अधिकतम रु. 1.25 लाख या वास्तविक किराया जो भी कम हो) का भुगतान किया जाता है (प्रत्येक प्रतिभागी उद्यम के एक प्रतिनिधि के लिए)।

योजना के तहत एमएसई को वित्तीय वर्ष में सिर्फ एक बार अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों/ प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता के लिए लाभ उठाने व उनके दावों की प्रतिपूर्ति की अनुमति होगी भले ही उनके पास कितनी भी इकाइयां हों। साथ ही, एक व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष में एक से अधिक एमएसई का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। वित्तीय सहयोग की सीमा प्रत्येक अवसर पर अधिकतम रु. 25 लाख होगी।

मार्केटिंग/सार्वजनिक खरीद/पैकेजिंग पर कार्यशाला/संगोष्ठी

एसएमई क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण विषयों व केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ सार्वजनिक खरीद की समीक्षा के अलावा पैकेजिंग में विकास व विभिन्न उत्पादों व सेवाओं में उभरते वैश्विक मार्केटिंग/उत्पाद नवोन्मेषिता, नई मार्केटिंग प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए ऐसे आयोजन किए जाते हैं। ऐसे आयोजनों की ज़िम्मेदारी एसएमई-विकास संस्थानों को दी गई है।

बार कोड प्राप्त करने पर प्रतिपूर्ति

बार कोड "उत्पाद की पहचान के लिए संख्याओं व अलग-अलग आकार वाली समान्तर रेखाओं के प्रारूप में मुद्रित मशीन द्वारा पढ़ा जा सकने वाला कोड" है। ऐसी व्यवस्था कारोबार में मददगार होती है और संगठन इसकी मदद से उत्पादकता व प्रभाविता में बढ़ोतरी के लिए अनुमत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रणाली में केंद्रीकृत प्रबंधन हेतु उत्पादों, मूल्यों व स्टॉक लेवल को ट्रैक करते हैं। इस महत्त्व को ध्यान में रखते हुए एसएमई-विकास संस्थानों के ज़रिए सरकार सूक्ष्म व लघु उद्यमों को उनकी मार्केटिंग प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान करती है। इस योजना के तहत एमएसई द्वारा भुगतान किए गए 75 प्रतिशत एकबारगी पंजीकरण शुल्क और वार्षिक आवर्ती शुल्क (पहले तीन वर्षों के लिए) की प्रतिपूर्ति की जाती है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय, जीएस1 इंडिया, जिसका पुराना नाम ईएएन इंडिया था, बार कोड के प्रयोगार्थ पंजीकरण देने के लिए प्राधिकृत है।

एसएमई क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण विषयों व केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ सार्वजनिक खरीद की समीक्षा के अलावा पैकेजिंग में विकास व विभिन्न उत्पादों व सेवाओं में उभरते वैश्विक मार्केटिंग/उत्पाद नवोन्मेषिता, नई मार्केटिंग प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए ऐसे आयोजन किए जाते हैं।

वेंडर डेवलपमेंट कार्यक्रम (वीडीपी)

यह प्लेटफोर्म कारोबार प्रमोशन के लिए क्रेताओं व विक्रेताओं को एक साथ लाने के लिए है। इस तरह के आयोजन एसएमई-विकास संस्थानों (एसएमई-डीआई) द्वारा देश के प्रत्येक हिस्से में किए जाते हैं ताकि कारोबार व विक्रेता संगठनों के लिए क्रेता संगठनों की उभरती मांगों की पहचान के मद्देनज़र बातचीत हेतु साझा प्लेटफॉर्म प्रदान किया जा सके, साथ ही, लघु उद्यमियों व उनके औद्योगिक वेंचर्स की क्षमताओं को प्रदर्शित किया जा सके। ये कार्यक्रम अब तक भारी लागत में आयात किए जाने वाले उत्पादों के देशीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, रक्षा, रेलवे तथा अन्य के विभिन्न कार्यालयों समेत क्रेता संगठनों की बड़ी संख्या द्वारा उपयुक्त उद्यम स्थापित करने में कारगर रहे हैं।

एसएमई-डीआई द्वारा दो तरह के वीडीपी आयोजित किए जाते हैं: राष्ट्रीय स्तर वाले और राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्टार वाले वीडीपी तीन दिनों के भीतर बड़ी कंपनियों खासकर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ संवाद का अवसर प्रदान करता है। ऐसी बातचीत एसएमई को बड़ी कंपनियों के लिए वेंडर बनने में मदद करती है। राज्य स्तरीय वीडीपी में, राज्य में कार्यशील सिर्फ एक या दो वृहद् स्टार वाले क्रेता संगठन कार्यक्रम में भाग लेते हैं और क्रेता-विक्रेता बैठक में एसएमई (विक्रेताओं) के साथ संवाद करते हैं।

सभी सूक्ष्म व लघु, मध्यम व वृहद् उद्यम वेंडर विकास कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं।

मार्केटिंग विकास सहयोग (एमडीए)

योजना का उद्देश्य सूक्ष्म व लघु निर्यातकों को ओवरसीज़ मार्केट का उपयोग करने और उन्हें विकसित करने के उनके प्रयासों में प्रोत्साहित करना है। इसका लक्ष्य लघु/सूक्ष्म विनिर्माण उद्यमों से निर्यात बढ़ाने के अलावा अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों/ प्रदर्शनियों में एसएमई इंडिया स्टाल के तहत लघु/ सूक्ष्म विनिर्माण उद्यमों के प्रतिनिधियों की प्रतिभागिता बढ़ाना भी है। यह योजना वृहत पैमाने पर बार कोडिंग अपनाए जाने को प्रचारित भी करती है।

योजना के तहत फंडिंग

- एसएमई इंडिया स्टाल के तहत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में विनिर्माण लघु व सूक्ष्म उद्यमों द्वारा प्रतिभागिता हेतु
- औद्योगिक एसोसिएशंस/निर्यात प्रमोशन परिषदों/भारतीय निर्यात संगठन फेडरेशन द्वारा क्षेत्र विशेष मार्केट अध्ययन हेतु
- एसएसआई एसोसिएशंस द्वारा एंटी डंपिंग मामलों की शुरुआत हेतु
- बार कोडिंग में खर्च धन की प्रतिपूर्ति।

योजना का उद्देश्य सूक्ष्म व लघु निर्यातकों को ओवरसीज़ मार्केट का उपयोग करने और उन्हें विकसित करने के उनके प्रयासों में प्रोत्साहित करना है। इसका लक्ष्य लघु/ सूक्ष्म विनिर्माण उद्यमों से निर्यात बढ़ाने के अलावा अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों/ प्रदर्शनियों में एसएमई इंडिया स्टाल के तहत लघु/सूक्ष्म विनिर्माण उद्यमों के प्रतिनिधियों की प्रतिभागिता बढ़ाना भी है। यह योजना

तालिका 2 : एमएसई से खरीद#

वर्ष	सीपीएसयू	कुल खरीद	एसएमई खरीद*
2014-15	133	131766.86	15300.57
2015-16	116	134848.14	18246.15
2016-17	60	55291.64	13288.96

#(सीपीएसई की रिपोर्ट के अनुसार, रु. करोड़ में)
**(अ.जा./ अ.ज.जा. की एमएसई समेत)*

वृहत पैमाने पर बार कोडिंग अपनाए जाने को प्रचारित भी करती है।

तरजीही खरीद: बाजार की सुविधा

भारत सरकार ने सूक्ष्म व लघु उद्यम (एमएसई) आदेश 2012 के लिए तरजीही खरीद की शुरुआत की है जो सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के लिए 1 अप्रैल 2012 से लागू है। इस नीति के तहत प्रत्येक केन्द्रीय सरकार मंत्रालयों, विभागों व सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को सूक्ष्म व लघु उद्यमों (एमएसई) से वस्तुओं व सेवाओं के अपने कुल वार्षिक मूल्य के न्यूनतम 20 प्रतिशत जुटाना होगा। इन 20 प्रतिशत में से, 4 प्रतिशत अ.जा./अ.जा.जा. उद्यमियों द्वारा किया जाना अनिवार्य है। (सीपीएसई द्वारा खरीद के लिए तालिका 2 देखें)।

बेहतर बाज़ार पहुंच के लिए गुणवत्ता

अब, मुख्य मसला यह है कि क्या एसएमई द्वारा प्रदत्त उत्पाद व सेवाएं मूल गुणवत्ता जांच पास कर सकती है। कोई संदेह नहीं कि एसएमई के पास बड़े औद्योगिक घरानों के साथ सममूल्य पर गुणवत्तापूर्ण प्रणाली नहीं हो सकती, फिर भी उन्हें उनके साथ प्रतियोगिता करनी है। साथ ही, उन्हें निर्यात बाज़ार में बड़े एमएनसी के साथ प्रतियोगिता करनी है। इसलिए इसके लिए क्या प्रणाली है? 'जेड' की उपयोगिता यहां है।

प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में जेड को इस प्रकार परिभाषित किया है: "हमें वस्तुओं का निर्माण इस तरीके से करना चाहिए कि उनमें कोई कमी न हो और हमारी निर्यातित वस्तुएं कभी वापिस न हों। हमें वस्तुओं को ऐसे तैयार करना चाहिए कि उनका पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं हो।"

विनिर्माण में संलग्न एसएमई के लिए जेड या 'जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट' सुनिश्चित करने की दिशा में, सरकार के पास वित्तीय सहयोग देने के लिए एक योजना है। योजना का लक्ष्य इस प्रकार है:

- एसएमई में जीरो डिफेक्ट प्रणाली हेतु एक इकोसिस्टम तैयार करना।
- गुणवत्ता टूल्स/सिस्टम्स व ऊर्जा प्रभावी विनिर्माण अपनाए जाने को बढ़ावा देना।
- गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के विनिर्माण हेतु एसएमई को समर्थ बनाना।
- उत्पादों व प्रक्रियाओं में गुणवत्ता मानकों को बढ़ाने के लिए एसएमई को प्रोत्साहित करना।
- जीरो डिफेक्ट उत्पादन प्रक्रियाओं के साथ व पर्यावरण को प्रभावित किए बिना विनिर्माण को बढ़ावा देना।
- 'मेक इन इंडिया' अभियान को सहयोग देना।
- जेड विनिर्माण व अभिप्रमाणन के क्षेत्र में पेशेवरों को तैयार करना।

जेड परिपक्वता मूल्यांकन मॉडल के तहत जेड रेटिंग के लिए 50 और जेड डिफेन्स रेटिंग के लिए अतिरिक्त 25 मानदंड है। एसएमई को जेड अभिप्रमाणन अर्थात मूल्यांकन/डिफेन्स हेतु रेटिंग, अतिरिक्त रेटिंग, गैप विश्लेषण, हैंडहोल्डिंग, परामर्शकों द्वारा एसएमई की रेटिंग में सुधार हेतु परामर्शन और पुनर्मूल्यांकन/री-रेटिंग के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है।

भारत सरकार ने सूक्ष्म व लघु उद्यम (एमएसई) आदेश 2012 के लिए तरजीही खरीद की शुरुआत की है। इस नीति के तहत प्रत्येक केन्द्रीय सरकार मंत्रालयों, विभागों व सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को सूक्ष्म व लघु उद्यमों (एमएसई) से वस्तुओं व सेवाओं के अपने कुल वार्षिक मूल्य के न्यूनतम 20 प्रतिशत जुटाना होगा।

योजना के तहत 22,222 एसएमई का मूल्यांकन व अभिप्रमाणन जेड परिपक्वता मूल्यांकन मॉडल के तहत, 5,000 एसएमई का मूल्यांकन व अभिप्रमाणन जेड डिफेन्स मॉडल के तहत किया जाएगा। 7368 एसएमई को उनकी रेटिंग आदि सुधारने के लिए गैप एनालिसिस, हैण्डहोल्डिंग, परामर्शन हेतु सहयोग दिया जाएगा। प्रोजेक्ट की कुल लागत रु. 491.00 करोड़ (सरकार का योगदान रु. 365.00 करोड़, लाभार्थी एसएमई का योगदान रु. 126.00 करोड़) है। जेड के कार्यान्वयन के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआइ) राष्ट्रीय प्रबोधन व कार्यान्वयन इकाई है। जेड अभिप्रमाणन के लिए अब तक 3200 एसएमई पंजीकृत किए गए हैं।

सभी योजनाओं की सबसे अच्छी बात यह है कि यहां लक्षित क्षेत्रीय आबंटन है जिससे न सिर्फ उत्पादों को बेचने में मदद मिलती है बल्कि महत्वपूर्ण रोजगार सृजन भी होता है। उदाहरण के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग में विपणन विकास योजना के तहत रु. 341 करोड़ से अधिक प्रदान किए गए। अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान खादी उत्पादन रु. 1300 करोड़ तक और बिक्री रु. 1800 करोड़ तक बढ़ेगा। इन सबसे 19.5 लाख से अधिक लोगों को रोज़गार मिलने का अनुमान है।

कोई संदेह नहीं कि बाज़ार तक पहुंच ज़रूरी है मगर एसएमई को पुनर्परिभाषित किए जाने की भी ज़रूरत है ताकि उनके पास तेज़ी से बदलते कारोबार परिदृश्य के मुताबिक़ खुद को तैयार करने के लिए पर्याप्त पूंजी हो। केंद्र सरकार ने 2015 में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम विकास (एसएमईडी) अधिनियम 2006 में संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया। एसएमईडी अधिनियम 20 के तहत मौजूदा सीमाओं का निर्धारण 11 वर्ष पूर्व किया गया था।

तब से मूल्य सूची व इनपुट्स की लागत में काफी वृद्धि हुई है। कारोबार परिदृश्य में भी काफी बदलाव आया है, कई एसएमई घरेलू व वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बन रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म इकाइयों के लिए रु. 25 लाख से रु. 50 लाख, लघु इकाइयों के लिए रु. 25 लाख से रु. 5 करोड़ की सीमा को रु. 50 लाख से रु. 10 करोड़ करने और मध्यम इकाइयों के लिए रु. 5 करोड़ से रु. 10 करोड़ की सीमा को रु. 10 करोड़ से रु. 30 करोड़ करने का प्रस्ताव रखा गया है। ये सभी विनिर्माण से जुड़े एसएमई के लिए है।

इसी प्रकार, यदि एसएमई सेवा क्षेत्र में है, उपकरणों में निवेश की नई सीमा सूक्ष्म इकाई के लिए रु. 20 लाख (मौजूदा सीमा रु. 10 लाख है), लघु इकाइयों के लिए रु. 25 लाख से रु. 5 करोड़ की सीमा (वर्तमान सीमा रु. 10 लाख से रु. 2 करोड़ है) और मध्यम उद्यम के लिए। करोड़ से रु. 15 करोड़ (वर्त्तमान सीमा रु. 2 करोड़ से 5 करोड़ है) होगी। विधेयक संसद में लंबित है। एसएमई को मजबूत करने के लिए इसे यथाशीघ्र पारित किए जाने की ज़रूरत है। विभिन्न मार्केटिंग योजनाओं के साथ यह संशोधन एसएमई को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ❑

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की संजीवनी

भुवन भास्कर

कम्पोजिशन स्कीम का फायदा उठाने वाले कारोबारी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। इस स्कीम में सेवा देने वाले कारोबारी शामिल नहीं हो सकते। हालांकि रेस्टोरेंट से संबंधित सेवाएं देने वाले; आइसक्रीम, पान मसाला या तंबाकू उद्योग से जुड़े; कैजुअल टैक्सेबल व्यक्ति या प्रवासी टैक्सेबल व्यक्ति; और एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए गुड्स की सप्लाई करने वाले कारोबार इसमें अपवाद हैं। फिलहाल जीएसटी के तहत पंजीकृत 90 लाख में 15 लाख कारोबारों ने कम्पोजिशन स्कीम की सुविधा ली है

स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे व्यापक और गहरे कर सुधार करार दिए गए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के लागू होने के बाद से ही इसके फायदों और मुश्किलों पर होने वाली चर्चाएं समाचार माध्यमों की सुर्खियों में रही हैं। घड़ी की एक टिक के साथ 70 साल से चली आ रही पूरी टैक्स व्यवस्था को शीर्षासन करा देना, वह भी भारत जैसे विशाल देश में, किसी भी सरकार के लिए एक विशाल चुनौती से कम नहीं था। उसमें भी तब जब इस टैक्स सुधार से प्रभावित होने वालों में 80 प्रतिशत से ज्यादा छोटे और मझोले उद्यम (एसएमई) होने वाले थे।[1] चौथे ऑल इंडिया एमएसएमई सेंसस, 2006-07 के मुताबिक इस सेक्टर के 60 प्रतिशत उद्यम ग्रामीण इलाके में स्थित हैं। जाहिर है कि जीएसटी जैसी प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था को त्वरित गति से अपनाना ऐसे सेक्टर के लिए कोई आसान काम नहीं था।

इन चुनौतियों के बीच 1 जुलाई 2017 को लगभग डेढ़ दशक के इंतजार के बाद जीएसटी लागू हुआ। हालांकि देश के विभिन्न भागों से सरकार को मिल रहा फीड बैक बहुत उत्साहजनक नहीं था। देश के दूर-दराज से छोटे कारोबारियों की मुश्किलों और उसके कारण उनमें असंतोष की खबरें आने लगी थीं। ये मुश्किलें और असंतोष सरकार के लिए दोधारी तलवार की तरह थे, क्योंकि एक ओर देश के कुल मैन्युफैक्चरिंग में 45 प्रतिशत और निर्यात में 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाले[2] एमएसएमई के लिए किसी भी मुश्किल के ज्यादा समय तक बरकरार रहने देने का सीधा मतलब अर्थव्यवस्था में गिरावट को न्यौता देना था, वहीं दूसरी ओर खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार देने वाले सबसे बड़े सेक्टर में बढ़ता असंतोष राजनीतिक तौर पर भी सरकार के लिए घातक साबित हो सकता था।

स्वाभाविक तौर पर सरकार के लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक था और सरकार ने ऐसा ही किया। जीएसटी पर फैसले करने और उसमें संशोधन करने के लिए जिम्मेदार जीएसटी काउंसिल की 6 अक्टूबर 2017 को बुलाई गई 22वीं बैठक में कई फैसले किए, जिनका उद्देश्य पूरी तरह छोटे कारोबारियों और उद्यमियों को राहत देना और उनकी शिकायतों को दूर करना था। बैठक के फैसलों के बारे बताते हुए केंद्रीय वित्तमंत्री ने एक पत्रकार वार्ता में कहा, *काउंसिल ने कर आंकड़ों की गहराई से समीक्षा करने के बाद पाया कि कुल टैक्स रेवेन्यू में 94 प्रतिशत हिस्सेदारी बड़े उद्योगों की होती है। ऐसा महसूस किया गया कि छोटे कारोबारियों पर टैक्स का बोझ कम है, लेकिन उन पर कम्प्लायंस का दबाव बहुत ज्यादा है।* और इसी निष्कर्ष को तार्किक परिणति पर पहुंचाते हुए काउंसिल ने जो फैसले किए, उनसे आने वाले दिनों में एमएसएमई को कारोबार में काफी आसानी होने वाली है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है।

कम्पोजिशन स्कीम का विस्तार

काउंसिल ने अपनी बैठक में कम्पोजिशन स्कीम का फायदा उठाने वाले कारोबारियों की टर्नओवर सीमा 75 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी। कम्पोजिशन स्कीम के तहत आने वाले कारोबारी बिना त्रिस्तरीय फाइलिंग प्रक्रिया में पड़े औपचारिक जटिलताओं से बचकर 1-5 प्रतिशत का टैक्स जमा कर

लेखक आर्थिक विषय के पत्रकार हैं और सीएनबीसी आवाज, जी बिजनेस और इकोनॉमिक टाइम्स के साथ काम कर चुके हैं। संप्रति कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीईएक्स के साथ कार्यरत हैं और शेयर बाजार, भारतीय अर्थव्यवस्था पर लिखते रहते हैं। ईमेल: bhaskarbhuwan@gmail.com

सकते हैं। इनमें गुड्स (वस्तुओं) का व्यापार करने वाले कारोबारियों को 1 प्रतिशत, उत्पादन करने वाले कारोबारियों को 2 प्रतिशत और शराब के अलावा अन्य खाने-पीने की वस्तुओं की सप्लाई करने वालों पर 5 प्रतिशत का टैक्स लगता है।

हालांकि कम्पोजिशन स्कीम का फायदा उठाने वाले कारोबारी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। इस स्कीम में सेवा देने वाले कारोबारी शामिल नहीं हो सकते। हालांकि रेस्टोरेंट से संबंधित सेवाएं देने वाले; आइसक्रीम, पान मसाला या तंबाकू उद्योग से जुड़े; कैजुअल टैक्सेबल व्यक्ति या प्रवासी टैक्सेबल व्यक्ति; और एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए गुड्स की सप्लाई करने वाले कारोबार इसमें अपवाद हैं। फिलहाल जीएसटी के तहत पंजीकृत 90 लाख में 15 लाख कारोबारों ने कम्पोजिशन स्कीम की सुविधा ली है।

रिटर्न भरने की प्रक्रिया का सरलीकरण

जीएसटी से छोटे कारोबारियों को सबसे बड़ी शिकायत इसमें रिटर्न भरने की बारंबारता थी। जीएसटी के तहत कारोबारियों को हर महीने रिटर्न भरना पड़ रहा था, जो एक बड़ा सिरदर्द था।जीएसटी काउंसिल ने 1.5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को अब तिमाही रिटर्न भरने की छूट दे दी है। इससे कुल करदाताओं का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा, जिसकी सरकार की कुल कर आय में महज 5-6 प्रतिशत हिस्सेदारी है, तिमाही रिटर्न भरने के दायरे में आ जाएगा। यह छोटे कारोबारियों के लिए एक बड़ी राहत है, जिसके बाद जीएसटी को लेकर शिकायतों का एक बड़ा हिस्सा यों ही गायब हो जाएगा।

टैक्स रिफंड के लिए समयबद्ध कार्यक्रम

छोटे और मझोले कारोबारियों, खासतौर पर निर्यातकों पर जीएसटी का काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा क्योंकि पहले जहां उन्हें निर्यात के लिए आयात किए जाने वाले इनपुट पर टैक्स नहीं देना होता था, वहीं अब जीएसटी लागू होने के बाद उन्हें इसपर इंटीग्रेटेड जीएसटी (आईजीएसटी) देना पड़ रहा है, जिसका बाद में उन्हें रीफंड मिलता है। लेकिन रीफंड में होने वाली देरी से छोटे निर्यातकों के लिए नकदी की समस्या खड़ी होने लगी थी। इन कारणों से कामकाजी पूंजी (ऑपरेटिंग कैपिटल) जुटाना एसएमई के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। काउंसिल ने अपनी 6 अक्टूबर की बैठक में तय किया कि निर्यातकों का जुलाई तक का जीएसटी रिफंड 10 अक्टूबर तक और अगस्त तक का 18 अक्टूबर तक खत्म कर दिया जाए। यह निश्चित तौर पर निर्यातकों के लिए बड़ी राहत होगी।

निर्यातकों के लिए ई-वॉलेट स्कीम

जीएसटी काउंसिल ने खासतौर पर निर्यातकों का रिफंड फंसे होने के कारण उनको हो रही कामकाजी पूंजी की दिक्कत को ध्यान में रखते हुए ई-वॉलेट स्कीम लॉन्च किया। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक जीएसटी के तहत टैक्स देने और फिर रिफंड का इंतजार करने में निर्यातकों के करीब 65,000 करोड़ रुपये फंसे थे। भारतीय निर्यात संगठन महासंघ (फियो) का दावा है कि ऐसा पहले की कर व्यवस्था में नहीं होता था। काउंसिल की बैठक से हफ्ता भर पहले वित्त मंत्री के साथ बैठक में फियो ने ही ई-वॉलेट स्कीम और मर्चेंट निर्यातकों को जीएसटी से पूरी तरह

उत्पादों पर जीएसटी में बदलाव से सीधे तौर पर उद्योग जगत को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कटौती आखिर में उपभोक्ताओं को दी जानी है, लेकिन कारोबार में तेजी लाने के लिहाज से यह भी एमएसएमई के लिए सकारात्मक प्रभाव वाला फैसला माना जा सकता है।

छूट देने का प्रस्ताव किया था। काउंसिल ने फियो की सलाह मानते हुए अप्रैल 2018 से ई-वॉलेट लॉन्च करने की घोषणा की, जिसके तहत निर्यातकों को उनके ई-वॉलेट में आभासी अग्रिम भुगतान दिया जाएगा, जिन्हें बाद में उन्हें मिलने वाले टैक्स रीफंड से ऑफसेट किया जा सकेगा।

कई उत्पादों की दरों में कटौती

जीएसटी काउंसिल ने कई उत्पादों के टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया। इन उत्पादों में ज्यादातर ऐसे हैं, जिनका आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बिना ब्रांड वाली नमकीन, बिना ब्रांड वाली आयुर्वेदिक दवाओं, आम की सूखी पपड़ी (आमपापड़) और खाकरा को 12 प्रतिशत से हटाकर 5 प्रतिशत टैक्स स्लैब में डाल दिया गया, वहीं टेक्सटाइल सेक्टर में इस्तेमाल होने वाली मानव निर्मित सूत (मैन मेड यार्न) को 18 से घटाकर 12 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में शामिल कर दिया गया। यद्यपि उत्पादों पर जीएसटी में बदलाव से सीधे तौर पर उद्योग जगत को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कटौती आखिर में उपभोक्ताओं को दी जानी है, लेकिन कारोबार में तेजी लाने के लिहाज से यह भी एमएसएमई के लिए सकारात्मक प्रभाव वाला फैसला माना जा सकता है।

रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मार्च तक स्थगित

जीएसटी व्यवस्था में 20 लाख या उससे ज्यादा के सालाना कारोबार वालों के लिए जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है लेकिन 20 लाख से नीचे टर्नओवर वाले किसी कारोबारी ने भी जीएसटीएन न लिया हो, तो उसके साथ कारोबार करने वाले जीएसटीएन धारक कारोबारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। ऐसे में भले ही सरकार ने 20 लाख से नीचे कारोबार वाले कारोबारी को जीएसटी नेटवर्क में पंजीकरण न कराने की छूट दे दी हो, लेकिन ऐसा करने वाले कारोबारी से जीएसटीएन वाला कोई भी कारोबारी शायद ही कोई लेनदेन करना चाहेगा क्योंकि ऐसी स्थिति में जीएसटीएन वाले कारोबारी पर कर का अतिरिक्त बोझ आएगा लेकिन अब 6 अक्टूबर को काउंसिल द्वारा किए गए फैसले के मुताबिक *रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म* को अगले साल अप्रैल तक टाल दिया गया है। इसका मतलब यह है कि 31 मार्च 2018 तक बिना जीएसटीएन वाले कारोबारी के साथ कारोबार करने पर भी जीएसटीएन वाले कारोबारी पर कर का अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा। जाहिर है कि एमएसएमई के लिहाज से यह एक अहम फैसला है। इसके साथ ही काउंसिल ने स्रोत पर टैक्स काटने और संग्रह करने के प्रावधान को भी 1 अप्रैल 2018 तक के लिए स्थगित कर दिया।

कुल मिलाकर बिना शक यह कहा जा सकता है कि जीएसटी काउंसिल की 22वीं बैठक नई टैक्स व्यवस्था लागू होने के बाद से हुई सबसे महत्वपूर्ण बैठक है और इसके फैसलों ने देश के छोटे और मझोले उद्यमियों को बड़ी राहत दी है। इससे सरकार ने जीएसटी रिजीम को सफलतापूर्वक लागू करने की दिशा में एक अहम पड़ाव को पार कर लिया है और आने वाले हफ्ते और महीने इनके परिणाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होंगे। ❑

संदर्भ

1. Great Lakes Herald_ March 2017, Volume 11 Issue No. 1, Page 79
2. 4th All India MSME Census, 206-07

लघु उद्योग के लिए अनुकूल परिवेश को प्रोत्साहन

अश्विनी महाजन

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वभाव से भारतीय लोग उद्यमी, मेहनती और उत्साही हैं। उन्हें उद्यमिता विकास के लिए अनुकूल वातावरण की आवश्यकता है। यह प्रमुख रूप से सरकार का काम है। सरकार को अच्छे कानून बनाने पड़ते हैं, वातावरण को अनुकूल बनाना पड़ता है। भौतिक अवसंरचना को छोड़कर इसके लिए बहुत ज्यादा बजट की आवश्यकता नहीं होती है। बुनियादी ढांचे को भी सार्वजनिक निजी साझेदारी से विकसित किया जा सकता है। हाल के वर्षों में सुधार के बावजूद व्यापार में सहजता के मामले में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी रैंकिंग अब भी 130 है। सरकार द्वारा बहुत कुछ किया जा चुका है और अभी बहुत अधिक की उम्मीद है

भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्यमों का सदैव एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। चाहे वह उत्पादन, रोजगार या निर्यात, किसी भी रूप में जुड़ा क्यों न हो। इसके अतिरिक्त लघु उद्योग समानता और विकेन्द्रीकरण के साथ विकास के भी वाहक हैं। इसलिए आर्थिक नीति को लघु उद्योगों के संवर्धन और संरक्षण पर उचित रूप से लक्ष्य किया जाना चाहिए। हालांकि दो दशकों से अधिक समय से यह क्षेत्र एक गंभीर संकट से गुजर रहा है। बड़ी संख्या में लघु उद्योगों की समाप्ति न केवल नौकरियों के सृजन, बल्कि उनके एवं अर्थव्यवस्था के विकास में अवरोध उत्पन्न कर रही है।

उदारीकरण और भूमंडलीकरण का प्रभाव

स्वतंत्रता के बाद देश की औद्योगिक नीति ने बड़े पैमाने पर निजी उद्योगों के विकास पर रोक लगाई। उस दौर की औद्योगिक नीति *लाइसेंस और कोटा राज* का पर्याय बन गई थी। मौजूदा उद्योगों ने तो इस आर्थिक नीति के दौर में अपना अस्तित्व बरकरार रखने की कला सीख ली, लेकिन नए उद्यमियों के लिए पनपना कठिन रहा।

जहां तक लघु उद्योगों का संबंध है, तत्कालीन नीति ने एसएसआई को उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में काम करने की अनुमति दी और कई वस्तुओं को एसएसआई के लिए आरक्षित कर दिया गया। 1991 में नई आर्थिक नीतियों के पदार्पण से पूर्व 812 वस्तुओं के उत्पादन की जिम्मेदारी केवल लघु उद्योगों की थी। नई आर्थिक नीति (एनईपी) ने आरक्षण की इस नीति को कुचल दिया। इसी प्रकार लघु उद्योगों को सरकारी खरीद में वरीयता दी जाती थी- कीमतों और खरीद, दोनों के मामले में। धीरे-धीरे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के नाम पर एसएसआई के लिए रियायतें समाप्त कर दी गईं। यह कहा गया कि एसएसआई को आरक्षण देने से प्रौद्योगिकी का विकास बाधित होता है और प्रतियोगिता की भावना दम तोड़ देती है। यह भी कहा गया कि संरक्षण देने से अक्षमताएं उत्पन्न होती हैं और देश अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाता। यह तर्क दिया गया कि अगर हम लघु उद्योगों सहित घरेलू उद्योग को संरक्षण देना जारी रखेंगे, तो विदेशी निवेशकों को निराश करेंगे। साथ ही उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प प्राप्त करने का मौका नहीं मिलेगा। एनईपी के तर्कों ने रोजगार, विकेन्द्रीकरण और ऐसी समानता की वकालत करने वाले पक्ष पर विजय हासिल कर ली, जो एसएसआई को रियायत देने की बात करती थी।

भूमंडलीकरण के युग में मुक्त आयात नीति ने हमें बड़ी संख्या में उत्पाद और कदाचित प्रौद्योगिकी हासिल करने में तो मदद की, लेकिन लाखों छोटे उद्यमों की तालाबंदी की कीमत पर, जो विश्व के दूसरे देशों से भयंकर प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर सके। हालांकि ऑटोमोबाइल जैसे कुछ क्षेत्रों में सहायक लघु स्तरीय इकाइयों में कुछ वृद्धि देखी गई लेकिन सामान्य रूप से लघु उद्योगों पर बहुत बुरा असर हुआ, खास तौर से चीन से होने वाले आयात के कारण। खिलौने, बिजली के उपकरण, मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपसाधनों, प्रोजेक्ट माल, बिजली संयंत्रों आदि के भारी आयात के कारण देश पर विदेशी मुद्रा भुगतान का भारी

लेखक पीजीडीएवी कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय) के अर्थशास्त्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपने इकोनोमेट्रिक्स, एग्रीकल्चर इकोनोमेट्रिक्स, आदि पुस्तकें लिखी हैं। आर्थिक विषयों पर लेखन के साथ वे जर्नल ऑफ कंटेम्परी इंडियन पॉलिटी एंड इकोनोमी के मुख्य संपादक हैं। ईमेल: ashwanimahajan@rediffmail.com

50 लाख रुपए और उससे अधिक मूल्य की खरीद के लिए (या जहां अपर्याप्त स्थानीय क्षमता/प्रतियोगिता है), यदि न्यूनतम बोली गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता की नहीं है, तो निम्नतम लागत वाले स्थानीय आपूर्तिकर्ता, जो न्यूनतम बोली के 20% के अंतर के भीतर है, को निम्नतम बोली से मेल खाने का अवसर दिया जाएगा।

बोझ आया, साथ ही हमारे उद्योग और व्यापार नष्ट हो गए जिससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हुई।

मेक इन इंडिया को कैसे बढ़ावा दें

यद्यपि, चीन द्वारा डंपिंग और भारत के लघु उद्योगों पर उसके असर के विषय में कोई संदेह नहीं है, फिर भी यह समझना महत्वपूर्ण है कि चीनी सरकार अपने देश में उद्योग और उद्यमिता के विकास के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करती है। इसी कारण चीन विश्व का विनिर्माण केंद्र बन गया है।

भारत में ऐसी कई समस्याएं हैं जिनके कारण लघु उद्योगों का विकास प्रभावित होता है। इनमें महंगी बिजली, पुराना श्रम कानून, जटिल कर प्रणाली, करों की उच्च दर, वित्त पोषण की समस्याएं, बुनियादी ढांचे की कमियां, उद्यम लगाने को हतोत्साहित करने वाले कानून, इंस्पेक्टर राज और विकृत पर्यावरण कानून शामिल हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि लघु उद्योगों को न केवल आयात संबंधी प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ती है, बल्कि उद्योग शुरू करने से लेकर अंतिम उत्पाद को मार्केट तक पहुंचाने में भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अलग श्रम कानूनों की जरूरत

श्रम की सुरक्षा और कल्याण के महत्व से कोई इनकार नहीं करता। हालांकि अनुचित तरीके से काम पर रखने और निकालने की नीति अच्छी नहीं है और हमें श्रमिकों के हितों की रक्षा करनी चाहिए लेकिन बड़े और लघु उद्यमों के लिए एक ही कानून का औचित्य नहीं है। परिदृश्य अब बदल गया है और जटिल श्रम कानूनों के कारण लघु उद्यमों ने नियमित श्रमिकों की भर्ती के बजाय अनुबंध पर कामगारों को रखना शुरू कर दिया है। बिचौलियों द्वारा ठेके पर काम करने वालों का शोषण किया जाता है जिससे उद्यमियों एवं श्रमिकों के बीच का संबंध समाप्त होता है और दोनों, उद्यमियों और श्रमिकों का नुकसान होता है। इस समस्या को देखते हुए, दूसरे श्रम आयोग ने लघु उद्यमों के लिए अलग कानून बनाने की सिफारिश की थी। श्रमिक संगठनों ने भी ऐसी पहल का समर्थन किया था। कुछ समय पहले अति लघु, लघु एवं मध्यम उद्योग विधेयक तैयार किया गया था। हालांकि लघु उद्यमों के लिए अलग श्रम कानूनों की अब भी आवश्यकता है।

वित्त बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों का मानना है कि लघु उद्यमों को उधार देना जोखिम भरा काम है। इस सोच में कोई सच्चाई नहीं है। खासकर यह देखते हुए कि बड़े कर्ज के बदले बैंक एनपीए जैसे जबरदस्त संकट का सामना कर रहे हैं। इस पूर्वव्यापी धारणाओं के कारण बैंक लघु उद्यमों को ऋण देने से बचते हैं, इसके बावजूद यह उनके लिए कानूनी बाध्यता है कि वे लघु उद्यमों को ऋण में वरीयता दिखाएं। इसके अतिरिक्त लघु उद्यमों को उच्च ब्याज दरों पर ऋण लेना पड़ता है, जबकि बड़े उद्यमों को बिना परेशानी के, बहुत सस्ती दरों पर ऋण मिलता है और वह भी आसान शर्तों पर।

वर्तमान सरकार ने माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनांस एजेंसी (मुद्रा), स्टार्ट अप स्कीम इत्यादि के मध्यम से लघु और अति लघु उद्यमों को मार्ग सुगम बनाने का प्रयास किया है। अब तक केवल मुद्रा योजना के अंतर्गत 3.9 लाख करोड़ रुपये का कुल ऋण संवितरित किया गया है। इसके बाद मुद्रा ऋण के 9.3 करोड़ लाभार्थियों ने न केवल खुद स्वरोजगार चालू किया है बल्कि रोजगार सृजन भी किया है।

मुद्रा योजना के अंतर्गत संवितरित ऋण

वर्ष	मंजूर ऋणों की संख्या	संवितरित राशि (करोड़ रु. में)
2015-16	34880924	132954.73
2016-17	39701047	175312.13
2017-18	18340053	84413.28
कुल	92922024	392680.1

भारी आयात और डंपिंग पर प्रतिबंध

हालांकि विदेशी व्यापार आधुनिक काल में एक सामान्य घटना है लेकिन यह लघु उद्योगों के लिए संकट का बायस है। इसका कारण कुछ विदेशी देशों, विशेष रूप से चीन द्वारा की जाने वाली डंपिंग है। केंद्र सरकार ने अब बड़े पैमाने पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में, तत्कालीन वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा था कि चीन से आयात किए गए 93 उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लागू है। इसके अतिरिक्त एंटी डंपिंग एंड एलीइड ड्यूटी के महानिदेशालय ने चीन से आयात के 40 मामलों में पहल की है।

वर्ष 2016-17 में कुछ वस्तुओं पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने के वांछनीय परिणाम मिले। चूंकि चीन की अनेक वस्तुओं पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया जा रहा है इसलिए यह उम्मीद की जा रही है कि चालू वर्ष में चीन से आयात में गिरावट होगी। इससे न केवल घरेलू उद्योग को राहत मिलेगी, बल्कि चीन के साथ व्यापार घाटा भी कम होने की संभावना है।

वर्ष 2016-17 में कुछ वस्तुओं पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने के वांछनीय परिणाम मिले। चूंकि चीन की अनेक वस्तुओं पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया जा रहा है इसलिए यह उम्मीद की जा रही है कि चालू वर्ष में चीन से आयात में गिरावट होगी। इससे न केवल घरेलू उद्योग को राहत मिलेगी, बल्कि चीन के साथ व्यापार घाटा भी कम होने की संभावना है।

सरकारी खरीद में वरीयता

लघु उद्यमों को संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए ऐसी व्यापक और स्पष्ट सरकारी नीति थी कि एसएसआई से खरीद को वरीयता दी जाएगी। लेकिन बदलते दौर में यह वरीयता समाप्त या कम कर दी गई।

हाल ही में सरकार ने जनरल फाइनांशियल नियम (जीएफआर) बनाकर एक नई खरीद नीति लागू की है। जीएफआर के नियम 153 में कहा गया है: "50 लाख रुपए और उससे कम मूल्य के माल की खरीद में, और जहां नोडल मंत्रालय यह

निर्धारित करता है कि पर्याप्त स्थानीय क्षमता और स्थानीय प्रतियोगिता है, केवल स्थानीय आपूर्तिकर्ता ही पात्र होंगे।

50 लाख रुपए और उससे अधिक मूल्य की खरीद के लिए (या जहां अपर्याप्त स्थानीय क्षमता/प्रतियोगिता है), यदि न्यूनतम बोली गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता की नहीं है, तो निम्नतम लागत वाले स्थानीय आपूर्तिकर्ता, जो न्यूनतम बोली के 20% के अंतर के भीतर है, को निम्नतम बोली से मेल खाने का अवसर दिया जाएगा।'' (http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx\relid¾162107),

उम्मीद की जाती है कि घरेलू माल की खरीद को वरीयता देने से घरेलू उद्योग को सामान्य रूप से और लघु स्तरीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा।

इंस्पेक्टर राज की समाप्ति

एसएसआई पर 40 से अधिक कानून लागू हैं और 50 से ज्यादा निरीक्षक उनके कारखानों का दौरा करते हैं। उनमें से कई में एसएसआई को दंडित करने के लिए व्यापक शक्तियां हैं। इन खतरों के साथ एसएसआई के लिए उत्पादन, विपणन और प्रौद्योगिकी के उन्नयन जैसे मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होता है। कई ऐसे कानून हैं जो आधुनिक समय में उपयोगिता खो चुके हैं और कई सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से उद्योग के स्वस्थ कामकाज में बाधक हैं। इस त्रासदी को समाप्त करने की सख्त आवश्यकता है। हालांकि अर्थव्यवस्था के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए वर्तमान सरकार ने कुछ बेमानी कानूनों को निरस्त करने का काम शुरू कर दिया है। अब तक 1200 अधिनियम रद्द किए गए हैं और 1824 अधिनियमों को निरस्त करने के लिए चिन्हित कर लिया गया है।

नए उद्यमियों की सुविधा हेतु सभी प्रकार की मंजूरी के लिए एकल खिड़की की आवश्यकता है। कुछ राज्यों ने इस प्रक्रिया को शुरू किया है। जैसे ही अधिक से अधिक राज्य सरकारें ऑनलाइन होंगी, इस प्रक्रिया में तेजी आएगी। स्टार्टअप्स के लिए नई पहल के तहत, ऑनलाइन अनुमतियां पहले ही दी जा चुकी हैं।

हमें रेल, सड़क, बिजली, कौशल विकास, बाजार (ई-पोर्टल्स सहित) सहित विभिन्न प्रकार के बुनियादी ढांचे को विकसित करने की जरूरत है। गांवों का सार्वभौमिक विद्युतीकरण, सौर ऊर्जा को बढ़ावा, वर्तमान सरकार द्वारा सड़कों का तेजी से निर्माण, यह सब लघु और अति लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए ही किया जा रहा है, खास तौर से ग्रामीण इलाकों में। सरकार द्वारा ई-प्रोक्योरमेंट को भी शुरू किया गया है।

बुनियादी ढांचे का निर्माण

एक दुर्गम क्षेत्र में लघु उद्यमों को शुरू करना और चलाना लगभग असंभव है। वे न तो रेल या सड़क से जुड़े हैं, न ही वहां ऊर्जा का विश्वसनीय स्रोत है। बड़े और विकसित स्थानों में भी बिजली की आपूर्ति एक बड़ा मुद्दा है। कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर जनरेटर का उपयोग किया जाता है। इससे लागत बढ़ती है और प्रदूषण भी होता है। जनरेटर वाली इकाइयों का संबंधित विभागों के निरीक्षकों द्वारा शोषण भी किया जाता है। हमें रेल, सड़क, बिजली, कौशल विकास, बाजार (ई-पोर्टल्स सहित) सहित विभिन्न प्रकार के बुनियादी ढांचे को विकसित करने की जरूरत है। गांवों का सार्वभौमिक विद्युतीकरण, सौर ऊर्जा को बढ़ावा, वर्तमान सरकार द्वारा सड़कों का तेजी से निर्माण, यह सब लघु और अति लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए ही किया जा रहा है, खास तौर से ग्रामीण इलाकों में। सरकार द्वारा ई-प्रोक्योरमेंट को भी शुरू किया गया है।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वभाव से भारतीय लोग उद्यमी, मेहनती और उत्साही हैं। उन्हें उद्यमिता विकास के लिए अनुकूल वातावरण की आवश्यकता है। यह प्रमुख रूप से सरकार का काम है। सरकार को अच्छे कानून बनाने पड़ते हैं, वातावरण को अनुकूल बनाना पड़ता है। भौतिक अवसंरचना को छोड़कर इसके लिए बहुत ज्यादा बजट की आवश्यकता नहीं होती है। बुनियादी ढांचे को भी सार्वजनिक निजी साझेदारी से विकसित किया जा सकता है। हाल के वर्षों में सुधार के बावजूद व्यापार में सहजता के मामले में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी रैंकिंग अब भी 130 है। सरकार द्वारा बहुत कुछ किया जा चुका है और अभी बहुत अधिक की उम्मीद है। ❑

राष्ट्रीय अ.जा.-अ.ज.जा. हब कॉन्क्लेव

हाल ही में हुए राष्ट्रीय अ.जा-अ.ज.जा. हब सम्मेलन में एमएसएमई संबंधित निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया। अ.जा-अ.ज.जा. वेंडर्स के समेकित डेटाबेस की आवश्यकता जिसमे उनके द्वारा प्रदत्त उत्पादों व सेवाओं के ब्योरे शामिल हों; अ.जा-अ.ज.जा. लघु-कुटीर उद्योगों के कौशल अंतराल को दूर करने के लिए विशेष वेंडर विकास कार्यक्रम व क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन और सूचना के प्रसार के लिए माध्यम के रूप में प्रौद्योगिकी का प्रयोग।

प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय अ.जा-अ.ज.जा. हब सम्मेलन का लक्ष्य अ.जा-अ.ज.जा. उद्यमियों को प्रौद्योगिकी उन्नयन व क्षमता निर्माण में सहयोग देते हुए सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में प्रभावी प्रतिभागिता हेतु समर्थ बनाते हुए उनके लिए एक सहयोगी पारिस्थितिकी-तंत्र (इकोसिस्टम) तैयार करना है।

भारत सरकार ने सरकारी खरीद नीति 2012 तैयार की जिसके अनुसार केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों व सीपीएसई द्वारा वस्तुओं व सेवाओं की कुल खरीद का 20 प्रतिशत एमएसई से किया जाएगा और एमएसई से हुई ऐसी खरीद का 20 प्रतिशत (कुल खरीद का 4 प्रतिशत) अ.जा. के स्वामित्व वाले एमएसई से किया जाएगा। ❑

Mc Graw Hill Education

UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2018

1985 से अब तक सर्वश्रेष्ठ

₹ 1595/-

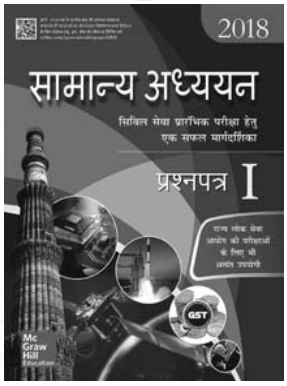

ISBN: 9789352607433

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I 2018: मुख्य विशेषताएं

- प्रस्तुत पुस्तक में निहित विषयों में स्थित आंकड़ों के समायोजन में विभिन्न, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों, बजट 2017-18, आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 आदि महत्वपूर्ण घटकों का अटूट सहयोग
- जून 2017 में संपन्न सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नपत्र के प्रश्न प्रवृत्ति का विश्लेषणात्मक विवेचन एवं उनका व्याख्या सहित स्पष्ट हल
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं को सिविल सेवा परीक्षा के अनुरूप ढालने का एक सफल प्रयास
- प्रस्तुत पुस्तक के प्रत्येक भाग में विकल्पीय प्रश्नों में अवधारणात्मक प्रवृति वाले प्रश्नों का व्यापक रूप से समावेश

₹ 995/-

ISBN: 9789352607440

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II 2018: मुख्य विशेषताएं

- सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के अद्यतन प्रारूप के आधार पर 15 नए मानक अभ्यास प्रश्नपत्रों का समावेश
- जून ,2017 के नवीनतम प्रश्नपत्र को शामिल करते हुए 2013-17 तक के पूर्व वर्षों के प्रश्नपत्रो का व्याख्या सहित विश्लेषण
- प्रत्येक खंड में सूक्ष्म विधियों का समावेश जो अभ्यर्थियों की सफलता हेतु अत्यंत आवश्यक
- स्वमूल्यांकन हेतु विविधता से ओतप्रोत वाले प्रश्नों की सार–संचयिका
- लेखन शैली एवं अभ्यर्थियों को समझाने में सहज, सरल एवं सुबोध भाषा शैली का प्रयोग

Prices are subject to change without prior notice.

सामान्य अध्ययन (प्रश्नपत्र I और II 2018)

के नि:शुल्क प्रश्नपत्र प्राप्त करने के लिए पंजीकृत करें

www.mheducation.co.in/upscsamplepapers

मेक्ग्रॉ हिल एजुकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

SHIPPING FREE ₹ 500/-

टोल फ्री नं.: 1800 103 5875 | ई-मेल: reachus@mheducation.com | खरीदें @ www.mheducation.co.in

संपर्क करें@ /McGrawHillEducationIN /MHEducationIN /Company/McGraw-Hill-Education-India /McGrawHillEducationIndia

YH-731/2017

लघु उद्योगों में अग्रणी था भारत

पवन कुमार शर्मा

अंग्रेजों ने भारत का सामाजिक और आर्थिक ढांचा, इंग्लैंड में औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से नष्ट किया। परिणाम स्वरूप भारत में अनेक प्रकार की विसंगतियों ने जन्म लिया। अंग्रेजों ने भारत के घरेलू और लघु उद्योगों को इसलिए उजाड़ा क्योंकि एक तो ये उत्तम किस्म का माल बनाते थे, दूसरे इनकों उजाड़े बिना वे भारत जैसे उपनिवेशों से लूटे गए धन के आधार पर अपने देश का औद्योगिकीकरण नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों की इन दो बातों के आधार पर बड़े उद्योग प्रचलन में आए। इस प्रकार की व्यवस्था के प्रचलन में आने के बाद से भारत का सामाजिक और आर्थिक ढ़ांचा प्रभावित होना शुरू हुआ और यूरोप की प्राकृतिक तथा भारत के सांस्कृतिक अर्थतन्त्र का विनाश भी प्रारंभ हुआ

भारत आदिकाल से ही सुख, समृद्धि एवं अध्यात्म की भूमि रहा है। यहां की समृद्धि और आध्यात्मिकता ने ही विश्व के अनेक विद्वानों, योद्धाओं तथा यात्रियों को अपनी ओर आकृष्ट किया। यह सुख और समृद्धि भारत ने एक दिन में अर्जित नहीं की थी। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उसने जो गण, गोत्र, कुल और कुटुंब की संरचना विकसित की थी वही संरचना इसके आर्थिक आधार को बल प्रदान करती थी। सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के समन्वय ने ही इसे विश्व में आकर्षण का केन्द्र बनाया और मुक्त विचार वाहिनी के रूप में विकसित किया। प्राचीन काल से लेकर 18वीं सदी तक भारत ने अपनी इस अवस्था को बखूबी बनाए रखा। लेकिन बाद में इस अवस्था में परिवर्तन आ गया।

यात्रियों की नजर में समृद्धि का इतिहास

रिइमेजिनिंग इण्डिया नामक पुस्तक की भूमिका में उसके संपादक बहुत ही दृढ़ता से लिखते हैं कि *भारत के असाधारण अतीत को जाने बिना भारत के भविष्य का स्वप्न पूर्ण नहीं हो सकता।* वे इसी में आगे अपनी बात की पुष्टि के परिप्रेक्ष्य में मेगस्थनीज के हवाले से लिखते हैं (जिसने कि पंजाब से होते हुए गंगा के मैदान तक की यात्रा की थी) कि भारत में न तो कभी भुखमरी हुई और न ही कुपोषण।[1] इसी तरह इटली का यात्री मार्को पोलो जिसने 1292 में चीन से भारत होते हुए ईरान तक यात्रा की थी, ने पाया कि मालाबार (भारत) के जहाज पत्तन विश्व के समृद्धतम पत्तनों में थे।[2] यह सब यह दर्शाता है कि भारत प्राचीन काल से मध्यकाल और आगे मध्यकाल से आधुनिक काल तक संपूर्ण विश्व में अपनी समृद्धि के लिए विख्यात था।

अब 17वीं सदी के भारत पर दृष्टिपात करते हैं तो ब्रिटिश रानी एलिजाबेथ को भारत के मुगल बादशाह अकबर, जिसका साम्राज्य उत्तर में काबुल और दक्षिण में दक्षिण के पठार तक विस्तृत था, की तुलना में कमतर पाते हैं।[3] इसी प्रकार से 17वीं सदी के अन्तिम दिनों का वर्णन इटली के यात्री मनुची कुछ यों करते हैं कि *मुगल शासकों के सभी राज्यों में से बंगाल, फ्रांस में सबसे अधिक महशूर है। बंगाल की बेहद उर्वरता का सबूत उसकी अपूर्व संपदा है जो वहां से यूरोप को जाती थी। हम बेझिझक कह सकते हैं कि वह किसी भी मामले में किसी से कम नहीं है, बल्कि रेशम, कपास, चीनी और नील के उत्पादन के मामले में तो वह मिस्र से भी आगे है। यहां फल, दाल, अनाज, मलमल और जरी तथा रेशम के कपड़े सभी चीजें भरी पड़ी हैं।*[4]

इसी बात की पुष्टि फ्रेंच यात्री बर्नियर के संस्मरण से भी होती है उन्होंने 1660 के आसपास बंगाल की दो बार की यात्रा में पाया कि मिस्र की तुलना में अधिक धनी है। बंगाल भारी मात्रा में रेशम, कपास, चावल, चीनी और मक्खन का निर्यात करता है। यह अपने उपयोग के लिए प्रचुर मात्रा में गेहूं, साग-सब्जियां, अनाज, मुरगे-मुरगियां, बतखें और कलहंस पैदा करता है। इसके पास ढेर-सारे सूअर, भेड़ें और बकरे हैं। हर तरह की मछलियों का इसके पास बाहुल्य है। राजमहल से लेकर समुद्र तक नहरें हैं जिन्हें बहुत मेहनत से काटकर बनाया गया है ताकि नौ संचालन और सिंचाई का काम लिया जा सके।[5]

सशक्त विनिर्माण उद्योग: यूरोप के आकर्षण का कारण

आगे जब हम 1757 के मुर्शिदाबाद का हाल देखते हैं तो वह भी हमें आश्चर्यचकित

लेखक अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश के समाज विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता (डीन) हैं। समाजशास्त्रीय सेमिनारों में इनकी सक्रिय उपस्थिति रही है। *भारत विद्या* के अध्येता हैं तथा संस्कृत वाङ्मय में वर्णित समकालीन मुद्दों को विश्लेषण के साथ युवा वर्ग के सम्मुख रखते हैं। ईमेल: pawan_sharma 1967@yahoo.in

करने वाला है। क्लाइव के शब्दों में *यह शहर उतना ही विस्तृत, उतनी ही अधिक आबादी वाला और उतना ही समृद्ध है जितना लंदन। फर्क इतना है कि यहां पर ऐसे लोग अधिक हैं जिनके पास लंदन की तुलना में अधिक संपत्ति है।*[6] इन सभी बातों को 1916-18 के भारतीय औद्योगिक आयोग की रिपोर्ट से भी बल मिलता है जो वे इसके प्रारंभ में लिखते हैं *ऐसे समय जबकि आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के जन्म स्थान पश्चिमी यूरोप में असभ्य जनजातियां बसी हुई थीं। भारत अपने शासकों की समृद्धि और अपने शिल्पियों की अत्यन्त कलात्मक कारीगरी के लिए विख्यात था और काफी समय बाद भी जब पश्चिम के साहसी सौदागर पहली बार भारत पहुंचे तो इस देश का औद्योगिक विकास किसी भी कीमत पर अपेक्षाकृत अधिक विकसित यूरोपीय देशों से कम नहीं था।* कुछ इसी प्रकार का वक्तव्य भारत की खनिज संपदा के अधिकारी सर थॉमस हालैण्ड ने 1908 में अपनी रिपोर्ट में दिया था कि *देश में तैयार लोहे की श्रेष्ठ किस्म, उच्च स्तर का इस्पात तैयार करने के लिए आज यूरोप में अपनाए जा रहे तरीके का पूर्ण ज्ञान और तांबे तथा पीतल के बने कलात्मक सामानों ने एक समय भारत में, भारत को धातु कर्मीय जगत में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया था।*[7]

भारत की इसी स्थिति से प्रभावित होकर न केवल यूरोप में अपितु संपूर्ण पश्चिमी जगत में खलबली मच गई थीं और उसी होड़ का परिणाम था कि 1500 ई. में पुर्तगाल ने कालीकट में तथा 1506 में गोवा में, अपने कारखाने स्थापित किए। ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कंपनी ने अनेक छोटी-छोटी कंपनियों को मिलाकर स्वयं का गठन 1600 में किया और भारत के साथ व्यापारिक संबन्ध बनाए। 1602 में डच ईस्ट इण्डिया कंपनी और 1664 में फ्रेंच ईस्ट इण्डिया कंपनी की स्थापना हुई। ये सभी देश भारत की ओर यहां की गरीबी को देखकर नहीं अपितु उसकी समृद्धि को देखकर आकृष्ट हुए थे। वह समृद्धि जो उसने स्वयं के लघु एवं कुटीर उद्योगों के द्वारा अर्जित की थी। इन्हीं केन्द्रों में उत्पादित वस्तुओं की ब्रिकी यूरोप में करके भारत *सोने की चिड़िया* बना था। मार्क्स इस विषय में बहुत ही रोचक जानकारी प्रस्तुत करते हैं कि अनादिकाल से यूरोप भारतीय श्रम से तैयार की गई सुदंर वस्तुएं प्राप्त करता रहा और बदले में अपनी कीमती धातुएं भेजता रहा।[8] और ये कीमती धातु और कुछ नहीं अपितु सोना-चांदी ही थीं। इसी व्यापार के बल पर भारत ने अकूत संपत्ति अर्जित की थी।

प्राकृतिक अनुकूलता का अवदान

मार्क्स के हवाले से रामविलास शर्मा इस बात को विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं कि भारत में ऐसा कैसे हो सका था वे लिखते हैं कि इस तरह की स्थिति क्यों पैदा होती है? भारत में ऐसा क्यों हुआ कि उत्तर-वैदिक काल से गांव में आमतौर से कारीगर एक तरह का काम करते हैं और किसान दूसरी तरह का काम करते हैं। खेती और उद्योग का बंटवारा भारत में हजारों साल पहले हो गया था। इंग्लैंड में यह 18वीं सदी में संपन्न होने को था। वे आगे फिर लिखते हैं कि ऐसा जलवायु की प्रतिकूलता के कारण होता है। यानि जलवायु जितनी ही प्रतिकूल होती है उतनी ही खेती करने की अवधि संकुचित होती है। उत्तरी यूरोप में ठंड बहुत पड़ती है। इंग्लैंड में भी ठंड बहुत पड़ती है।

इस प्रकार से ध्यान में आता है कि भारत में कृषि और उद्योग धंधों के अलगाव ने कृषक और कारीगर दोनों को ही वैशिष्ट्य प्रदान कर दिया और इसी वैशिष्ट्य ने उसे न केवल भारत के घरेलू सामान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सक्षम बनाया बल्कि विश्व बाजार की पूर्ति करने में भी वह समर्थ हो सका।

भारत में किसान जितने दिन खेती कर सकता है उतने दिन वह इंग्लैंड में नहीं कर सकता। साल में तीन चार महीने खेती के बाकी समय वह क्या करे? बाकी समय वह कारोबार का कार्य करे। वे आगे पुनः तर्क देते हैं कि भारत में इससे स्थिति बिल्कुल उल्टी है। प्राकृतिक अर्थतन्त्र शब्द जर्मनी, इंग्लैंड जैसे देशों के लिए ठीक है। यहां की जलवायु के कारण किसान के लिए सालभर खेती करना संभव नहीं है। भारत में किसान साल में काफी दिन खेती करता है। उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए तथा खेती से अलग बाजारों में माल बेचने के लिए कारीगरों का अलग वर्ग है। भारत में उद्योग-धंधों और खेती के अलगाव को ध्यान में रखें और इंग्लैंड में खेती और उद्योग-धंधों के गठजोड़ को ध्यान में रखें तो विदित हो जाएगा कि कुछ बातों में इंग्लैंड आर्थिक विकास में भारत से पिछड़ा हुआ था।[9]

ब्रिटिश राज ने किया नाश

इस प्रकार से ध्यान में आता है कि भारत में कृषि और उद्योग धंधों के अलगाव ने कृषक और कारीगर दोनों को ही वैशिष्ट्य प्रदान कर दिया और इसी वैशिष्ट्य ने उसे न केवल भारत के घरेलू सामान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सक्षम बनाया बल्कि विश्व बाजार की पूर्ति करने में भी वह समर्थ हो सका। इन्हीं कारणों से वह विश्व का पहला वैश्विक व्यापारी बना और विश्व बाजार में उसकी सहभागिता 18वीं सदी तक सर्वाधिक लगभग 30 प्रतिशत के आसपास रही। सही अर्थों में यह इंग्लैंड-यूरोप और बाद में संपूर्ण पाश्चात्य जगत से इतर एक नए अर्थतंत्र का विकास करने में सक्षम हुआ, जिसे मैं सांस्कृतिक अर्थतन्त्र कहता हूं। इसने विकास तो किया किन्तु संपूर्ण प्रक्रिया के मध्य समन्वय बनाकर।

जैसे ही उसे भारत जैसा विशाल संसाधनों वाला देश उपनिवेश के रूप में जिन्हें प्राप्त हुआ वैसे ही उन्होंने उसका बेतरतीब शोषण प्रारंभ कर दिया। इस परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजों के आगमन के भारत के दर्शन पर सुप्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक धर्मपाल जी अपनी पुस्तक *भारतीय चित्त, मानस और काल* में विस्तार से प्रकाश डालते हैं। उनके अनुसार भारत में ईसा से 12वीं सदी पूर्व से लोहा ढाला जा रहा है।[10] भारत में यह प्रौद्योगिकी 18वीं सदी तक फली-फूली। ये सभी कारीगर कुटीर उद्योगों के रूप में न केवल लोहे की ढलाई का कार्य करते थे, बल्कि उन्नत किस्म का लोहा भी बनाते थे। इसकी गुणवत्ता के विषय में 1784 में डी.एच. स्कॉट ने ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष सर जे. बैक्स को भारतीय 'बुट्ज' इस्पात का नमूना भेजा। इंग्लैंड के अनेक विशेषज्ञों ने उसका विस्तृत परीक्षण किया। तब पाया गया कि उन दिनों ब्रिटेन में जो सर्वोत्तम इस्पात प्रयोग में आ रहा है, उससे इस भारतीय इस्पात का साम्य है।[11] इस प्रकार के लोहे निर्माण की भट्टियां भारत में सब तरफ विद्यमान थीं। मद्रास के असिस्टेंट सर्वेयर जनरल कैप्टन जे. कैंपबेल ने दक्षिण भारत में तैयार किए जाने वाले चार तरह से भारतीय लोहे का विवरण इंग्लैंड से भेजा, इसमें कच्चा माल, भट्टी ईंधन, निर्माण विधि आदि का विवरण था, ताकि ब्रिटिश लोह निर्माता एवं लोह व्यापारी उस ज्ञान का लाभ उठा सकें।[12]

वे पुनः लिखते हैं कि मेरा अनुमान है कि 1800 ईस्वी के आसपास में लगभग 10000 भट्टियां थीं जिनमें लोहा और इस्पात बनता था। यदि वर्ष में 30-40 सप्ताह इन पर कार्य होता होगा, तो इनमें से प्रत्येक की उत्पादन क्षमता 20 टन बढ़िया इस्पात प्रतिवर्ष की थी। इस प्रकार बढ़िया लोहा और इस्पात बनाने में उस समय भारत ब्रिटेन के लोहा बनाने वालों से आगे दिखते हैं।[13] इतना ही नहीं अपितु बर्फ बनाने, सन के पौधे से कागज बनाने, का भी उल्लेख मिलता है। डामर बनाए जाने, गारा बनाए जाने, रंगाई के विविध रसायन बनाने की प्रौद्योगिकी भी 18वीं सदी में भारत में विकसित थी।[14]

सूती वस्त्रोद्योग में भारत अग्रणी था। 1810 ई. के आसपास के ब्रिटिश आंकड़ों से ज्ञात होता है कि दक्षिण भारत के जिलों में सूती, रेशमी कपड़ा बनाने और निवाड़ आदि तैयार करने के काम आने वाली खड्डियों की संख्या 15 से 20 हजार तक प्रति जिले में थी। ऐसा प्रतीत होता है कि देश भर में प्रायः सर्वत्र हर जिले में लगभग इतनी ही खड्डियां रही हो सकती हैं।[15] भारत में स्वावलंबन का भाव प्रारंभ से ही विद्यमान रहा है। इसी आधार पर ग्राम-गणराज्य की भावना का विकास हुआ। यहाँ पर प्रत्येक ग्राम न केवल ऊपरी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था बल्कि कुछ अनुपात में माल का उत्पादन करके वह व्यापारियों को भी देता था। इस प्रकार से भारत समृद्धि के शिखर को प्राप्त हुआ था।

अंग्रेजों ने भारत का यह सामाजिक और आर्थिक ढांचा, इंग्लैंड में औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से नष्ट किया। परिणाम स्वरूप भारत में अनेक प्रकार की विसंगतियों ने जन्म लिया। अंग्रेजों ने भारत के घरेलू और लघु उद्योगों को इसलिए उजाड़ा क्योंकि एक तो ये उत्तम किस्म का माल बनाते थे, दूसरे इनकों उजाड़े बिना वे भारत जैसे उपनिवेशों से लूटे गए धन के आधार पर अपने देश का औद्योगिकीकरण नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों की इन दो बातों के आधार पर बड़े उद्योग प्रचलन में आए। इस प्रकार की व्यवस्था के प्रचलन में आने के बाद से भारत का सामाजिक और आर्थिक ढांचा प्रभावित होना शुरू हुआ और यूरोप की प्राकृतिक तथा भारत के सांस्कृतिक अर्थतन्त्र का विनाश भी प्रारंभ हुआ। इसके स्थान पर विकृत अर्थतन्त्र ने अपने को स्थापित किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत अनेक विसंगतियों से विश्व संतप्त हो रहा है।

उद्योगों से अंतर्संबद्ध आर्थिक ढांचा

भारत के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को मार्क्स के इस कथन से सुगमता से समझा जा सकता है: भारत के अलग-अलग हिस्सों में इन प्राचीन समुदायों के विधान भी अलग-अलग हैं। इनमें से जो सबसे सरल विधान है उसके अन्तर्गत सभी लोग मिलकर खेत जोतते हैं और उसमें पैदा फसल को आपस में बांट लेते हैं। इसके साथ ही प्रत्येक परिवार में कताई और बुनाई का काम सहायक उद्योग के रूप में होता है और दूसरी ओर गांव का मुखिया होता है जो जज, पुलिस और टैक्स वसूल करने वाले का काम एक साथ करता है, परन्तु एक पटवारी होता है जो खेती-बाड़ी का हिसाब रखता है और इससे संबन्धित सब बातों को दर्ज करता रहता है, एक और अधिकारी होता है जो अपराधियों को दण्ड देता है, गांव से गुजरने वाले अजनबियों की रक्षा करता है तथा उन्हें दूसरे गांव तक सुरक्षित ढंग से छोड़ आता है। पहरेदार पड़ोस के गांवों की रक्षा करता है। एक दूसरा अधिकारी सिंचाई के लिए सार्वजनिक तालाबों से पानी बांटता है। ब्राह्मण धार्मिक कृत्यों का संचालन करता है। अध्यापक बच्चों को बालू में पढ़ना-लिखना सिखाता है, ज्योतिषी गांव के लोगों को कृषि संबंधी कार्यों के लिए शुभ दिन की जानकारी देता है। लोहार खेती के औजार बनाते हैं ओर उनकी मरम्मत करते हैं। कुम्हार, गांव के सभी लोगों के लिए बर्तन बनाता है। इसके अलावा गांव में एक नाई, कपड़े साफ करने के लिए धोबी, एक सुनार भी होता है। कहीं-कहीं किसी-किसी समुदाय में कुम्हार, सुनार का भी काम करता है और कहीं पाठशाला में अध्यापक का भी। इन दर्जन भर लोगों का खर्च गांव के लोग चलाते हैं। यदि आबादी बढ़ी तो पुराने ढांचे के आधार पर खाली जमीन पर एक नया समुदाय स्थापित हो जाता है।

बढ़िया लोहा और इस्पात बनाने में उस समय भारत ब्रिटेन के लोहा बनाने वालों से आगे दिखते हैं। इतना ही नहीं अपितु बर्फ बनाने, सन के पौधे से कागज बनाने का भी उल्लेख मिलता है। डामर बनाए जाने, गारा बनाए जाने, रंगाई के विविध रसायन बनाने की प्रौद्योगिकी भी 18वीं सदी में भारत में विकसित थी।

इन आत्मनिर्भर समूहों में उत्पादन का बहुत सरल संगठन है। इन समुदायों से निरंतर एक ही तरह के समुदायों का निर्माण होता रहता है और यदि कोई समुदाय दुर्घटनावश नष्ट हो जाता है, उसी स्थान पर उसी नाम से वैसा ही दूसरा समुदाय जन्म ले लेता है। इन समाजों में उत्पादन की सरलता ही वह मुख्य बात है जिसके कारण एशियाई समाजों में कभी कोई परिवर्तन होता नहीं दिखाई देता। इस अपरिवर्तनशीलता के एकदम विपरीत एशियाई राज्यों का लगातार विघटन जारी रहता है। राजनीतिज्ञ क्षितिज, पर घुमड़ते तूफानी बादल से समाज के आर्थिक तत्वों का ढांचा अछूता रह जाता है।[16] अंग्रेजों ने भारत को अपने आधिपत्य में लेने के बाद न केवल राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया बल्कि यहां की ग्राम समाजों की अर्थव्यवस्था को भी नष्ट किया। भारत का जो भी वैशिष्ट्य था उसे अपनी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से हेय सिद्ध किया और भारत में एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण किया जो लघु और मझले उद्योगों के बल पर समृद्ध भारत की आलोचक बन गई।

ब्रिटिश नीतियों के कुपरिणाम

इंग्लैंड ने अपने उपनिवेशों के शोषण के आधार पर जो लूट मचाई, उसने 18वीं सदी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। इस क्रांति के बल पर 'मास प्रोडेक्शन' होने लगा और बाद में उसके लिए बाजार की खोज की जाने लगी। इस आधार पर शोषण भी इन्हीं उपनिवेशों का हुआ और उसी शोषण के बल पर जन्में उद्योगों में उत्पादित, उत्पादनों का बाजार भी यही बने। इस प्रकार लघु और मझोले उद्योगों के विनाश पर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति पनपी।

भारत में सदैव ही लघु और मझोले उद्योगों को प्रश्रय दिए जाने की परंपरा थी, क्योंकि इनमें देश काल परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तन करना सहज एवं सरल था। इस विषय के गाम्भीर्य को जर्मन विद्वान ई. एफ. शूमाकर की सुप्रसिद्ध पुस्तक *स्मॉल इज ब्यूटीफुल* से आसानी से समझा जा सकता है। दूसरे लघु और मझोले उद्योगों से संस्कृति का सतत संरक्षण होता है जबकि बड़े उद्योगों के निर्माण से न केवल सभ्यता का विकास होता है बल्कि ये अनैतिकता तथा स्वकेन्द्रिकता को भी जन्म देती है तथा यह पूंजी के अत्यधिक केन्द्रीयकरण की भी पक्षधर होती है। इससे प्रकृति के शोषण का वातावरण निर्मित होता है। जैसे-जैसे शोषण बढ़ेगा वैसे-वैसे इंग्लैंड को लाभ होगा, इसीलिए इंग्लैंड ने भारत

लघु उद्योग उत्पादों का निर्यातः एक नजर

प्राचीन समय से ही भारत व्यापार के क्षेत्र में भी अग्रणी रहा है। उसका व्यापार यूरोप, मध्य एशिया, चीन तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया तक विस्तृत था। यह संपूर्ण व्यवसाय कुटीर और मझोले उद्योगों पर आधारित था। अनेक जातियों का अभ्युदय इन्हीं व्यवसायों के आधार पर हुआ था। ये व्यवसाय संघों या गिल्डों के रूप में संगठित होते थे। जातक ग्रंथों के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। प्राचीनकाल में भारत में जो वस्तुएं उत्पादित होती थीं और जिनका निर्यात होता था वे हैं- खनिज, विभिन्न धातुएं यथा, पीतल, कांसा, तांबा, इस्पात आदि। रत्न, हीरे, नीलम, सुलेमानी, गोमेद, इंद्रगोप, लालमणि, फीरोजा, चमड़ा आदि। **खाद्य पदार्थ**- घी, तिल का तेल, खांड, शहद, चावल, गेहूं। उपज- चंदन की लकड़ी, सागौन, इमारती लकड़ी, काली लकड़ी के शहतीर, आब्नूस, हाथी दांत, नील, बरोजे के गोंद (गुग्गुल) जटामासी का तेल। **मसाले**- दालचीनी, काली मिर्च, सफेद मिर्च एवं अन्य। भारत प्रारंभ से ही उच्च कोटि के सूती, रेशमी एवं ऊनी वस्त्रों का भी उत्पादक रहा है। भारत के अनेक पत्तनों पर नौ परिवहन से संबंधित सामग्री का भी उत्पादन बहुतायत में होता था। अरा युक्त पहिए का निर्माण भी सर्वप्रथम भारत ने ही किया था। सूती वस्त्र के लिए ढाका, खानदेश, लाहौर, लखनऊ, बुरहानपुर, मछलीपट्टनम, भरुच। रंगे हुए वस्त्रों का भी बहुतायत में चलन था। दिल्ली-आगरा उसके बड़े केन्द्र थे।

रेशमी वस्त्र व्यापार केंद्रः मासिक बाजार, मालदा, मुर्शिदाबाद, पटना, कश्मीर, बनारस, खंवात, पैठन आदि। असम, नागा, मणिपुर तथा कोयंबटूर में न केवल रेशम का उत्पादन होता था बल्कि उस पर रंगाई भी होती थी।

ऊनी वस्त्र उद्योगः काबुल, कश्मीर, राजस्थान, तिब्बत आदि की ऊन उन्नत होती थी। उत्पादन केंद्रों के रूप में- पटना, आगरा, फतेहपुर सीकरी, बुरहानपुर, जौनपुर, अलबर तथा अमृतसर थे।

धातु उद्योगः लाहौर, बनारस, सौराष्ट्र, कालिंजर, सियालकोट, मुल्तान, मेवाड़ आदि स्थानों पर केंद्रित था।

शीशा उद्योगः कोल्हापुर, सतारा, शोलापुर, बींद, गोरखपुर, अहमदनगर, आगरा, बिहार, गुजरात, चित्तौड़, पूर्वी गोदावरी, बेलारी, बालाघाट पर केंद्रित रहा।

कागज उद्योगः पटना, दिल्ली, राजगीर, अवध, अहमदाबाद, गया, इलाहाबाद आदि।

कहां से कहां होता था निर्यात

तटवर्ती क्षेत्र तथा मुख्य बंदरगाह	निर्यात की मुख्य वस्तुएं	गंतव्य स्थान
सिंध लाहारी बंदर	लट्ठा	फारस की खाड़ी, गोआ को तटवार
गुजरात कैंबे, गोधा, दीऊ, सूरत कोंकण	सूती माल, सूत, नील (तीर्थ यात्री)	लाल समुद्र, फारस की खाड़ी; गोआ को तटवार
चौल, दमोल, राजापुर	मुख्यतः लट्ठा तथा महंगा सामान, कुछ काली मिर्च (तीर्थ यात्री	लाल समुद्र, फारस की खाड़ी; गोआ को तटवार
गोआ (भटकल, लुप्त)	जहाज पर माल बदलना, कुछ स्थानिक निर्यात	फारस की खाड़ी, पूर्व अफ्रीका, लिस्बन, मलक्का तथा इससे आगे लंका
मालाबार, कालीकट, कोचीन, बहुत से छोटे-छोटे बंदरगाह	काली मिर्च	कोचीन से लिस्बन तथा लंका और मलक्का, कालीकट तथा छोटे बंदरगाह से लाल समुद्र को
दक्षिण तट, क्वीलन, तुतीकोरीन नेगापट्टम	लट्ठा, काली मिर्च	मुख्यतः तटवार, नेगापतम से मलक्का तथा और आगे
कारोमंडल तट दक्षिणः एस.पोम, पुलीकट	सुंदर वस्तुएं, लट्ठा तथा मलमल, सूत	मलक्का तथा इससे आगे, अचीन, पेगु तथा तेन्नास्सरीम, गोआ तथा मालाबार को तटवार
उत्तर मछलीपट्टम	सस्ता कपड़ा तथा मलमल, सुंदर वस्तुएं, सूत	मलक्का तथा इससे आगे अचीन, पेगु तथा तेन्नासरीम, फारस की खाड़ी, तटवार, उत्तर तथा दक्षिण
गिंजली तट, विशाखापट्टम, बिमलीपट्टम	खाद्य वस्तुएं (चावल तथा तेल के बीज)	मुख्यतः तटवार
बंगाल, हुगली, पिपली, बेलसर, चटगांव	खाद्य वस्तुएं (चावल तथा चीनी), मलमल	पेगु तथा तेन्नासरीम, मलक्का तथा इससे आगे, अचीन, तटवार व्यापक व्यापार।

के उद्योगों को बहुत ही बेहरमी से नष्ट किया। भारत के उत्पादकों के साथ उन्होंने जो व्यवहार किया उसको 1840 में चार्ल्स ट्रेवलिन के पार्लियामेंट में दिए गए इस वक्तव्य को आसानी से समझा जा सकता है: हमने उनके उत्पादकों को बर्बाद कर दिया और अब उनके पास अपनी जमीनों पर निर्भर रहने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है।[17]

इस प्रकार से उन्होंने न केवल भारत के उद्योगों को बर्बाद किया बल्कि उनके इस कुकृत्य से भारतीय कृषि पर अतिरिक्त

दबाव बन गया। इस प्रकार उद्योगों के उजड़ जाने से उनको भारत का भरा-पूरा बाजार भी मिल गया और सस्ते श्रमिक भी तथा कृषि पर अत्यधिक दबाब बढ़ने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को उन्होंने कमजोर कर दिया। भारत में कृषि और उद्योगों की जो युति थी उसको उन्होंने बहुत ही चतुराई से तोड़ दिया और बाद में भारत के खैरख्वाह बनने के दृष्टिकोण से अंग्रेजों ने भारत के विकास की संभावनाओं को तलाशने के भी प्रयास किए, उन्हीं प्रयासों के परिप्रेक्ष्य में 'दि टाइम्स' के कोलकाता स्थित संवाददाता सर अल्फ्रेड ने 1933 में रायल इंपायर सोसायटी की एक बैठक में आगाह करते हुए कहा ''भारत खोए हुए अवसरों का देश है और इसकी जिम्मेदारी ब्रिटिश शासन पर है। यद्यपि भारत के पास वे सारी दशाएं प्रचुर मात्रा में हैं जिनसे कोई देश महान औद्योगिक देश बनता है, लेकिन वह आज आर्थिक दृष्टि से दुनिया के पिछड़े देशों में से एक है और उद्योग के क्षेत्र में अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। हमने उद्योग के मामले में भारत की असंदिग्ध क्षमता को विकसित करने की समस्या पर कभी गंभीरता से काम नहीं किया। यदि आने वाले वर्षों में भारत अपनी विशाल आबादी की बढ़ी हुई मांग के आधार पर अभूतपूर्व ढंग से अपना औद्योगिक विकास नहीं करता है तो देश का जीवन निर्वाह स्तर जो अभी ही भयानक रूप से नीचा है भुखमरी के स्तर से नीचा गिर जाएगा।[18] इस वक्तव्य के द्वारा हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जो भारत 18वीं सदी के अंतिम वर्षों तक विश्व के समृद्धतम देशों में गिना जाता था उसको अंग्रेजों ने अपने 170 वर्षों के शासन काल में इतना नीचे गिरा दिया कि वह अपने जीवन निर्वाह तक के लिए परेशान हो गया। भारत के साथ तो उन्होंने ऐसा किया ही बल्कि अपनी ना समझी के चलते उन्होंने अपने देश को भी मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि उपनिवेशों की लूट के बल पर उन्होंने अपने यहां जो उद्योग लगाए वे आधार विहीन थे, यानि उनका कच्चा माल इन्हीं उपनिवेशों से मिलता था।

आगे क्या

सर अल्फ्रेड की 1933 में बयां की गई चिन्ता के क्रियान्वयन का यही, सही समय है जब हम पुनः भारत के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों की युति स्थापित करें, जैसी की अतीत में थी जिसके बल पर भारत सोने की चिड़िया बना था। वर्तमान में अपनी मेधा को समझकर उसी के अनुरूप उद्योगों की स्थापना के बल पर ही भारत पुनः एक बार फिर अपनी खोई हुई समृद्धि को प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि भारत में अपार संभावना है और उन्हीं संभावनाओं के परिदृश्य को दृष्टिगत रखकर प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं के सम्मुख 'स्टार्ट अप' का नारा दिया है ऐसे में देश के युवा अनेक योजनाओं का लाभ उठाकर न केवल स्वयं को स्थापित कर सकते हैं बल्कि अपने देश को भी एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा कर सकते हैं। ❑

संदर्भ

1. साइमन एण्ड शूस्टर, रिइमेजिनिंग इण्डिया, मॅकीन्जी एण्ड कम्पनी, (सम्पादित), नई दिल्ली, 2013, फारवर्ड- XVIII,
2. तदैव
3. तदैव
4. रजनी पामदत्त, आज का भारत, पृ. 44, मैकमिलन इण्डिया लि. 1996,
5. सर विलियम बिल कॉक्स, लेक्चर्स ऑन दी एंशियंट सिस्टम ऑफ इरिगेशन इन बंगाल, कलकत्ता विश्वविद्यालय, 1930, पृ.18-19
6. इण्डियन इंडस्ट्रियल कमीशन 1916-18 की रिपोर्ट
7. टी.एच. हॉलैण्ड, दी मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इण्डिया, 1908
8. मार्क्स एण्ड एंजेल्स, ऑन कालोनियलिज्म, मास्को, 1978, पृ.-52
9. डॉ. रामविलास शर्मा, भारतीय इतिहास और ऐतिहासिक भौतिकवाद, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रकाशन 1992 पृ.-4
10. धर्मपाल, भारतीय चित्त, मानस एवं काल, पुनरूत्थान ट्रस्ट, अहमदाबाद, 2007, पृ.-78
11. तदैव
12. तदैव-79-80
13. तदैव- 80
14. तदैव
15. तदैव-81
16. मार्क्स, पूंजी, खण्ड 1, अध्याय 15, अनुभाग-4
17. रामकृष्ण मुखर्जी द राइज एण्ड फाल ऑफ द ईस्ट इण्डिया कंपनी, आकार बुक्स, दिल्ली 2011, पृ.-340
18. दि टाइम्स, 4 जनवरी 1933.

IAS/PCS

सरस्वती

राजनीति विज्ञान

द्वारा राजेश मिश्रा

The most trusted name in Political Science

राजनीति विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ संस्थान

★ सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम का सबसे ज्यादा भाग कवर करने वाला विषय।
★ वर्तमान पाठ्यक्रम में राजनीति विज्ञान सामान्य अध्ययन का ही विस्तार है।
★ हमारे संस्थान के विद्यार्थियों में उ०प्र० टॉपर, उत्तराखण्ड में तीसरा स्थान, बिहार में तीसरा एवं चौथा स्थान, झारखण्ड टॉपर एवं मध्यप्रदेश में 13वीं एवं राजस्थान में 9वीं,18वीं एवं 25वीं स्थान प्राप्त किया है।
★ सिविल सेवा परीक्षा में 28वीं रैंक, 55वीं रैंक, 111वीं रैंक तथा 175वीं रैंक प्राप्त किया है।
★ परिणाम अध्ययन की गुणवत्ता प्रदर्शित करते हैं।
★ सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का मार्गदर्शन संस्थान के द्वारा किया गया है।
★ हमारे संस्थान की सफलता दर सर्वाधिक बेहत्तर है।

सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी पुस्तकें

नया बैच
10 Nov. 2017

राजव्यवस्था एवं भारतीय विदेश नीति की सबसे प्रामाणिक एवं बेहतर पुस्तक जो अत्यधिक सरल एवं अपडेटेड हैं।

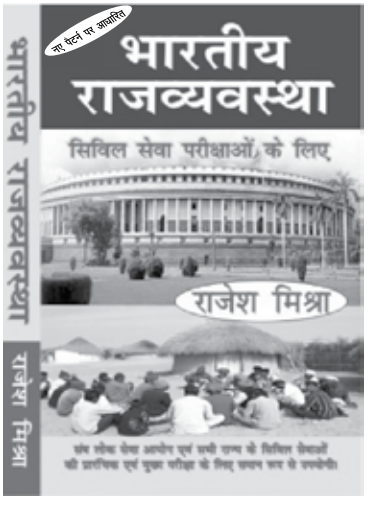

U.G.C. (NET/JRF), TGT, PGT and Higher Education Entrance के लिए विशेष उपयोगी

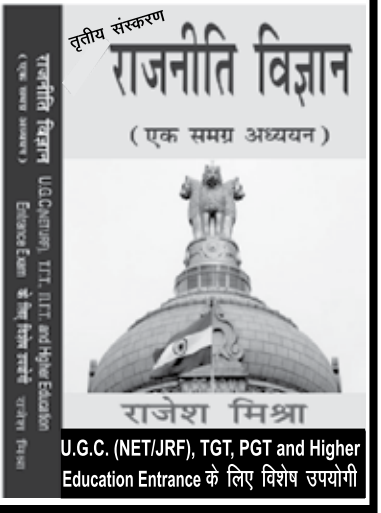

A-20, 102, 1st Floor, Indraprasth Tower, (Near Batra Cinema)
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Ph.: 011-27651250, 09899156495
E-mail : saraswati.ias@gmail.com Visit us : www.saraswatiias.com

YH-732/2017

पर्यावरण के अनुकूल लघु और कुटीर उद्योग

चंदन कुमार
प्रभांसु ओझा

आज देश में पांच करोड़ से अधिक मझौले, लघु और सूक्ष्म उद्योग हैं। ये उद्योग भारत के मैन्यूफैक्चरिंग में 40 प्रतिशत और तिजारती निर्यात में 45 प्रतिशत का योगदान देते हैं। जाहिर है कि अर्थव्यवस्था को योगदान देने के मामले में ये उद्योग बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस बात को स्वयं प्रधानमंत्री ने भी स्वीकार किया था। लेकिन प्रायः हम देखते हैं कि लघु और कुटीर उद्योगों के योगदान को पर्यावरण पर डाले जा रहे दुष्प्रभावों के आधार पर उपेक्षित किया जाता है, जबकि वास्तविकता इसके उलट है। भारी उद्योगों की तुलना में लघु और कुटीर उद्योग पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं

प्रधानमंत्री ने मुद्रा (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी) योजना को शुरू करते हुये अब से दो वर्ष पहले एक विचारवान टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि अब समय आ गया है कि हम हमेशा से पर्यावरण के अधिक अनुकूल रहे लघु और कुटीर उद्योगों के महत्त्व को पहचानें। उन्होंने इसके लिए गुजरात में पतंग व्यवसाय में लगे निर्धन समुदाय का उदाहरण दिया था।

आज कुटीर और लघु उद्योगों पर चर्चा इसलिए भी आवश्यक है कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के दौर में ये उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं। यह दु:ख की बात है कि अपने देश में आज तक भारी उद्योगों को ध्यान में रखकर ही नीतियां बनायी गयीं, नतीजतन न सिर्फ हमने पर्यावरण को अकल्पनीय क्षति पहुंचायी, बल्कि लघु और कुटीर उद्योगों की क्षमता और महत्त्व की भी उपेक्षा की। हालांकि समय-समय पर लघु उद्योगों के लिये नीतियां बनीं, लेकिन इन उद्योगों के विकास का प्रश्न कभी प्राथमिकता में नहीं आ सका। इनके पर्यावरणीय पक्ष को लेकर चर्चा तो सिरे से गायब रही। जबकि विकास की दौड़ में यह बात अपने देश के लिये वरदान हो सकती थी।

लघु और कुटीर उद्योग: पर्यावरणीय महत्व

जाहिर है कि पर्यावरण के नजरिये से लघु और कुटीर उद्योगों का महत्त्व समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि विकास और अर्थव्यवस्था की अवधारणा से ये उद्योग किस तरह जुड़े हैं?

अपने देश में कुटीर उद्योग विशेषत: परिवार के सदस्यों द्वारा ही संचालित होते हैं। इसमें सीमित मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। चमड़े के उत्पाद, ईंट-भट्टी का काम, कागज़ के थैले, बाँस की टोकरियों का निर्माण आदि कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। परंपरागत पेशे जैसे- बढ़ई, लोहार आदि काम भी इसी श्रेणी में आते हैं। गुड़, अचार, पापड़, जैम एवं मसाले आदि खाद्य वस्तुएँ भी इस उद्योग के उत्पाद हैं। वर्तमान सरकार के प्रयासों के चलते अब भारी उद्योगों के लिये कलपुर्जे आदि प्रदान करने का काम भी लघु उद्योगों के दायरे में आने लगा है।

कुटीर उद्योगों में इस्तेमाल होने वाला अधिकतर कच्चा माल कृषि क्षेत्र से आता है अत: किसानों के लिए अतिरिक्त आय की व्यवस्था कर यह देश की कृषि-अर्थव्यवस्था को बल प्रदान करता है। चूंकि इनमें कम पूंजी लगाकर अधिक उत्पादन किया जा सकता है और बड़ी मात्रा में अकुशल बेरोज़गारों को रोज़गार मुहैया कराया जा सकता है। इनकी उत्पादन प्रक्रिया से पर्यावरण को भी कम नुकसान होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कुटीर उद्योग के कुछ उत्पाद विभिन्न समुदायों की संस्कृति और कला से भी जुड़े होते हैं जैसे बस्तर का काष्ठ शिल्प।

लघु और कुटीर उद्योगों का विकास समाज की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके अलावा लघु उद्योग हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के अनुकूल हैं और प्रदूषण विस्तार भी नहीं

चंदन कुमार दिल्ली विश्विद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक हैं। इससे पूर्व वह सत्यवती कॉलेज के प्राचार्य भी रह चुके हैं। उच्च शिक्षा में सुधार हेतु नियमित रूप से विविध विषयों पर लेखन व विभिन्न व्याख्यानों के माध्यम से अनवरत रूप से सक्रिय हैं। ईमेल: dr.chandanchaubey@gmail.com
प्रभांशु ओझा वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस महाविद्यालय में अतिथि अध्यापक हैं। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में नियमित रूप से सामाजिक-आर्थिक विषयों पर लिखते रहते हैं। वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधरत हैं। ईमेल: prabhansukumc@gmail.com

करते। कुटीर उद्योग स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्थानीय श्रमिकों द्वारा स्थानीय संसाधनों का दोहन कर हमारी सामाजिक व्यवस्था में निरन्तरता बनाए रखते हैं और बड़े उद्योगों के कारण फैलने वाले प्रदूषणों से बचाव भी हो जाता है। स्थानीय श्रमिक सदैव प्रकृति का दोहन उतना ही करना चाहता है जितना कि उसे आवश्यकता है। प्रलोभन व संचय की वृत्ति उनमें नहीं होती जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। अत: वे पारिस्थितिकीय सन्तुलन के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसके विपरीत बड़े-बड़े उद्योगपतियों में इन स्थानों से भावात्मक सम्बन्ध न होने के कारण द्रुतगति से प्राकृतिक साधनों का विध्वंस कर अधिकतम लाभ प्राप्त करने की इच्छाशक्ति प्रबल रहती है। इस तरह कुटीर उद्योग की संस्कृति हमारे लिये परम्परागत सांस्कृतिक मूल्यों को बनाये रखते हुए पारिस्थितिकीय सन्तुलन बनाये रखने में भी सहायक सिद्ध होती है।

लघु और कुटीर उद्योग: विकास के दीर्घकालिक प्रयास

इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने गत तीन वर्षों में अनेक कदम उठाए हैं, जो रोजगार सृजन को आवश्यक प्रोत्साहन देंगे। इसके परिणाम फिलहाल नहीं दिख सकते, लेकिन निश्चित रूप से बुनियादी काम किया जा रहा है। राजमार्ग निर्माण, ग्रामीण सड़क विकास में तेजी, अगले पांच वर्षों में रेल में 8.5 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय तथा मेट्रो रेल परियोजनाओं से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और प्रत्येक वर्ष 40,000 करोड़ रुपये मूल्य के फलों तथा सब्जियों की बर्बादी में कमी सुनिश्चित होगी। इससे किसानों को उत्पादों का बेहतर मूल्य सुनिश्चित होगा और ग्रामीण आबादी अपने घर के पीछे के हिस्से का इस्तेमाल करते हुए वैकल्पिक व्यवसाय भी कर सकेगी। मुद्रा योजना से कई करोड़ युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार सुनिश्चित हुआ है। ग्रामीण भारत के युवा न केवल अपना रोजगार पाते हैं बल्कि स्टार्टअप में दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। बेहतर बुनियादी संरचना के कारण संपर्क में सुधार से देश में अनेक औद्योगिक गलियारे बने हैं और ऐसे गलियारे तमिलनाडु के त्रिचुर, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, पंजाब के लुधियाना, गुजरात के सूरत और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जैसे औद्योगिक क्लस्टरों का सृजन करेंगे।

अधिक मात्रा में कृषि उत्पाद वाले क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण पार्कों की स्थापना से ग्रामीण रोजगार सुनिश्चित होगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। मुंबई-दिल्ली, लुधियाना-कोलकाता, विशाखापत्तनम-चेन्नई तथा बेंगलुरु-मुंबई गलियारे में तेजी से काम चल रहा है। सरकार ने आने वाले वर्षों में कुछ औद्योगिक गलियारे बनाने का प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव में विशाखापत्तनम-चेन्नई गलियारे को एक तरफ से कोलकाता तक और दूसरी ओर से तूतीकोरिन तक बढ़ाना शामिल हैं। इन कार्यों से काफी अधिक लघु स्तरीय औद्योगिक क्लस्टर बनेंगे।

विमुद्रीकरण और वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से अर्थव्यवस्था का डिजिटीकरण हुआ और इससे अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। विमुद्रीकरण से भ्रष्टाचार के बिना कारोबारी सहजता में सुधार आएगा। जीएसटी कुछ प्रतिशत बिंदुओं तक जीडीपी बढ़ाने में सहायक होगा।

वर्तमान सरकार ने लघु और कुटीर उद्योगों के पर्यावरणीय महत्त्व को स्वीकार करते हुये उसके विकास के लिये कुछ त्वरित प्रयास भी किये हैं। इस क्रम में, प्रधानमंत्री द्वारा स्टार्ट-अप मूवमेंट शुरू किया गया, जिसका मक़सद उद्यमशीलता को बढ़ावा देना बताया गया। जाहिर तौर पर शुरू में 'स्टार्ट-अप' शब्द कहीं न कहीं लघु उद्योग का प्रारूप ही दिखता है।

स्वच्छ ऊर्जा विशेषकर सौर ऊर्जा और छतों पर बिजली उत्पादन पर सरकार के बल देने से कुशल और अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सुनिश्चित होगा। ऐसा तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में दिखने लगा है जहां पवन और सौर विद्युत विकास के क्षेत्र में उपलब्धि की छलांग लगाई गई है।

प्रणालीबद्ध और ढांचागत सुधारों के कारण अल्पकालिक अवधि में रोजगार सृजन में भले ही बाधा आई हो लेकिन आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी और रोजगार सृजन का आधार तैयार होगा।

त्वरित प्रयास: कुछ योजनाएं

वर्तमान सरकार ने लघु और कुटीर उद्योगों के पर्यावरणीय महत्त्व को स्वीकार करते हुये उसके विकास के लिये कुछ त्वरित प्रयास भी किये हैं। इस क्रम में, प्रधानमंत्री द्वारा स्टार्ट-अप मूवमेंट शुरू किया गया, जिसका मक़सद उद्यमशीलता को बढ़ावा देना बताया गया। जाहिर तौर पर शुरू में 'स्टार्ट-अप' शब्द कहीं न कहीं लघु उद्योग का प्रारूप ही दिखता है। स्टार्ट अप बिजनेस में तीन साल तक छूट, अटल इनोवेशन मिशन आदि से नये उद्यमियों को मदद मिल रही है।

कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शृंखला के रूप में परंपरागत ग्रामीण उद्योगों और उनकी गतिविधियों से संबंधित जमीनी स्तर के कार्यक्रमों को कवर करने सीएनसी मशीनों और अन्य उच्च प्रौद्योगिकियों पर कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसके तहत समाज के कमजोर वर्गों को नि:शुल्क प्रशिक्षण मिल रहा है।

सरकार ने लघु और कुटीर उद्योगों को राहत प्रदान करने के लिये ऋण गारंटी निधि आरम्भ की है। इसके तहत खासतौर से लघु उद्यमों के लिए जमानत के तौर पर या तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना 100 लाख तक के ऋणों के लिए गारंटी कवर प्रदान किया जाता है। ऋण लेने वालों और उधारदाताओं के लिए इस योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के मकसद से इसमें कई सुधार किए गए हैं।

इसके अलावा खादी के सार्वजनिक प्रयोग के लिये प्रधानमंत्री स्वयं अपील कर चुके हैं। इससे खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों पश्मीना, दुल्हन के लिबास, देश भर से साड़ियों की व्यापक रेंज सहित डिजाइनर वस्त्र, घर प्रस्तुत, असबाब, सभी आयु समूहों के लिए ऊनी कपड़ों, कपड़ा बाजार के सभी वर्गों को कवर करने के लिए प्रदर्शन सुनिश्चित हो सका है। सरकार उद्यम हेल्पलाइन नम्बर पर भी प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में सूचना दे रही है। मिल रेट प्राइस योजना तथा स्फूर्ति योजना पहले से ही कार्यरत है। मुद्रा बैंक से लोन लेकर बहुत से लोगों ने लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना की है। देश के कुछ राज्यों में हस्तशिल्प केन्द्रों की स्थापना की गयी है और उन्हें वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिये ई कामर्स का सहारा लिया जा रहा है।

भारी उद्योग बनाम लघु उद्योग: पर्यावरणीय प्रभाव

आज देश में पांच करोड़ से अधिक मझौले, लघु सूक्ष्म उद्योग हैं। ये उद्योग भारत

के मैन्यूफैक्चरिंग में 40 प्रतिशत और तिजारती निर्यात में 45 प्रतिशत का योगदान देते हैं। जाहिर है कि अर्थव्यवस्था को योगदान देने के मामले में ये उद्योग बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस बात को स्वयं प्रधानमंत्री ने भी स्वीकार किया था लेकिन प्राय: हम देखते हैं कि लघु और कुटीर उद्योगों के योगदान को पर्यावरण पर डाले जा रहे दुष्प्रभावों के नाम पर उपेक्षित किया जाता है, जबकि वास्तविकता इसके उलट है। भारी उद्योगों की तुलना में लघु और कुटीर उद्योग पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं। ये सभी उद्योग विकास की वैकल्पिक अवधारणा पर टिके हुए हैं और स्थानीय तथा सीमित जरूरतों को पूरा करने के काम आते हैं।

दरअसल समस्या की सारी जड़ लघु और कुटीर उद्योगों के पुरातन तौर तरीकों की है, जिन्हें समय के साथ साथ दुरूस्त नहीं किया गया है। इन तरीकों के चलते लघु उद्योगों से फैलने वाले प्रदूषण की ख़बरें ज्यादा हलचल पैदा करती हैं। उदाहरण के तौर पर, ज्यादातर लघु उद्योगों के लिये स्थान का चुनाव करने की कोई आधुनिक तरीका देश में आज भी नहीं है। अगर लघु और कुटीर इकाइयां शहरों के पास होती हैं तो उनसे दिक्कतें लाजिमी हैं। उन्नत प्रौद्योगिकी नहीं होने के कारण ही इन इकाइयों के पास प्रदूषण कम करने के तरीके भी नहीं होते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के चपेट में भी ये इकाइयां इसी कारण आ जाती हैं। वहीं, दूसरी तरफ भारी उद्योग पर्यावरण को दीर्घकाल में अधिक नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन उनके लिए सरकार की स्पष्ट पर्यावरणीय नीतियां हैं, इन उद्योगों में उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिये, उन्नत फैक्ट्रियों की चिमनियों में 'बैग फिल्टर' लगा दिया गया। जब धुआं इस फिल्टर से होकर गुजरता है, तब उसे फिल्टर के सिलेंडर से होकर गुजरना होता है, जिससे धुएं के कणिकीय पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं, जबकि गैस बेलनाकार बैग से होकर बाहर निकलती है। यह गैस कणिकीय पदार्थों से मुक्त होती है। अत: वातावरण कम प्रदूषित होता है।

विकसित देशों ने दशकों तक अपने विकास के लिये भारी उद्योगों पर निर्भरता बनाये रखी, लेकिन इसका परिणाम आज उन्हें जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के रूप में भुगतना पड़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव में बढ़ोत्तरी, ओजोन परत का क्षरण, वैश्विक तापमान में वृद्धि सब कुछ भारी उद्योगों पर बढ़ती अति निर्भरता की ही देन है। इसका सामना आज भारत भी कर रहा है, लेकिन इस स्थिति की ज्यादा बड़ी जवाबदेही विकसित राष्ट्रों की है। भारत की अर्थव्यवस्था में आज लघु और कुटीर उद्योगों का जो योगदान है, वह निश्चय ही इस लिहाज से बेहतर है।

लघु व भारी उद्योगों के बीच संतुलन

अर्थ यह नहीं कि भारत को बड़े और भारी उद्योगों की आवश्यकता नहीं है। ऐसे उद्योगों की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए बिजली क्षेत्र, मशीन उपकरण बनाने, वाहन बनाने, इस्पात बनाने, रक्षा उत्पादन, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में लेकिन छोटे उद्योग रोजगार सृजन के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि ऑटोमेशन और उच्च प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले पूंजीगत भारी उद्योग रोजगार प्रेरक नहीं हो सकते। निर्माण, अवसंरचना विकास जैसे सड़क और रेल, लॉजिस्टिक कारोबार, वस्त्र, हथकरघा क्षेत्र में रोजगार सृजन हो सकता है। लघु और कुटीर उद्योगों में भी रोजगार सृजन की संभावना है। छोटे तथा कुटीर उद्योगों में एक व्यक्ति के रोजगार के लिए 1-1.5 लाख रुपये निवेश की आवश्यकता है, जबकि बड़ी पूंजी वाले भारी उद्योगों में एक रोजगार के लिए 5-6 लाख रुपये का निवेश करना पड़ता है। एक कार बनाने पर मशीन, ड्राइवर, क्लिनर जैसे सेवा क्षेत्र में तीन लोगों को रोजगार मिलता है। इसी तरह एक ट्रक या ट्रैक्टर उत्पादन से 7 लोगों को रोजगार मिलता है। सेवा क्षेत्र विशेषकर ग्रामीण भारत में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां कृषि को छोड़कर रोजगार का अभाव है। ऐसा करने से शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पलायन में कमी आएगी।

विकसित देशों ने दशकों तक अपने विकास के लिये भारी उद्योगों पर निर्भरता बनाये रखी, लेकिन इसका परिणाम आज उन्हें जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के रूप में भुगतना पड़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव में बढ़ोत्तरी, ओजोन परत का क्षरण, वैश्विक तापमान में वृद्धि सब कुछ भारी उद्योगों पर बढ़ती अति निर्भरता की ही देन है।

इसलिए स्वतंत्रता के बाद से सूक्ष्म और लघु उद्योगों पर जोर दिया गया था जिससे पूरे देश में औद्योगिक क्लस्टर बने हैं। इन उद्योगों के वित्त पोषण की व्यवस्था की गई है। इसमें सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों को शामिल किया गया है।

वास्तव में, जलवायु परिवर्तन के इस दौर में अब समय आ गया है जब हम अर्थव्यवस्था में स्थानीय मांग को खास स्थान दें। इसके साथ-साथ विषमता दूर करने के उपाय अपनाए जाएं तो गरीब लोगों की क्रय-क्षमता बढ़ेगी और स्थानीय मांग का आधार व्यापक होगा। यह स्थानीय मांग अर्थव्यवस्था का आधार इस तरह बदल सकती है कि उत्पादन क्षमता और उपभोग में सब लोगों की बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता मिले।

यहां गांधीजी के इस सोच को रेखांकित करना जरूरी है कि छोटे और कुटीर स्तर के उत्पादन को विशेषकर प्रोत्साहन दिया जाए। यह सच है कि कुछ तरह का उत्पादन बड़े स्तर पर होना चाहिए, पर साथ ही बहुत-से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें गांवों-कस्बों और छोटे शहरों से कुटीर और लघु उद्योग भी लोगों की जरूरतों को भली-भांति पूरा कर सकते हैं और कुछ मामलों में तो और बेहतर ढंग से करते हैं। इसलिए हर क्षेत्र में बड़ी कंपनियों का अंधाधुंध प्रसार उचित नहीं है, फिर चाहे वे निजी उद्योग हों या सरकारी उद्योग।

कुटीर और लघु उद्योग को अधिक महत्त्व देना पर्यावरण-रक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है। जैसे-जैसे जलवायु बदलाव का संकट बढ़ता जा रहा है, आर्थिक क्षेत्र की तमाम गतिविधियों के साथ पर्यावरण-रक्षा की नीति को जोड़ना आवश्यक हो गया है। उदाहरण के लिए, जीवाश्म ईंधन की खपत अंधाधुंध बढ़ाने के स्थान पर अगर गांवों और कस्बों में अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का बेहतर से बेहतर उपयोग करने वाले मॉडल विकसित किए जाएं तो यह ऊर्जा के विकास और पर्यावरण दोनों की दृष्टि से उचित होगा।

विश्व-स्तर पर देखें तो जलवायु बदलाव के दौर में उत्पादन बढ़ाने को 'कार्बन स्पेस' बहुत सीमित है, इसलिए बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता देना और विलासिताओं पर रोक लगाना पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है। लिहाजा, समता और सादगी पर आधारित अर्थव्यवस्था का मॉडल ही टिकाऊ विकास सुनिश्चित कर सकता है। ❑

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

LIVE/ONLINE
Classes also available

www.visionias.in

CSE 2016

ANMOL SHER SINGH BEDI
AIR-2

SAUMYA PANDEY
AIR-4

ABHILASH MISHRA
AIR-5

CSE 2015

TINA DABI
AIR-1

500+ Selections in CSE 2015

15 in top 20
70+ in Top 100
Selections in CSE 2016

सामान्य अध्ययन

फाउंडेशन कोर्स

हिन्दी माध्यम | 23 Nov

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम के घटक

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखनशैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन
- कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल

Venue : Dr. Mukherjee Nagar Center, Delhi

- **GS Prelims Fast Track Course**
- **PT 365** - *One Year Current Affairs for Prelims*

ENGLISH MEDIUM | हिन्दी माध्यम

PHILOSOPHY

by **Anoop Kumar Singh**

45 days program @ JAIPUR | PUNE

हिन्दी माध्यम में भी उपलब्ध

- *Includes comprehensive and updated study material*
- *Answer Writing Program for Philosophy (QIP)*

ALL INDIA TEST SERIES

Get the Benefit of Innovative Assessment System from the leader in the Test Series Program

PRELIMS
- ✓ General Studies (हिन्दी माध्यम में भी)
- ✓ CSAT (हिन्दी माध्यम में भी)

MAINS
- ✓ General Studies (हिन्दी माध्यम में भी)
- ✓ Essay (हिन्दी माध्यम में भी)
- ✓ Philosophy
- ✓ Sociology
- ✓ Geography

/visionias.upsc
/Vision_IAS
/c/VisionIASdelhi

DELHI
- 2nd Floor, Apsara Arcade, Near Metro Gate 6, 1/8 B, Pusa Road, Karol Bagh
- 103, 1st Floor B/1-2, Ansal Building, Behind UCO Bank, Dr. Mukherjee Nagar
- Contact : 8468022022, 9650617807, 9717162595

JAIPUR 9001949244, 9799974032

PUNE 9001949244, 7219498840

HYDERABAD 9000104133, 9494374078

YH-726/6/2017

उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम)

विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत उद्योग को मिलने वाले लाभ प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को एमएसएमई के तहत पंजीकरण कराना होता है। पंजीकरण की प्रक्रिया में शामिल लंबी कागजी कार्रवाई के कारण भारत में कई उद्यम पंजीकृत नहीं हैं और इसलिए वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। एमएसएमई क्षेत्र के वित्तपोषण के संबंध में के.वी. कामथ पैनल ने यह सिफारिश की थी कि पंजीकरण को सर्वव्यापी बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार उद्योग आधार और पंजीकरण में आसानी की अवधारणा की शुरुआत हुई जो केंद्र/राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के तहत एमएसएमई द्वारा लाभ प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करता है।

उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए एक पृष्ठ का पंजीकरण प्रपत्र, जो उन्हें एमएसएमई के तहत पंजीकृत करने के लिए है। उद्योग आधार प्रपत्र पुरानी प्रणाली (ईएम-1 और ईएम-2 प्रपत्र) के स्थान पर लाया गया है जिसमें कई दस्तावेज और ब्यौरे चाहिए होते थे। यह स्व-घोषणा प्रारूप का निर्माण करता है जिसके तहत एमएसएमई अपनी उपस्थिति तथा अपेक्षित अन्य न्यूनतम जानकारी के संबंध में स्व-सत्यापन करेगा।

उद्योग आधार ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- एक पृष्ठ का ऑनलाइन पंजीकरण-मोबाइल अनुकूल
- स्व-प्रमाणन
- एक से अधिक उद्योग आधार दायर करना
- कोई दस्तावेज अपेक्षित नहीं
- उद्योग आधार के लिए कोई शुल्क नहीं

एमएसएमई मंत्रालय ने उद्योग आधार (यूए) पोर्टल (http://udyogaadhaar.gov.in) जैसी अवसंरचना का निर्माण किया है ताकि देश के किसी भी हिस्से में स्थित उद्यम ऑनलाइन उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) दायर कर सके। यूए पोर्टल मोबाइल पर चलाया जा सकता है।

उद्योग आधार पंजीकरण से इकाइयां उद्यम उद्योग आधार संख्या के इस्तेमाल से ही सूचना प्राप्त करने और सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं का पता लगा सकते हैं।

उद्योग आधार की नई प्रणाली पंजीकरण की एकल व्यवस्था है। यह प्रणाली कारोबार करने में आसानी सुनिश्चित करती है क्योंकि देश की 92 प्रतिशत वयस्क जनसंख्या पहले से ही आधार के तहत पंजीकृत है।

एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एमएसएमई संबंधी आंकड़ों के रख-रखाव से दीर्घावधि में लागत कम होने की उम्मीद है क्योंकि अब राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ये आंकड़े नहीं रखने होंगे।

सरकार को एमएसएमई क्षेत्र के लिए सरलीकृत आधार आधारित पंजीकरण प्रणाली की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। अब तक 3,629,754 उद्यम (10 अक्टूबर, 2017 तक) उद्योग आधार संख्या सहित पंजीकृत करा चुके हैं। उम्मीद है कि उद्योग आधार से व्यवसाय करने संबंधी सूचकांक में हमारी अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार तो होगा ही, साथ ही एमएसएमई के लिए संभावनाओं का विस्तार भी होगा। ❑

योजना हिंदी: महत्वपूर्ण सूचनाएं

- 'योजना' विकास संबंधी विषयों पर केंद्रित मासिक है। पत्रिका में हर माह आगामी अंक का केंद्रीय विषय प्रकाशित किया जाता है। लेखकों से अनुरोध है कि प्रकाशन हेतु केंद्रीय विषय के अनुसार ही रचनाएं भेजें।
- रचनाएं भेजते समय रचना की प्रति अपने पास अवश्य रखें। सामान्यत: रचनाएं वापस नहीं भेजी जातीं। रचना की वापसी के लिए यथाउचित मूल्य के टिकट और पता लिखा लिफाफा भेजें।
- ई-मेल से भेजी जाने वाली रचनाएं Microsoft Word में Kruti Dev 010 फॉन्ट में टाइप करके yojanahindi@gmail.com पर भेजी जा सकती है। हस्तलिखित रचनाओं का भी स्वागत है।
- संपादकीय पत्र व्यवहार का पता है : संपादक (योजना), प्रकाशन विभाग, कमरा नं. 648, सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
- पत्रिका की सदस्यता अर्थात् घर बैठे पत्रिका मंगाने के लिए या पहले से ली हुई सदस्यता के बावजूद पत्रिका नहीं मिलने आदि के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए सीधे प्रसार एवं विज्ञापन अनुभाग से संपर्क करें। इसके लिए पता है : उप निदेशक (प्रसार एवं विज्ञापन), प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 48-53, भूतल, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, दूरभाष: 011-24367453, ईमेल: pdjucir@gmail.com ❑

गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत पुरस्कार

स्वच्छ भारत अभियान (एसबीएम) की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2017 को स्वच्छ भारत दिवस पर स्वच्छ भारत राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। नई दिल्ली में इस समारोह का आयोजन पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एमडीडब्ल्यूएस) द्वारा किया गया। ये पुरस्कार स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि पहल के भाग के रूप में आयोजित निबंध, फिल्म और चित्रकला प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रदान किए गए।

इस अवसर पर *स्वच्छता ही सेवा* नामक राष्ट्रीय अभियान का समापन हुआ। प्रधानमंत्री ने गांधी जयंती तक देश में स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने के लिए भारत की जनता से योगदान देने का आह्वान किया था जिसके बाद एमडीडब्ल्यूएस ने यह अभियान शुरू किया था।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने जन भागीदारी से स्वच्छ भारत के निर्माण में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यदि इतिहास के पन्नों में दर्ज सभी नेता एक साथ मिल जाएं तो भी स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा तभी किया जा सकता है जब 125 करोड़ भारतीय एक साथ मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि इस अभियान में अब तक जो कामयाबी मिली है वह सरकार की नहीं है बल्कि भारत के उन लोगों की है जिन्होंने स्वच्छ भारत को अपना सपना बनाया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक शौचालय युक्त सभी परिवार भी स्वच्छता को अपना दायित्व नहीं समझने लगेंगे, तब तक स्वच्छ भारत का सपना साकार नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इस मोर्चे पर बच्चे और युवा ही अग्रदूत की भूमिका निभा सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने घरों में स्वच्छता बनाये रखने में महिलाओं की भूमिका पर बात करते हुए कहा कि परिवार के सभी सदस्यों को इस भूमिका के निर्वहन में महिलाओं का सहयोग करना चाहिए।

स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) श्रेणी में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को एसएचएस विशेष उल्लेख पुरस्कार प्रदान किया गया। इस श्रेणी के तहत अन्य प्रमुख पुरस्कार महाराष्ट्र (एसएचएस विशेष रूप से उल्लेखनीय शीर्ष राज्य), जम्मू और कश्मीर (एसएचएस विशेष पुरस्कार) और तमिलनाडु के वेलंकन्नी चर्च (एसएचएस में अपने कार्य के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय पर्यटक स्थल) को प्रदान किए गए।

पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालयों और विभागों द्वारा आयोजित गतिविधियों के आधार पर अंतर-मंत्रालयी पुरस्कार भी प्रदान किए गए। ये गतिविधियां स्वच्छता पखवाड़ा और स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) से अलग थीं।

भारत के प्रतिष्ठित स्थानों के आस-पास स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए इन स्थानों को पुरस्कृत करने के लिए एक अलग श्रेणी बनाई गई थी। पिछले एक वर्ष के दौरान प्रतिष्ठित स्थानों पर किए गए कार्यों के लिए 8 मानदंडों पर उनका मूल्यांकन किया गया। सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित स्थान का पुरस्कार स्वर्ण मंदिर, अमृतसर को मिला। माता वैष्णो देवी मंदिर और मीनाक्षी मंदिर, तमिलनाडु को इस श्रेणी में विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया।

इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय, रेल मंत्रालय और रक्षा उत्पादन विभाग को सर्वश्रेष्ठ एसएपी मंत्रालय पुरस्कार प्रदान किए गए। चूंकि मंत्रालयों और विभागों ने स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया है इसलिए इसके लिए अलग श्रेणी बनाई गई थी। सर्वश्रेष्ठ पखवाड़ा पुरस्कार (पखवाड़े के दौरान आयोजित सर्वश्रेष्ठ गतिविधियों के लिए) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग को प्रदान किया गया। स्वच्छता को बढ़ावा देने और इसे जन आंदोलन बनाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

अत: स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने के लिए मातृभूमि (केरल) को मीडिया पुरस्कार प्रदान किया गया। खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) संबंधी गतिविधियों को निरंतर बढ़ावा देने के लिए एमडीडब्ल्यू ने एसएसबीएम की सहायता करने के लिए टाटा ट्रस्ट और इंडिया सेनिटेशन कोलिशन को कॉर्पोरेट पुरस्कार दिए गए।

विभिन्न श्रेणियों के तहत स्कूल-कॉलेजों, नगर निगम के कर्मचारियों, स्वयं सहायता समूहों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, धार्मिक संस्थाओं आदि को भी स्वच्छ भारत (शहरी) पुरस्कार प्रदान किए गए। ❑

स्वच्छता जागरण के लिए मंत्रालय पुरस्कार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छता के संदेश को अपने विभिन्न मीडिया इकाइयों के जरिए जन-जन तक फैलाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। मंत्रालय को इसके लिए पुरस्कृत किया गया। यह पुरस्कार गत माह गांधी जयंती के मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव एन के सिन्हा ने प्राप्त किया। ❑

पुस्तक चर्चा

होमेज टू महात्मा गांधी

(आकाशवाणी से प्रसारित श्रद्धांजलियों का संकलन)

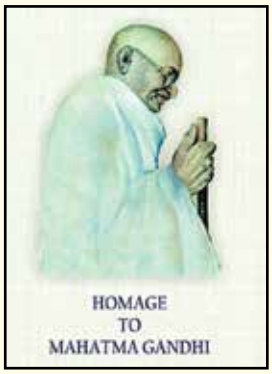

मूल्य: ₹ 210

प्रकाशन विभाग ने राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, नई दिल्ली की मदद से एक दुर्लभ पुस्तक *होमेज टू महात्मा गांधी* को अनुरक्षित (रीस्टोर) व पुनर्मुद्रित किया है। यह पुस्तक सर्वप्रथम गांधी जी की हत्या के तुरंत बाद 1948 में प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में 30 जनवरी 1948 को गांधीजी की हत्या के बाद आकाशवाणी से प्रसारित श्रद्धांजलियों का संकलन है।

इस पुस्तक में सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन, सरोजिनी नायडू, आचार्य जे.बी. कृपलानी, डॉ. सी.वी. रमण इत्यादि समेत अनेक स्वतंत्रता सेनानियों, प्रशासकों, वैज्ञानिकों के वक्तव्य शामिल हैं। इस पुस्तक की भूमिका प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है और इसमें महात्मा गांधी के साथ इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों की दुर्लभ तस्वीरें भी शामिल हैं। जामिनी रॉय के चित्र के साथ मूल कवर इमेज को भी अनुरक्षित किया गया है। संभव है कि इस पुस्तक में उद्धृत कई हस्तियों को आज की पीढ़ी नहीं जानती हो, किन्तु स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है और इन्होंने महात्मा गांधी को और महात्मा गांधी ने इन्हें खासा प्रेरित किया है।

यह पुस्तक महान स्वतंत्रता सेनानियों व महत्वपूर्ण हस्तियों के मानस को समझने की दृष्टि देती है और महात्मा गांधी के महान व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करती है। इस पुस्तक में श्री अरबिंद की विशेष श्रद्धांजलि भी है और आखिर में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की एक महत्वपूर्ण कविता भी शामिल है। ❑

इंडियन डांस थ्रू ए क्रिटिक्स आई

लेखक: श्रीमती वेंकटरमण

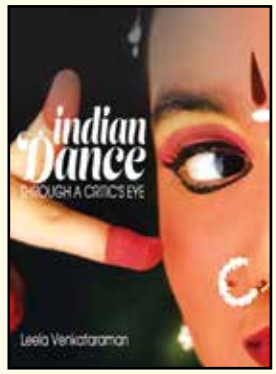

मूल्य: ₹ 860

यह पुस्तक जानी मानी नृत्य आलोचक श्रीमती लीला वेंकटरमण के 36 आलेखों का संग्रह है। प्रतिष्ठित अखबारों, पत्रिकाओं व नृत्य पत्रिकाओं में 1970 से प्रकाशित ये आलेख भारतीय नृत्य की बदलती दुनिया से परिचित कराते हैं। ये आलेख भारतीय नृत्य कला की विरासत को प्रभावित व समृद्ध करने वाली विभिन्न घटनाओं, संस्थाओं व हस्तियों को अभिलिखित करने का प्रयास करते हैं। तीन दशकों के दौरान ये आलेख पाठक को बहुत ही रोचक तरीके से भारतीय नृत्य कला के इतिहास की सैर कराते हैं। इस पुस्तक में सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि के तौर पर नृत्य, ओडिसी, यक्षगान, कत्थक, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम इत्यादि समेत विभिन्न नृत्य रूपों के साथ साथ संगीत, आलोचना और सांस्कृतिक अंतरालों पर केन्द्रित विभिन्न अध्याय हैं।

नृत्य प्रशासक 'पुरुष' व नृत्य अंकन का विचार काफी पठनीय है और भारतीय नृत्य के अग्रदूतों व महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों से संबंधित विशेष खंड शाशिमणि, अप्पुकुत्तन नायर, दुर्गालाल, बाल सरस्वती व बिपिन सिंह सरीखी विभूतियों को विशेष श्रद्धांजलि दी गई है।

दुर्लभ चित्रों से युक्त यह पुस्तक भारतीय नृत्य की दिशा में शुरुआती प्रयास करने वालों के लिए काफी उपयोगी हो सकती है और गंभीर अध्येताओं को यह पुस्तक सुखद स्मृतियों की दुनिया में ले जाती है। यह पुस्तक देश भर के नर्तक-नर्तकियों के योगदानों के साक्ष्य व भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रलेखन के रूप में भी काफी महत्वपूर्ण है। ❑

हमारी पुस्तकें खरीदने के लिए http://publicationsdivision.nic.in **पर लॉग ऑन करें।**

प्रधानमंत्री ने सघन *मिशन इंद्रधनुष* का शुभारंभ किया

हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात के वडनगर में सघन *मिशन इंद्रधनुष* (आईएमआई) की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के जरिए भारत सरकार दो वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे और उन गर्भवती महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है जो सामान्य टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत यह सुविधा नहीं पा सकी हैं। यह विशेष अभियान टीकाकरण की पहुंच में सुधार के लिए चुने हुए जिलों और शहरों में दिसंबर 2018 तक पूर्ण टीकाकरण के 90 प्रतिशत से अधिक के लक्ष्य को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। मिशन इंद्रधनुष के तहत 2020 तक कम-से-कम 90 प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था। आईएमआई की शुरुआत के साथ ही इस लक्ष्य को बढ़ावा दिया गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि टीके से किसी रोग का इलाज संभव है तो किसी भी बच्चे को रोग ग्रस्त नहीं होने दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने टीकाकरण को लोगों का और समाज का आंदोलन बनाया है। उन्होंने उपस्थित लोगों और देशवासियों से अपील की कि वे मातृ और शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए चलाए जा रहे इस कार्यक्रम को जरूर अपनाएं।

मिशन इंद्रधनुष के चार चरणों के तहत 2.53 करोड़ से अधिक बच्चों और 68 लाख गर्भवती महिलाओं को जीवनरक्षक टीके उपलब्ध कराए गए हैं जिनमें से 5.21 लाख बच्चे और 1.27 लाख गर्भवती महिलाएं गुजरात से हैं। इससे पहले पूर्ण टीकाकरण के कवरेज की बढ़ोतरी 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी जो *मिशन इंद्रधनुष* के पहले दो चरणों के जरिए 6.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष हो गई है।

उच्च प्राथमिकता वाले जिलों और शहरी इलाकों पर विशेष ध्यान देते हुए आईएमआई के तहत 173 जिलों, 16 राज्यों के 121 जिलों और 17 शहरों तथा 8 पूर्वोत्तर राज्यों के 52 जिलों में अक्टूबर 2017 से जनवरी 2018 के बीच 7 दिन के लिए टीकाकरण के चार दौर लगातार जारी रहेंगे। सघन *मिशन इंद्रधनुष* ऐसे चुनिंदा जिलों और शहरी क्षेत्रों में चलाया जाएगा जहां टीकाकरण कम हुआ है। यह क्षेत्र राष्ट्रीय सर्वेक्षण, स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली आंकड़ों और विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त निगरानी आंकड़ों के जरिए चुने जाएंगे। उप-केंद्रों और शहरी झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाली उस प्रवासी आबादी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जहां टीकाकरण या तो हुआ नहीं है अथवा बहुत कम हुआ है। *राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन* (एनयूएचएम) के अंतर्गत पहचानी गई शहरी बस्तियों और शहरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

सघन *मिशन इंद्रधनुष* टीकाकरण कवरेज में सुधार के लिए अंतर-मंत्रालय और अंतर-विभागीय समन्वयन, कार्रवाई आधारित समीक्षा प्रबंध एवं सघन निगरानी और जवाबदेही प्रणाली अपनाई जाएगी ताकि लक्षित क्षेत्रों में प्रभावी टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया जा सके। कार्यक्रम के बेहतर समन्वय और प्रभावी कार्यान्वायन के लिए *राष्ट्रीय शहरी जीविका अभियान* (एनयूएलएम) के तहत आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, जिला प्रेरक, स्वयं-सहायता समूह जैसे विभिन्न, विभागों के जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का शामिल होना सुनिश्चित किया जाएगा।

नियमित अंतराल पर जिला, राज्य और केंद्रीय स्तर पर सघन मिशन इंद्रधनुष की निगरानी की जाएगी। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्तर पर मंत्रिमंडल सचिव इसकी समीक्षा करेंगे तथा *सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन (प्रगति)* पहल के तहत उच्चतम स्तर पर इसकी निगरानी जारी रहेगी।

यह सघन मिशन अंतराल मूल्यांकन से प्राप्त जानकारी, सरकार के द्वारा निरीक्षण, भागीदारों की निगरानी और अंतिम सर्वेक्षण के आधार पर चलाया जाता है। आईएमआई के तहत कार्यक्रम की कड़ी निगरानी के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। राज्यों और जिलों ने अंतराल आत्ममूल्यांकन के आधार पर कवरेज में सुधार की योजना तैयार की है। दिसंबर 2018 तक 90 प्रतिशत कवरेज का लक्ष्य हासिल करने के लिए इन योजनाओं की राज्य से केंद्रीय स्तर तक समीक्षा की गई है।

90 प्रतिशत से अधिक का लक्ष्य हासिल करने वाले जिलों को मान्यता देने के लिए प्रशंसा और पुरस्कार पद्धति अपनाई गई है। इसके मापदंड में सर्वश्रेष्ठ प्रथाएं और संकट के समय मीडिया प्रबंधन शामिल हैं। भागीदारों/सिविल सोसायटी संगठनों (सीएसओ) और अन्य के सहयोग की प्रशंसा करने के लिए प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे। ❑

रजि.सं.डीएल (एस)-05/3231/2015-17
Reg.No. D.L. (s)-05/3231/2015-17 at RMS, Delhi
22 अक्टूबर, 2017 को प्रकाशित • 28-29 अक्टूबर, 2017 को डाक द्वारा जारी

Licenced under U (DN)-55/2015-17
आर.एन.आई. 951/57
R.N.I. 951/57

Just Released

प्रतियोगिता दर्पण

का अतिरिक्तांक

संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण

2017 Vol.3

परीक्षोपयोगी सीरीज-7

समसामयिक घटनाचक्र

(करेन्ट अफेयर्स)

राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, आर्थिक एवं वाणिज्यिक परिदृश्य, समसामयिक सामान्य ज्ञान एवं खेलकूद

संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षाओं हेतु

अन्य विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी

English Edition
Code No. 808 ₹ 99.00

Code No. 817
₹ 110.00

प्रतियोगिता दर्पण 2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, **आगरा**-282 002 फोन : (0562) 4053333, 2530966; फैक्स : (0562) 4053330
• E-mail : care@pdgroup.in • Website : www.pdgroup.in
• नई दिल्ली 23251844/66 • हैदराबाद 24557283 • पटना 2673340 • कोलकाता मो. 07439359515 • लखनऊ 4109080 • हल्द्वानी मो. 07060421008 • नागपुर 6564222 • इन्दौर 9203908088

YH-644/6/2017

प्रकाशक व मुद्रक: डॉ. साधना राउत, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा प्रकाशन विभाग के लिए जे.के. ऑफसेट, बी-278, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली से मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक: ऋतेश पाठक